खण्ड ९ — अंक २१
१२ दिसम्बर, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

Preservation Unit
9-4-98
Fumigated
On 29/11/83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक २१ से अंक २९ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग १ वाद-विवाद खण्ड ६—१२ से २२ दिसम्बर, १६५६]

पृष्ठ

अंक २१—बुधवार, १२ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ से १०७६, १०८२, १०८३, १०८७ से १०६०, १०६५, १०६७, १०६६, ११०५, ११०८, ११११, १११२, १११८ से ११२१, १०८१, १०६४, ११०१ और ११०७ ... १०६५—८८

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ ... १०८८—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८०, १०८४ से १०८६, १०६१ से १०६३, १०६६, १०६८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०६, १११०, १११३ से १११५, १११७ और ११२२ से ११२४ ... १०६६—११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५४ से ८६१ ... ११०४—१६

दैनिक संक्षेपिका ... ... **११२०—२२**

अंक २२—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६ से ११३०, ११३३ से ११३८, ११४१ से ११४५, ११४७, ११५०, ११५१ और ११५३ से ११५८ ... ११२३—४६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६ ... ११४७—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११३१, ११३२, ११३६, ११४०, ११४६, ११४८, ११४६, ११५२, ११५६ और ११६१ से ११६८ ... ११५०—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६२ से ६१२ ... ... ११५५—६२

तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ... ११६३

दैनिक संक्षेपिका ... ... **११६४—६६**

अंक २३—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १६५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ से ११७५, ११७८ से ११८१, ११८४, ११८६, ११८६ से ११६४ और ११६६ से १२०० ... ११६७—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६, ११७७, ११८२, ११८३, ११८५, ११८७ ११८८, ११६५, १२०१ से १२२१ और ८६५ ... ११८८—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१३ से ६७१ ... ११६७—१२२१

दैनिक संक्षेपिका ... **१२२२—२५**

अंक २४—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ १२२३, १२२५, १२२६, १२२८, १२२९ १२३१, १२३२, १२३५, १२३८, १२३९, १२४५, १२४७, १२४९ १२५१ से १२५५, १२५७, १२५८, १२६१, १२६५ और १२६७ ... १२२७–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२३०, १२३३, १२३४, १२३६, १२३७, १२४० से १२४४, १२४६, १२४८, १२५०, १२५६, १२५९, १२६०, १२६२ से १२६४, १२६६ और १२६८ से १२७३ १२४९–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७२ से १०२९, १०३१ और १०३२ १२५८–८०

दैनिक संक्षेपिका **१२८१–८४**

अंक २५—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५ से १२७७, १२८०, १२८१, १२८३ से १२८५, १२८७ से १२९१, १२९३, १२९५ से १२९७, १२९९ और १३०१ से १३०३ १२८५–१३०७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३०७–१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १२७४, १२७८, १२७९, १२८२, १२८६, १२९२, १२९४, १२९८, १३००, १३०४ से १३०७ और १३०९ से १३३० ... ... १३१०–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३३ से १०४३ और १०४५ से १०९९ १३२१–५०

दैनिक संक्षेपिका ... **१३५१–५४**

अंक २६—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३४, १३३७, १३३७-क, १३३८ से १३४५, १३४७ से १३४९, १३५२ से १३५४, १३५५, १३५६, १३५८ और १३६० ... ... १३५५–७६

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३ ... १३७७–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १३३३, १३३५, १३३६, १३४६, १३५०, १३५१, १३५४-क, १३५७, १३५९, १३६१ से १३९२ ... ... १३७९–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०० से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ से १२०६, १२०८ से १२१४ और १२१४-क ... १३९४–१४३७

दैनिक संक्षेपिका **१४३८–४३**

अंक २७—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ से १४००, १४०३, १४०६, १४०८, १४११ १४०७, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४२०, १४२०-क, १४२१, १४२४-क, १४२५, १४२६, १४२९ और १४३३ १४४५–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४०१, १४०२, १४०४, १४०९, १४१०, १४१२ १४१५, १४१७, १४१९, १४२२ से १४२४, १४२७, १४२८, १४३० से १४३२ और १११६ १४६९–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१५ से १२२५, १२२५-क, १२२६ से १२८४ १२८४-क और १२८७ से १३०४ १४७५–१५०५

दैनिक संक्षेपिका १५०६–१०

अंक २८—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ से १४३७, १४४० से १४४४, १४४५-क, १४४६, १४४७, १४४९ से १४५६, १४५८ से १४६० १५११–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४३४, १४३८, १४३९, १४४५, १४४८, १४५७, १४६१ से १४८१ और १४८३ ... १५३३–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०५ से १३४४, १३४४-क, १३४५ से १३६३ १५४३–६६

दैनिक संक्षेपिका ... १५६७–७०

अंक २९—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ १५७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १५७४

सत्र का संक्षिप्त वृत्तांत ... १५७५–७७

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

M29LSD—190—13-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टीपू सुल्तान के अवशेष

†*१०७४. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** +: **श्री भागवत झा आज़ाद** : **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री विश्वनाथ राय** : **श्री ब० द० पांडे** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ब्रिटेन से टीपू सुल्तान के अवशेष प्राप्त करने की व्यवस्था कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सविस्तार विवरण क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) निजी वस्त्र जिसमें बेल बूटे काढ़ा कोट, जरी के पाजामें और एक हैट है ;

(२) सोने की एक घड़ी (क्रानोमीटर वाच);

(३) सुल्तान की एक छोटी तस्वीर; और

(४) समकालीन भारतीयों के १८ रेखाचित्र ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह अवशेष ब्रिटेन की सरकार के पास हैं अथवा वहां के किसी ग़ैर-सरकारी व्यक्ति के पास ?

†**डा० म० मो० दास** : यह अवशेष ड्यूक आफ विलिंगटन के पास हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

M21LSD—1

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** ड्यूक आफ विलिंगटन ने उनको कैसे प्राप्त किया था ?

†**डा० म० मो० दास :** इस प्रश्न के उत्तर देने के लिये हमें १८वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती भाग के इतिहास का उल्लेख करना पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो केवल वर्तमान की बात चल रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उनका अर्जन कैसे हुआ था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें वापिस लाया जा रहा है। प्रश्न केवल यह है कि क्या वे टीपू सुल्तान के हैं अथवा नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हम केवल जानकारी मांग रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं कि ड्यूक आफ विलिंगटन ने उन्हें कैसे प्राप्त किया ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** उन्हें कैसे ले लिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार :** क्या सरकार उन्हें मुफ्त लेगी अथवा खरीदेगी ?

†**डा० म० मो० दास :** न वह उन्हें खरीदेगी और न मुफ्त हासिल करेगी। हम उन्हें जनरल वेलजली—जो बाद में पहला ड्यूक आफ विलिंगटन बना—की एक बड़ी तस्वीर के साथ अदल-बदल कर रहे हैं। वह तस्वीर मद्रास राजभवन में है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या यह अवशेष मैसूर राज्य के पास रहेंगे ?

†**डा० म० मो० दास :** अवशेष प्राप्त होने के बाद ही उस प्रश्न का निर्णय होगा।

पाकिस्तान से आये मुसलमानों को बसाना

†*१०७५. { **श्री गिडवानी**[+] :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मु० इस्लामुद्दीन : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में इस समय तक पाकिस्तान से आये हुए कितने मुसलमानों ने भारत में स्थायी रिहाइश के लिये प्रार्थना की है;

(ख) इन प्रार्थियों में से कितने पूर्वी पाकिस्तान से और कितने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र मंजूर किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९०९ (३० नवम्बर तक)।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान से १,८७० और पूर्वी पाकिस्तान से ३९ ।

(ग) पश्चिमी पाकिस्तान से ५११ और पूर्वी पाकिस्तान से ७ ।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच है कि भारत में कुछ पाकिस्तानी प्रजाजन असैनिक उपद्रव की दुघटनाओं में भाग लिये हुए पाये गये हैं तथा भारत के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का

---

†मूल अंग्रजी में ।

ध्यान इस ओर २३ अक्तूबर की अपनी उस चिट्ठी में दिलाया है जो उन्होंने उनकी ११ अक्तूबर वाली चिट्ठी के जबाब में लिखी थी ?

†**श्री दातार :** यह एक अत्यन्त ही सामान्य प्रश्न है ।

†**श्री गिडवानी :** मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी यहां आकर गड़बड़ करते हैं ?

†**श्री दातार :** सब के सम्बन्ध में ऐसा कहना उचित नहीं है ।

†**श्री गिडवानी :** मेरे कहने का आशय यह है कि उनमें से कुछ ऐसा करते हैं ।

†**श्री दातार :** कुछेक ने ऐसा किया होगा ।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच नहीं कि बहुत से पाकिस्तानी उस अवधि से ज्यादा यहां ठहरे हैं जिस के लिये कि उन्हें अनुमति थी अथवा वह वापिस पाकिस्तान जाने से इंकार करते हैं; तथा यदि यह सच है तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार :** कुछ मामलों में उन्होंने दण्ड पाकर जेल से बाहर आने पर पाकिस्तान वापिस जाने से इन्कार किया है; तथा कानून में त्रुटि होने के कारण ऐसा हो सका है । अतः भारत और पाकिस्तान के बीच बाद में एक करार हुआ जिसके अन्तर्गत उन्हें बाहर भेजने के लिये उच्च स्तर पर कोशिश की जाती है ।

†**श्री गिडवानी :** जब वह भारत आते हैं तो क्या सरकार उनकी गतिविधियों के बारे में चौकस रहती है ?

†**श्री दातार :** जब उनका आचरण संदेहात्मक हो, तो उन पर निगरानी रखी जाती है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार की कोयला खानों में काम करने वाले ४,००० मुसलमानों को हाल ही में नोटिस दिया गया है कि वह भारत से चाले जायें तथा यदि है, तो यह कार्यवाही किन परिस्थितियों में की गई है ?

†**श्री दातार :** मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के निर्देश में उन्हें भारत के किन परिस्थितियों में बस जाने की अनुमति दी गई है जबकि विस्थापित व्यक्तियों के देश में बसाने के लिये हमारे पास जगह नहीं ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न पर विचार किया गया तथा कुछ मामलों में, जहां कि कुछ परिवारों को इकट्ठा करना आवश्यक था, सीमित आधार पर पुनः संस्थापन की अनुमति देने के बारे में एक करार हुआ ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** ऐसे मुसलमानों की संख्या क्या है जो पाकिस्तान से आकर यहां उससे अधिक अवधि के लिये ठहर गये हैं जिसके लिये कि उन्हें अनुमति थी तथा जो दंड पाकर भारत से चले जाने से इन्कार करते हैं ?

†**श्री दातार :** यह एक सामान्य प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने बताया कि दोष सिद्धि के बावजूद मुक्त होने पर वह भारत से चले जाने से इन्कार करते हैं । ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है ? माननीय सदस्य यही कुछ जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती है। यह कुछ हज़ार होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ हज़ार ?

†**श्री दातार** : जी हां, कुछ हज़ार, ज्यादा नहीं। हज़ारों की संख्या ज्यादा नहीं समझी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के मतानुसार 'ज्यादा' कितने हुए।

†**श्री दातार** : अवश्य कुछ लोग बाहर भेजे जा रहे हैं यद्यपि विधि में कुछ त्रुटि होने के कारण वे निकाले नहीं जा सके। मैं यह बता रहा था कि दंड भुगतने के बात उन्हें बाहर भेजना होता है, किन्तु उन्हें भारत से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भारत में भेजना उचित नहीं समझा गया। अब हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं कि उनकी संख्या धीरे-धीरे कम हो।

†**श्री बीरेन दत्त** : पाकिस्तानी पासपोर्ट के बिना भारत आने वाले और भारत में पंजीयन कराने स इन्कार करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : मैं वह आंकड़े एकाएक नहीं दे सकता।

अमेरिकी सहायता

†*१०७६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये अमेरिकी आर्थिक सहायता क उपयोग की योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अमेरिकी सरकार वार्षिक आधार पर भारत को आर्थिक सहायता देती है। वह सहायता पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये काम में लायी जाती है। अमेरिकी वित्तीय वर्ष १९५७ (जुलाई, १९५६—जून, १९५७) क लिये संभाव्य सहायता के उपयोग के लिये परियोजनाएं अभी अन्तिम रूप से तय नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : सहायता की कुल राशि कितनी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : किस वर्ष के लिये ?

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : चालू वर्ष के लिये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : चालू वर्ष के लिये, वह तय नहीं की गयी है। सम्भव है कि वह ६ करोड़ के लगभग हो।

†**श्री अ० म० थामस** : अमेरिकी सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, क्या कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में कोई सहायता प्राप्त करने के लिये कोई बातचीत चल रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जो, हां। पी० एल० ४८०, के अधीन अमेरिकी सरकार के साथ हमने जो करार किया है, वह गेहुं, कपास, चावल, तम्बाकू आदि दिये जाने के सम्बन्ध में था।

†**श्री ति० सु० अ० चट्टियार** : फोर्ड प्रतिष्ठान और राकफेलर संस्था जैसी गैर-सरकारी संस्थाएं विश्वविद्यालय के लिये कुछ सहायता देती हैं। क्या वह भी अमेरिकी सहायता की इस योजना में शामिल है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : फोर्ड प्रतिष्ठान या राकफ़ेलर प्रतिष्ठान या अमेरिकी सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से हमें जो सहायता मिलती है वह सहायता की योजना में शामिल नहीं है ।

भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन

†*१०७७. { +श्री झूलन सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को लाभप्रद रोजगार दिलाना कहां तक संभव हुआ है; और

(ख) पिछले पांच साल में उस योजना पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जनवरी, १९५१ से ३० सितम्बर, १९५६ की अवधि में ९५,३४० भूतपूर्व सैनिकों को, जिनकी संख्या निम्नलिखित है, लाभप्रद रोजगार दिलाना संभव हुआ है :—

सरकारी/गैर-सरकारी सेवा में रोजगार	९२,४१२
भूमि बस्तियों में काम काज	२,०५७
व्यवसाय या प्रविधि का प्रशिक्षण	७८१
परिवहन सहकारी संस्थायें	९०
कुल	९५,३४०

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†श्री झूलन सिंह : क्या सरकार उन भूतपूर्व सैनिकों की, जिन्हें अभी रोजगार दिलाना है, एक मोटी संख्या बता सकती है ?

†सरदार मजीठिया : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि काफी सैनिक प्रतिरक्षा सैनाओं में सेवा के बाद हटा दिये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि रोजगार दिलाने के दफ्तर—एम्प्लायमेंट एक्सचेंज—जो कि पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन थे अब वे राज्य सरकारों के पास चले गये हैं और यह हो सकता है कि इस कारण भुतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने में कुछ ढील हो जाय ? क्या इसके बारे में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : जी, हां। उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है और उनको इंस्ट्रक्शन (हिदायत) दी गयी है कि जहां तक भी हो सके भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह (प्राथमिकता) दी जाये ।

†श्री बीरेन दत्त : क्या कोई सरकार, खासकर त्रिपुरा सरकार, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की कोई योजना लागू करने में असफल रही है ? क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करेगी ?

†सरदार मजीठिया : सरकार पूछ-ताछ करेगी ।

अनुसूचित जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

†*१०७८. श्री बर्मन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की चर्चा का सुझाव देने

†मूल अंग्रेजी में ।

के लिये, जैसा कि वर्ष १९५५ के लिये प्रतिवेदन (भाग १) के पृष्ठ २ पर पैरा ७ में व्यवस्था है, कोई कार्यवाही की गई है ?

†**गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भारत सरकार ने नवम्बर, १९५५ में इस आशय का एक सुझाव राज्य सरकारों को भेजा था। राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों में परिचालित करने के लिये, आयुक्त के प्रतिवेदन की प्रतियां राज्यों को दी जा रही हैं।

†**श्री बर्मन** : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया है कि नवम्बर, १९५५ में राज्य सरकारों के पास सुझाव भेजा गया था। उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**श्री दातार** : इतने जल्दी प्रतिक्रिया की आशा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि १९५५ का प्रतिवेदन इस वर्ष फरवरी या मार्च में किसी समय राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद ही उन्हें प्रतियां मिली होंगी। पुनर्गठन के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने अब तक कोई कार्यवाही की है या नहीं।

†**श्री बर्मन** : पैरा ७ की अंतिम पंक्ति में कहा गया है :

> "उससे राज्य विधान मण्डलों में (ऐसी चर्चा से) राज्य सरकारों को मेरे प्रतिवेदनों के लिये अधिक से अधिक सामग्री देने के लिये, जिससे कि पिछड़े वर्ग/जातियों की दशा सुधारने के लिये उनके द्वारा की गयी सभी कार्यवाही का उल्लेख किया जा सके, प्रोत्साहन भी मिलेगा।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को इतना धन दे रहा है, सरकार ने इस ओर ध्यान देने के लिये, कि राज्य सरकारें अपनी कार्यवाही के प्रतिवेदन विशेष पदाधिकारी को प्रस्तुत करें, क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार** : केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त को सभी सहायता देने के लिये राज्य सरकारों से कई बार कहा है। हमने उनसे समय-समय पर प्रगति-विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिये भी प्रार्थना की है।

†**श्री बर्मन** : अब केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मंत्रणा निकाय बनाये हैं। क्या सरकार राज्यों में भी ऐसे मंत्रणा निकायों की स्थापना के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

विदेश छात्रवृत्ति योजना

†*१०७९. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ण प्रदत्त विदेश-छात्रवृत्ति योजना अब अन्तिम रूप से तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री डाभी** : विवरण में कहा गया है :

"इन छात्रवृत्तियों में, विदेश में अपना अध्ययन पूरा करने छात्रों के भारत लौटने पर उन्हें बाद में रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रत्याभूति नहीं है। चुने गये छात्रों को विदेश में अपना अध्ययन/प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कम से कम ५ वर्ष भारत में रहना होगा।"

यदि भारत में उन्हें रोजगार नहीं मिला और यदि उन्हें वहां अध्ययन करना आवश्यक हो, तो वे क्या करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे भारत सरकार द्वारा काम पर नहीं रखे जाते ।

†**डा० म० मो० दास** : उद्देश्य तो यह है कि उन्हें अन्यत्र भी रोजगार मिल सकता है, ताकि देश उनकी सेवाओं से वंचित न हो ।

†**श्री डाभी** : छात्र कब और किस प्रकार चुने जायेंगे ?

†**डा० म० मो० दास** : छात्र संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा चुने जायेंगे । आशा है कि आयोग इस महीने के अन्तिम सप्ताह में उम्मीदवारों से भेंट करेगा ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों का इस देश में उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है । विदेशों में बहुत उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन लोगों के उचित उपयोग के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० म० मो० दास** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसका पहला भाग मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मननीय मंत्री का यह मतलब है कि विदेशों से लौटे हुए सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : उनमें से अधिकतर लोगों को रोजगार दिया गया है । संभव है कि वह सरकार क अधीन न हों । उन्हें अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं में रोजगार मिल गये हैं ।

"आनलुकर"

†*१०८२. **श्री साधन गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से प्रकाशित होने वाला पत्र "आनलुकर" के प्रत्येक ग्राहक क नाम, जो २४ वर्ष का वार्षिक चन्दा दे, १२,५०० रुपये का बीमा जारी करता है; और

(ख) यदि हां, तो यह बीमा कहां कराया जाता है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) बीमा विभाग को दी गयी जानकारी क अनुसार पत्र "आनलुकर" ने ऐसे प्रत्येक चन्दादाता के लिये जो कम से कम एक वर्ष का चन्दा दे, ५,००० रुपये के बीमे की व्यवस्था की है । १२,५०० रुपये तक धनराशि बढ़ाने की सरकार को कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) बीमे बम्बई की अल्को बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी किये गये हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार जानती है कि "आनलुकर" लंका रेडियो के जरिये बराबर इस आशय का प्रचार करता रहता है कि २४ रुपये का वार्षिक चन्दा देने वाले प्रत्येक चन्दादाता को १२,५०० रुपये का बीमा निशुल्क प्राप्त होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० च० शाह** : हमें कोई जनकारी नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : जब कि जीवन बीमा व्यवसाय निगम ने ले लिया है, एक गैर-सरकारी बीमा कम्पनी किस प्रकार ये बीमे जारी करती है ?

†**श्री म० च० शाह** : वह जीवन बीमा नहीं है, वह सामान्य बीमा है ।

गजेटियरों का संशोधन

*१०८३. { +**श्री भक्त दर्शन** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजेटियरों में संशोधन करने के बारे में नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिशों और कार्यवाही के सारांश तथा उन पर सरकार के निर्णय की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा ३१ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८८ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन की पूर्त्ति में सभा-पटल से बदलने के लिये इसकी कार्यवाही की एक प्रति ता० २९ नवम्बर, १९५६ को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है ।

क्या मैं अंग्रेजी उत्तर भी पढ़ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां ।

[अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनको पूरा करने में कुल कितना खर्चा लगेगा और गवर्नमेंट को कब तक आशा है कि यह गजेटियरों के संशोधन का काम पूरा हो जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में सभी जानकारी दी हुई है । माननीय सदस्य ने ३१ अगस्त को एक प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में हमने यह सब जानकारी दी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत सी राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार इस बारे में पहले ही ज़िला समितियां बना चुकी है और एक कमेटी नियुक्त कर चुकी है तो क्या इस कमेटी की सिफारिश के बाद उनको इस काम से रोक दिया जायगा या उनमें संशोधन किया जायगा या कोई युनिफार्म प्लान (एक सी योजना) सारे देश के लिय बनाया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक समिति का सम्बन्ध है, उसने एकसी योजना की सिफारिश की है । यदि राज्य सरकारें इस काम क लिये कोई केन्द्रीय सहायता चाहती हों, तो हमें सामने आना होगा ।

†**श्री ब० द० पांडे**: क्या यह सच है कि कुछ जिलों में गजेटियर तैयार करने का काम ऐसे लिपिकों को दिया जाता है जो कि ठीक तौर पर काम नहीं जानते ? योग्य संपादक नियुक्त नहीं किये जाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हमारा उत्तरदायित्व केवल राष्ट्रीय गजेटियर्स अर्थात ऐसे गजेटियर्स जिनमें संपूर्ण भारत सम्बन्धी विभिन्न विषयों का विवेचन होता है, लिखना होता है। जहां तक जिला गजेटियरों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें उन्हें तैयार करेंगी और वह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों को इन गजेटियरों को तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : वह जानकारी पहले दी जा चुकी है।

बर्मा को ऋण

†*१०८७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा को स्वीकृत किये गये बीस करोड़ रुपये के ऋण में से उसने कुछ भी राशि नहीं निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) बर्मा सरकार ने ऋण का उपयोग न करने के कोई विशिष्ट कारण नहीं बताये हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या इस राशि में से बर्मा को कुछ राशि पहले दी जा चुकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने कहा है कि नहीं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उस ऋण में से कुछ भी राशि नहीं निकलवाई गई है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम बर्मा से चावल तथा अन्य चीजें आयात कर रहे हैं। कल एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि भुगतान नकद रुपयों में किया जायेगा। जो चावल आयात किया जायेगा उसका भुगतान नकद रुपयों में किया जायेगा, अथवा नये ऋण में उसका समायोजन किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऋण नहीं दिया गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इसीलिये मैं पूछ रही हूं कि स्थिति क्या है ? जिस चावल का निर्यात किया जाने वाला है क्या उसका मूल्य नकद रुपयों में चुकाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बर्मा ऋण के बजाय नकद रुपया चाहता है। स्थिति यह है।

†**श्री हेडा** : क्या यह सम्भव है कि चूंकि जो चावल हम आयात कर रहे हैं उसका मूल्य नकद रुपयों में चुकाया जायेगा इस कारण उन्हें और ऋण की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि एक का दूसरे से सम्बन्ध नहीं है। बर्मा और भारत के बीच जो व्यापारीक लेन-देन हो रहा है उसका ऋण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि मेरा राज्य बर्मा को झींगा मछली निर्यात करने पर कहां तक निर्भर करता है। उन्होंने इस बारे में क्या किया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन से बर्मा को झींगा मछली निर्यात करना राज्य की अर्थ-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण मद है। मैं नहीं समझता कि उसे हम जो ऋण देंगे उससे इसका क्या सम्बन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बोकारो इस्पात कारखाना

*१०८८. { + श्री विभूति मिश्र :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो के इस्पात कारखाने की स्थापना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि इस समय सरकार के समुख रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी संयंत्र को स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। बोकारो में इसका इस्पात संयंत्र स्थापित करने की दृष्टि से उसका विकास उसी प्रकार करने का विचार है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कौन से निर्देश दिये हैं कि कौन-कौन-सी चीजें वहां डेवलप (विकास) की जायें जब कि यह बोकारो का स्टील प्लांट (इस्पात संयंत्र) वहां पर लगाया जाये ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मामल की जांच पड़ताल की जा रही है । हम उस स्थान का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले पर कार्य किया जा रहा है । वहां कौन-से उद्योग स्थापित किये जा सकगे यह ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार हमें यह बता सकेगी कि बोकारो संयंत्र कितने समय में स्थापित हो जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह भी बताना कठिन है। किन्तु नया संयंत्र स्थापित होन में इस काल से और कितना समय लगेगा वह तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ कहा जा सकता है ।

कांगड़ा में तल निकालना

†*१०८९. **श्री बंसल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में भूमि में छेद करने पर किसी स्थान पर तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि में और कितना तल पाय जाने का अनुमान लगाया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कांगड़ा जिले में छेद करने का काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि कांगड़ा के अलावा और कौन-कौन-से स्थान इस ड्रिलिंग आपरेशन (छेद करने) के वास्ते चुने गये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो कांगड़ा के ही सम्बन्ध में है और उसका उत्तर मैंने दे दिया है, अब कांगड़ा के अलावा और कहां-कहां यह करना है इसक लिये मुझे नोटिस (पूर्व सूचना) चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विश्व बैंक

†*१०९०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने हाल ही में कलकत्ता पत्तन का दौरा किया था; और

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने कलकत्ता के नीचे हुगली पर एक सहायक पत्तन की स्थापना करने की सिफारिश की है जिसके लिये बैंक रुपया उधार दे सकता है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व बैंक विशेषज्ञों ने केवल यह सिफारिश की थी कि इस प्रकार के पत्तन के खोलने की सम्भाव्यता की जांच करना लाभदायक होगा । इसके लिये बैंक ऋण का प्रश्न तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि भारत सरकार इस सिफारिश पर विचार करके इस बारे में अन्तिम निर्णय न कर ले ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सरकार ने उस बात के बारे में कोई कार्यवाही की है जिसका उन्होंने सरकार से उल्लेख किया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा विचार है कि सम्बन्धित मंत्रालय इस मामले पर और आगे छान-बीन कर रहा है । मैं समझता हूं कि हम लोग उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं कि मैं यह कह सकूं कि हमने या तो वहां पत्तन स्थापित करने का निश्चय कर लिया है अथवा इस विचार को रद्द कर दिया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रश्न पर चर्चा की जा चुकी है और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण थे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा विचार है कि इस मामले पर दूसरे सदन में हुई चर्चा में सम्बन्धित मंत्रालय ने उत्तर दिया था । मैं यह नहीं बता सकता कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर चर्चा की गई थी । सारा विवाद विश्व बैंक के दल द्वारा बिना किसी विशेष उद्देश्य के उल्लेख किये जाने पर उत्पन्न हुआ जो भारत आया था और जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि हम एक सहायक पत्तन की सम्भाव्यता की जांच करें । मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं है कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उनसे सम्बन्धित मंत्रालय को इस बात का विश्वास हो गया है कि इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करने से लाभ होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या परिवहन मंत्रालय से वित्त मंत्रालय को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और धन की कमी के कारण यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : धन की कमी के कारण कोई भी उपयोगी योजना छोड़ी नहीं जा रही । जहां तक मैं समझता हूं, मैंने परिवहन मंत्रालय से इस प्रकार की योजना के बारे में कोई फाइल नहीं देखी है ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गाडिलिंगन गौड़ : अनुपस्थित ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय : यह महत्व-पूर्ण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बाद में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हो सकता है कि बाद में इसका नम्बर न आये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं असमर्थ हूं । उसे रहने दीजिये । अगला प्रश्न ।

केरल में जेनमीकोरम भूमि पर मूल भूमि कर

†***१०९५. श्री वें० प० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के शासन के अधीन केरल राज्य सरकार केरल की जेनमीकोरम भूमि पर बाकी 'कथित' मूल भूमि कर वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि पहले वाली सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी ऐसी कार्यवाही भूमि सुधार हो चुकने तक स्थगित कर रखी थी; और

(ग) अब भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार के शेष लगान को वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रावनकोर-कोचीन भूमि कर अधिनियम, १९५५ के अधीन मूल भूमि कर जेनमम भूमि से वसूल किया जा रहा है, जो केरल राज्य के त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में लागू है । कर का भुगतान करना विधि विहित आभार है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि इस प्रकार के लगान वसूल करने में, अब सरकार राजस्व वसूली अधिनियम के दमनकारी उपबन्धों का प्रयोग कर रही है और कुछ वर्षों से जब से कृषि पदार्थों के मूल्य लगातार गिरते चले जा रहे हैं, सरकार किसानों की चल वस्तुओं की कुर्की करवा रही है—जैसा कि वह स्वीकार करती है ?

†**श्री दातार** : वास्तविक ब्योरे का मुझे पता नहीं है किन्तु उपयुक्त मामलों में इन उपायों का सहारा लेना पड़ा है ।

†**श्री वं० प० नायर** : क्या पहले वाली सरकार, कांग्रेस की सरकारों और प्रजा समाजवादी दल ने कुछ अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए ये मूल भूमि कर वसूल करने के बारे में आगे की कार्यवाही रोक रखी थी और मूल भूमि कर वसूल न किये जाने का उनका बड़ा न्यायोचित मामला है ?

†**श्री दातार** : इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् अधिनियम के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया था कि यह कर सभी भूमियों पर दिया जायेगा । इसके पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या कोई भूमि ऐसी भी है जिस पर बिल्कुल लगान नहीं लिया जायेगा । कुछ भूमि पर लगान नहीं लगाया गया किन्तु बाद में यह विमुक्ति समाप्त कर दी गई और यह निश्चय किया गया कि इस प्रकार का लगान सारी भूमियों पर नहीं वसूल किया जाना चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर** : पिछले वर्ष जनमीकोरम भूमि पर कुल कितना मूल भूमि कर वसूल किया गया था ?

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े नहीं ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० म० थामस** : जब मूल भूमि कर प्रत्येक वर्ष वसूल किया जाता है तो फिर यह बकाया कैसे रह गया और कितना बकाया है ?

†**श्री दातार** : मुझे यह विदित नहीं कि कितना लगान बकाया है किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ भूमि पर लगान नहीं लिया जाता था किन्तु बाद में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस कारण कुछ मालों में बकाया का प्रश्न उठा होगा।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या केरल राज्य के त्रावनकोर क्षेत्र में किसी और प्रकार की भूमि भी है जिसपर सरकार मूल भूमि कर तथा जेनमीकोरम जैसे कर वसूल कर सकती है जो मूल भूमि कर के बराबर ही होता है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान अधिनियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिस में कुछ प्रकार की भूमि को कर से विमुक्त करने की शक्ति दी गई है। वहां किस प्रकार की भूमि है, इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

सैनिक आयुध स्कूल, जबलपुर

†*१०९७. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना आयुध स्कूल, जबलपुर के कुछ सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी निधि जैसे सेना की नकदी और सामान आदि के ग़बन के बारे में मुकदमा चलाया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनका पद क्या है; और

(ग) कुल कितनी राशि का मामला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) १२—एक कर्नल, चार कैप्टेन, एक सूबेदार, एक जमादार और पांच नान-कमिशन्ड अफसर; इनके अतिरिक्त लेखा परीक्षा विभाग के चार कर्मचारी भी हैं।

(ग) १,४८,६१५ रुपये ३ आने।

†**श्री गिडवानी** : जांच-पड़ताल कब आरम्भ हुई और कब पूरी हुई।

†**सरदार मजीठिया** : क्रमशः १९५४ और १९५६ में।

†**श्री गिडवानी** : उनपर आरोप क्या लगाये गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : ग़बन और झूठा हिसाब-किताब रखना।

†**श्री गिडवानी** : क्या मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ हो गई है और यदि हां, तो कब से ?

†**सरदार मजीठिया** : इस मामल की जांच करने के लिये जबलपुर में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और सुनवाई आरम्भ हो गई है।

†**श्री ब० द० पांडे** : यह दीवानी अभियोग है अथवा सैनिक न्यायालय ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैं कह चुका हूं एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अतः यह दीवानी अभियोग है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अनुसूचित जाति कल्याण कार्य

†*१०९९. **श्री ई० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालाबार में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों के लिये आवंटित किया गया धन अथवा उसका कुछ अंश १९५५-५६ में व्यपगत हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में मन्त्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

†**श्री ई० ईयाचरण** : विवरण में यह कहा गया है कि "अस्पृश्यता निवारण योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की सुविधाओं के लिये व्यवस्था" मद में बचत का कारण राज्य सरकारों से योजना का देरी से प्राप्त होना और उपयुक्त ठेकेदारों का न मिलना है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि हरिजनों को ये सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

†**श्री दातार** : यह अभिकरण मद्रास राज्य सरकार का था क्योंकि मालाबार मद्रास सरकार के अधीन था; परन्तु कुछ मामलों में हम गैर-सरकारी अभिकरणों का भी उपयोग करते हैं ।

†**श्री दामोदर मेनन** : विवरण में उपयुक्त ठेकेदारों का न मिलना एक कारण बताया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कुयें बनाने के लिये सरकार इस रकम का उपयोग किस प्रकार करती है । क्या वे इसके लिये ठेकेदार लगाती है अथवा सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों को इस रकम का उपयोग करने दिया जाता है जिन को कुओं की आवश्यकता है । मैं वास्तविक प्रणाली जानना चाहता हूं ?

†**श्री दातार** : दुर्भाग्य से ५७,००० रुपयों में से उन्होंने बहुत ही कम रकम खर्च की है । मुझे बहुत दुःख है कि ठेकेदार न मिलने से यह रकम खर्च नहीं की जा सकी । ठेकेदार गैर-सरकारी ठेकेदार थे जिन की सेवायें राज्य सरकार उपयोग में लाना चाहती थी ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को यह समाचार प्राप्त हो गया है कि अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध को अपनाये जाने के लिये केन्द्रीय विधान के होते हुये भी मालाबार में जहां कि अस्पृश्यता अत्यधिक व्यापक है शासन प्रबन्ध इस बुराई को दूर करने के बारे में उदासीन है ?

†**श्री दातार** : यह न सोचा जाये कि मद्रास सरकार इस सम्बन्ध में लापरवाह थी । जो कुछ हुआ है उसका कारण उपयुक्त ठेकदारों का न मिलना ही है । यह विवरण में ही बता दिया गया है ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह वास्तव में सोचनीय बात नहीं है कि पीने के पानी के लिये खच की जानेवाली रकम ठेकेदारों क न मिलने से व्यपगत हो जाये ? क्या सरकार ने सम्बन्धित पक्षों को काम सौंपने या उसे विभाग से करवाने की व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया है ?

†**श्री दातार** : मैं आशा करता हूं कि केरल की नई सरकार इस सम्बन्ध में उचित सावधानी बरतेगी ।

†**श्री धुसिया** : क्या रकम के व्यपगत होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया था कि उपयुक्त ठेकेदार नहीं मिलते, यदि बताया था, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

†**श्री दातार** : केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री धुसिया** : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने लिखा था अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : राज्य सरकार ने ही हमें यह सूचना दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न ।

†**श्री धुसिया** : मैं जानना चाहता हूं.........

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्रीय सरकार को यहां से ठेकेदार भेजने होंगे ?

†**श्री धुसिया** : केवल एक प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब एक भी प्रश्न नहीं ।

ग्रामीण संस्थायें

*११०५. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान कब तक मिलता रहेगा; और

(ख) इन संस्थाओं की परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार होगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) द्वितीय योजना अवधि के लिये ।

(ख) अन्तिम परीक्षा, ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित होगी ।

श्री खू० चं० सोधिया : यह जो अनुदान दिया जा रहा है, वह पांच साल के लिये है या हर साल इतना मिलता जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो सहायता मिलेगी वह हर साल दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : अलग-अलग राज्यों में जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं, उन में सामन्जस्य स्थापित करने के लिये, अर्थात् कोआर्डिनेशन करने के लिये क्या कोई केन्द्रीय संस्था बनाई जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, नेशनल कौंसिल आफ रूरल एजुकेशन ।

†**श्री राघवैया** : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कोई ग्रामीण संस्थायें हैं जिन के लिये भी अनुदान दिये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे मालूम है, आन्ध्र में एक भी नहीं है ।

†**श्री राघवैया** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की देहाती संस्थाओं को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा गया अथवा आन्ध्र प्रदेश में ऐसी संस्थायें शुरू करने के लिये कोई उपक्रम क्यों नहीं किया गया अथवा सम्भावना क्यों नहीं सोची गई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ऐसा करना चाहिये और अनुदान की मांग करनी चाहिये । राज्य सरकार संस्थायें स्थापित करती है और केन्द्र से अनुदान की मांग करती है ।

†**श्री राघवैया** : सरकार ने उन्हें ऐसी संस्थायें स्थापित करने के लिये हिदायतें दी ही होंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस देश में एकात्मक शासन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : समिति ने उच्च ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में उन सभी संस्थाओं का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया जिन की राज्य सरकारों ने सिफारिश की है। जहां तक मुझ स्मरण है, आन्ध्र सरकार ने उस समय ऐसी किसी संस्था को सिफारिश नहीं की।

†अध्यक्ष महोदय : आन्ध्र विधान सभा में २५० सदस्य हैं।

†श्री राघवैया : मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार की कोई ऐसी नीति है जिस के अनुसार वह यह देखे कि विभिन्न राज्यों में ये ग्रामोण संस्थायें स्थापित की जायें जिन के लिये केन्द्रीय सरकार अनुदान दे सके और ग्रामीण लोगों के विकास के लिये इस मत को फैला सके।

†डा० का० ला० श्रीमाली : भारत सरकार द्वारा किया गया यह एक सीमित प्रयोग है। उन्होंने १० संस्थाओं को उच्च ग्रामीण शिक्षा संस्था के दर्जे में बढ़ाने का निश्चय किया है। यदि योजना की प्रगति हुई तो सम्भव है कि और संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाये परन्तु फिलहाल इस योजना में और अधिक संस्थायें बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री राघवैया : क्या मैं जान सकता हूं..........

अध्यक्ष महोदय : इसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। माननीय सदस्य अपनी सरकार को इस प्रकार की संस्थायें खोलने के लिये प्रेरित करें और उन्हें केन्द्र से अनुदान मिलेगा। आखिर केन्द्र ये सारी बातें कैसे कर सकता है।

अन्दमान द्वीपों में बसाना

†११०८. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों से अन्दमान द्वीप में ३० नवम्बर, १९५६ तक कितने कुटुम्ब बसाये गये हैं ?

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से अप्रवासित कुटुम्बों को अन्दमान द्वीप में बसाने के लिये क्या कोई खास प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) क्या इन कुटुम्बों को भारत सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क)

	कुटुम्ब
(१) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	१,२८२
(२) त्रावनकोर-कोचीन (अब केरला)	११४
(३) मद्रास ...	४
(४) बर्मा से निष्कासित व्यक्ति	५
कुल	१,४०५

(ख) हां।

(ग) प्रत्येक बसने वाले कुटुम्ब को वसूल किये जाने वाले १,७३० रुपये का ऋण लेने का हक है जिस से कि वह घर बनाने, बैल, रसोई के बर्तन, बीज और खाद खरीदने का खर्च पूरा कर सके। उसे १,०५० रुपयों के प्रसादतः अनुदान का भी हक है जिस से वह पहली फसल आने तक अपना गुजारा कर सके और मुख्य भूमि से अन्दमान तक आने का यात्रा खर्च पूरा कर सके।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं पाकिस्तान से अप्रवासित और वहां भेजे गये कुटुम्बों का प्रतिशत जान सकता हूं ?

†**श्री दातार** : आप किस सम्बन्ध में प्रतिशत चाहते हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अन्य कुटुम्बों से प्रतिशत ?

†**श्री दातार** : जैसा कि मैंने कहा, यह मुख्यतः पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये था । इसके बाद, यह कहा गया कि अन्य राज्यों से भी अप्रवास की व्यवस्था होनी चाहिये अतएव इन बसने वालों में शेष भारत से बहुत कम प्रतिशत है ।

†**श्री मात्तन** : क्या मन्त्री महोदय अन्दमान जाने वालों के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन से आकर बसने वाले लोग दूसरों की तुलना में अच्छी तरह खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपनी जमीनों का अच्छा विकास कर रहे हैं ? यदि ऐसा है, तो भूतपूर्व सलाहकार श्री पी० एस० राव के इस प्रस्ताव के बारे में उनकी क्या राय है कि उस राज्य से और अधिक बसने वालों के लिये दो अलग द्वीप रखे जायें ?

†**श्री दातार** : जहां तक त्रावनकोर-कोचीन से आकर बसने वालों का सम्बन्ध है, वे अच्छी तरह हैं, परन्तु उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में चाहते हैं । वास्तव में २२० कुटुम्बों की व्यवस्था की गई थी परन्तु केवल ११४ कुटुम्ब ही गये हैं ।

छावनी बोर्ड

***११११. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री १७ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन १२ छावनी बोर्डों मे से किन-किन की तदर्थ समितियों की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या उन तदर्थ समितियों की सिफारिशों और उनके बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की प्रतियां पटल पर रखी जायेंगी; और

(ग) शेष छावनी बोर्डों की तदर्थ समितियों की सिफारिशों के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय होने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नसीराबाद, पचमढ़ी और लखनऊ छावनियां ।

(ख) इन तीन छावनियों के बारे में एड हाक कमेटी की सिफारिशों और किये गये फैसलों के छोटे-छोटे विवरण सभा के पटल पर रख दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) बाकी ६ छावनियों के बारे में एड हाक कमेटी की सिफारिशों पर, मुकामी सैनिक अधिकारियों के मशवरे से, सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और आखिरी फैसला जितनी जल्दी हो सकेगा, किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले दो-ढाई वर्षों से इन सुझावों पर विचार हो रहा है और यदि यह सत्य है तो वह कौन-सी खास अड़चनें हैं जिनकी वजह से इतनी देरी हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार मजीठिया :** माननीय सदस्य देखेंगे कि ३३ मामलों में से २४ मामले पहले ही तय हो चुके हैं केवल ९ मामले ही बचे हैं। बहुत अधिक समय नहीं लगा विशेषकर उन जटिलताओं को ध्यान में रखत हुये जो सिफारिशों के स्वीकार किये जाने पर छावनी बोर्डों की आर्थिक स्थिति और सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में उत्पन्न होंगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान पार्लियामेंट का जीवन समाप्त होने से पहले-पहले इनके बारे में कोई निर्णय हो जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं बता सकता । परन्तु जैसा मैंने हका है, हम यथासम्भव शीघ्र निर्णय करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हेडा :** मैं समझता हूं कि दक्षिण में सिकन्दराबाद की छावनी सब से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मैं इस छावनी के सम्बन्ध की सिफारिशें जान सकता हूं और यह जान सकता हूं कि वे कब कार्यान्वित की जायेंगी ?

†**सरदार मजीठिया :** इस समय मेरे पास सिकन्दराबाद के बारे में कोई सूचना नहीं है, परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा ।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम यथा सम्भव तदर्थ समिति की सिफारिशों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। केवल विशेष कठिनाइयों के मामलों में अर्थात् जब हम यह महसूस करते हैं कि हमें अधिक सहायता अनुदान देना होगा, हम उनकी सिफारिशों को मानने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं ।

राजस्थान की सीमा से चोरी छिपे माल लाना ले जाना

*१११२. { + **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प० ला० बारूपाल : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के रामगढ़, नचना, जैसलमेर, मनवा, गण्डर रोड, विसुन्दरा, अनूपगढ़, नागौर, पौकरन, आदि स्थान कपड़ा, चीनी, बीड़ी, मवेशी आदि चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाने के मुख्य केन्द्र बन गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्थानों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का माल चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा-व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** (क) और (ख). चोरी छिपे कितना माल लाया-ले जाया जाता है इसका ठीक-ठीक कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। न ही यह निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि चोरी छिपे माल ले जाने के मुख्य-मुख्य केन्द्र कौन-से हैं। प्रश्न के भाग (क) में जिन नगरों और गांवों का उल्लेख है वे पाकिस्तानी सीमा से प्रायः २० से ५० मील की दूरी पर हैं और अधिकतर चीजों का वितरण जैसे वस्त्र, चीनी, बीड़ी, मवेशी, जिन का इन केन्द्रों में व्यापार होता है, स्थानीय जनता की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये होता है। सरकार की जानकारी के अनुसार, यह सम्भव है कि कुछ मात्रा में वे वस्तुयें पाकिस्तान की सीमा से चोरी छिपे लायी-ले जायी जाती हों, किन्तु उनका मूल्य कुछ लाख रुपयों से अधिक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) ऐसी कार्यवाही रोकने के लिये सरकार ने जो भी मुख्य कार्य किये हैं, उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१**]

†**डा० राम सुभग सिंह :** मन्त्री महोदय ने बताया है कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में ठीक-ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है किन्तु उसमें कुछ ही लाख रुपये के मूल्य का माल चोरी छिपे ले जाया जाता है। वह कुछ लाख रुपये प्रति वार्षिक या मासिक या दैनिक है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** कुछ लाख रुपये प्रति वार्षिक, न कि दैनिक।

†**श्री कामत :** क्या मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान के समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों की ओर, खासकर इस समाचार की ओर, गया है कि यह अवैध किन्तु लाभदायक व्यापार करने वाले कुछ लोग राजस्थान के कुछ शक्तिशाली लोगों के साथ मिले हुये हैं और इसी कारण वे गिरफ्तार नहीं किये जा सके ?

†**श्री अ० चं० गुह :** राजस्थान के समाचार पत्रों के वे समाचार मैंने नहीं देखे हैं। किन्तु यदि माननीय सदस्य को कोई खास जानकारी मिली हो तो वह हमें बता सकते हैं और हम निश्चय ही उसका स्वागत करेंगे।

†**श्री कास्लीवाल :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े दे सकती है कि चोरी छिपे माल लाने-ले जाने के सम्बन्ध में पिछले तीन साल में कोई गिरफ्तारी हुई है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** जब चीजें बरामद हुई थीं, तो कुछ लोग ज़रूर गिरफ्तार किये गये होंगे, क्योंकि वह कुछ व्यक्तियों से ही बरामद हुयी होंगी और इसलिये वे व्यक्ति भी साथ ही साथ अवश्य गिरफ्तार किये गये होंगे।

†**श्री हेडा :** "अवश्य किये गये होंगे" यह सवाल नहीं है। हमें ठीक-ठीक जानकारी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार का हिन्दी में पत्र-व्यवहार

***१११८. श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के १९५५-५६ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ ४८ पर किये गये एक उल्लेख के अनुसार क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों के साथ, जिन्होंने हिन्दी को अपनी सरकारी भाषा के रूप में अपनाया है, अपने पत्र-व्यवहार में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी को भी अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसे कब से अपनाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब से अपनाये जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में मन्त्री (श्री दातार)** : (क) (ग) और (घ). राज्य सरकारों के साथ, जिन्होंने हिन्दी को सरकारी भाषा के रूप में अपना लिया है, पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है किन्तु सुविधानुसार उन पत्रों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाता है।

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा भूतपर्व मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री खू० चं० सोधिया : यह अनुवाद का भेजना कब तक जारी रहेगा ?

श्री दातार : जब तक प्रेजिडेंट साहब (राष्ट्रपति) का सर्क्युलर (परिपत्र) अमल में (लागू) रहेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं राज्य सरकारों ने यह भी मांग की है कि उन के साथ केवल हिन्दी माध्यम के द्वारा पत्र-व्यवहार किया जाये ?

श्री दातार : अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार होता है और उसके साथ हिन्दी अनुवाद भी रहता है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछना चाहते हैं कि क्या हिन्दी में ही केवल पत्र-व्यवहार करने के लिये किसी राज्य सरकार ने कहा है ?

श्री दातार : दोनों ही चाहिये ।

आय-कर जांच आयोग

†*१११९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर जांच आयोग की अवधि ३१ दिसम्बर, १९५६ के आगे बढ़ा दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने काल के लिये ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मन्त्री (श्री म० च० शाह)** : (क) भारत सरकार उस विषय पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदशी मुद्रा की रक्षित निधि

†*११२०. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : + **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५६ को विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि कितनी थी; और

(ख) वह १ दिसम्बर, १९५५ में कितनी थी ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) अन्तिम महीना जिस के लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, अर्थात् अक्तूबर, १९५६ के आखिर में, भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि ६८८·६५ करोड़ रुपये थी । फिर भी, नवम्बर, १९५६ के आखिर में, ५३६·५३ करोड़ रुपये पौंड-पावना था जो इस रक्षित निधि का एक बड़ा भाग होता है ।

(ख) नवम्बर, १९५५ के आखिर में, मुद्रा की विदेशी रक्षित निधि ७९७·६४ करोड़ रुपये थी और पौंड-पावना ७१९·६९ करोड़ रुपये थी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि हमारी विदेश मुद्रा की निधि काफी कम हो गयी है और हमने उसमें से बहुत-सी मुद्रा निकलवा ली है। इस विदेश मुद्रा की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार कौन-से विशेष पग उठा रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह ठीक है कि विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में कमी हुई है। और जैसा कि कई बार कहा गया है स्थिति को ठीक करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। जो वस्तु

†मूल अंग्रेजी में ।

योजना के लिये आवश्यक नहीं उसके आयात पर रोक लगायी जा रही है। इस में इस बात की भी चेष्टा की जा रही है कि निर्यात बढ़े ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्योंकि स्टर्लिंग मुद्रा-क्षेत्र में सोना और डालर की रक्षित निधि में काफी कमी हो रही है, इस से क्या हमारी स्टर्लिंग निधि पर कुछ प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यही हमारी विदेशी मुद्रा निधि की जान है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे विचार में इस पर प्रश्न आगे आ रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर एक अलग अल्प-सूचना प्रश्न आ रहा है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : किसी भी हालत में, स्टर्लिंग क्षेत्र की स्थिति जो कुछ भी हो, वह हमारी स्टर्लिंग की रक्षित निधि के स्थायीत्व से प्रकट होती है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह सत्य है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से मुद्रा खरीदने के लिये प्रार्थना की है। यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह ऐसी चीज है जिस के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर योजना बनानी पड़ती है। परन्तु मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि यह कह सकूं कि मैंने प्रार्थना की है क्योंकि मैंने की नहीं । परन्तु हर समय हमारे मन में यह बात रहती है कि आवश्यकतां पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से हम कुछ सहायता प्राप्त कर सकें ।

†**श्री साधन गुप्त** : विदेशी रक्षित मुद्रा में स्टर्लिंग के बाद कौन-सी रक्षित निधि का महत्व है। यदि वह डालर हैं, तो इस रक्षित निधि की राशि क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक सरकारी रक्षित निधि का सम्बन्ध है, वह सब स्टर्लिंग में ही है ।

†**श्री क० प० त्रिपाठी** : विदेशी व्यापार संस्थाओं तथा लाभांशों की बिक्री से गत वर्ष कितनी पूंजी का प्रत्यादान हुआ है और इससे हमारी स्टर्लिंग रक्षित निधि पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस समय मैं ठीक आंकड़े तो नहीं प्रस्तुत कर सकता परन्तु, यह सामान्य प्रत्यादान हमारी आशा से बहुत कम अर्थात् १२ करोड़ रुपये वार्षिक है ।

†**श्री क० च० सोधिया** : स्टर्लिंग की रक्षित निधि कम से कम कितनी होनी चाहिये, जिस के बिना काम नहीं चल सकता ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य को पता होगा कि कुछ समय पूर्व हमने रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन किया था और सभा ने यह निर्णय दिया था कि यह निधि कम से कम ४०० करोड़ रुपये होनी चाहिये ।

किरधिजिया में बौद्ध मन्दिर

†***११२१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूस में किरधिजिया में चू घाटी के एक बैशिम नामक स्थान पर सातवीं शताब्दी के बौद्ध मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अवशेषों के सम्बन्ध में सोवियत रूस सरकार के पुरातत्व विभाग से कोई जानकारी मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो वह जानकारी क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जो कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है इसके अतिरिक्त सरकार के पास इस खोज के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ।

(ख) और (ग). पूछ-ताछ की गयी है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार इन अवशेषों का सविस्तार पता लगाने के लिये पुरातत्व विभाग के किसी अधिकारी को भेजने का इरादा रखती है ?

†**डा० म० मो० दास** : सोवियत सरकार से हमें जो जानकारी प्राप्त होगी, उसी के आधार पर इसका कुछ निर्णय हो सकता है ।

रौकट उपग्रह

†*१०८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमेरिका की स्मिथसोनियन संस्था से रौकट उपग्रह को ऊपर भेजने तथा इसके बाद की गतिविधियों पर दृष्टि रखने की योजना में सहयोग देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिये भारत में क्या प्रबन्ध करने होंगे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य आरम्भ किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० क० ल० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण जिस में यह जानकारी दी गयी है सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सूची समाप्त हुई, जो सदस्य अपनी बारी पर अनुपस्थित थे, अब अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं । उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या १०९४ का उत्तर दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ।

नहरकटिया के तेल का मूल्य

†*१०९४. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नहरकटिया (आसाम) की शोधनशाला, जिस का सारा नियन्त्रण उसके आधीन होगा, के अपरिष्कृत तेल के अन्तर्राष्ट्रीय दर को स्वीकार कर लेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० क० ल० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आसाम के अपरिष्कृत तेल को नयी शोषधशाला को किस मूल्य पर दिया जायेगा उस के बारे में आसाम तेल कम्पनी तथा सरकार के बीच बातचीत चल रही है । केवल अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री के अपरिष्कृत तेल के मूल्य से आसाम के अपरिष्कृत तेल के मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता । परन्तु जब तक भारतीय शोषधशालायें विदेशी अपरिष्कृत तेल का आयात करती रहेंगी, तब तक स्थानीय अपरिष्कृत तेल के मूल्य पर उसका प्रभाव तो रहेगा ही ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या अपरिष्कृत तेल जो कि दिग्बोई में शोषध हो रहा है, उसे बर्तमान उत्पादन दर से दिया जा रहा है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ?

†**श्री क० ल० श्रीमाली** : आसाम तेल कम्पनी के अनुमान के अनुसार अपरिष्कृत तेल की उत्पादन लागत सभी प्रकार के अधिकार-शुल्क निकाल कर २९ रुपये प्रति टन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हैदराबाद की प्रतिभूतियां

†**अध्यक्ष महोदय** : जो प्रश्न संख्या ११०१ श्री हृ० ज० वैष्णव के नाम का है, उसे श्री तेलकीकर को प्रस्तुत करने का अधिकार है ।

†***११०१. श्री तेलकीकर (श्री हृ० ज० वैष्णव की ओर से)** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस घोषणा के बावजूद कि हैदराबाद सरकार की प्रतिभूतियां प्रथम नवम्बर, १९५६ से संघ सरकार का कर्जा होंगी, इन प्रतिभूतियों का संघीय प्रतिभूतियों में रूपान्तरण क्यों रोक रखा गया है;

(ख) हैदराबाद राज्य बैंक जोकि अब भारत के रक्षित बैंक का प्रतिरूप है और इस द्वारा हैदराबाद की इन प्रतिभूतियों का, जोकि अब संघ सरकार का ऋण है, जो समर्थन किया जाता था, उसका निलम्बन क्यों किया गया है; और

(ग) क्या सरकारी प्रतिभूतियों को भविष्य निधि, रेलवे और अदालती निक्षेपों के रूप में मान्यता देने और इसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों के जो नियम हैं, वे हैदराबाद प्रतिभूतियों पर भी लागू हो सकते हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) भूतपूर्व हैदराबाद सरकार की प्रतिभूतियों के स्थान पर जब भी उनके नवीकरण, प्रतिस्थापन और रूपान्तरण के लिये कहा जायेगा तो भारत सरकार उसको प्रतिस्थापन कर देगी । जब तक यह नहीं होता पुरानी प्रतिभूतियां चालू रहेंगी ।

(ख) सरकार को हैदराबाद राज्य बैंक की कार्यप्रणाली का पता नहीं । जहां तक रक्षित बैंक का सम्बन्ध है, वह केन्द्रीय प्रतिभूतियों के लिये जो नीति ठीक समझेगा, वही इन प्रतिभूतियों के लिये भी होगी ।

(ग) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की प्रतिभूतियां, सब प्रकार से भारत सरकार की प्रतिभूतियों के समान ही हैं ।

†**श्री तेलकीकर** : क्या इस सम्बन्ध में भारत के रक्षित बैंक को आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां, जो कुछ मैंने कहा है, वह सरकारी आदेशों में आ जाता है ।

निर्वाचक नामावलियां

†**श्री कामत** : मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से आप को पहले प्रश्न संख्या ११०७ के उत्तर देने का आदेश देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा ।

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : प्रश्न तो हिन्दी में था, इसका उत्तर हिन्दी में दूं कि अंग्रेजी में ?

†**श्री कामत** : हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी में ।

***११०७. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्ति आगामी सामान्य निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने उनके नामों सहित निर्वाचक नामावलियां तैयार करा ली हैं;

(ग) राजस्थान के गंगानगर जिले में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों के मतदाता कितने हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि गंगानगर में जो विस्थापित व्यक्ति आये हैं, उनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों के हैं और वहां के पहले के निवासियों में भी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की काफी बड़ी संख्या होते हुये भी अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं किये गये हैं ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) हां, श्रीमान्, विस्थापित व्यक्ति मतदान कर सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने समय रहते अपने आपको भारत के नागरिक के नाते पंजीबद्ध कराया हो और उन्हें मतदाता के रूप में नामांकित किया गया हो ।

(ख) पंजीयन प्राधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २४ के अधीन आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस धारा के अनुसार, जिसमें संसद् ने हाल में संशोधन किया है, मतदाताओं का पंजीयन १६ दिसम्बर, १९५६ तक किया जा सकता है ।

(ग) और (घ). मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि परिसीमन आदेश[1] इस महीने के अन्त तक प्रकाशित न होगा और यदि हां, तो क्या उन निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां परिसीमन आदेश के प्रकाशित होने के बाद ही उपलब्ध होंगी ? और यदि हां, तो क्या इससे सामान्य निर्वाचन की समय-सूची[2] में परिवर्तन होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक मुझे ज्ञात है, हम आशा करते हैं कि परिसीमन आदेश शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा ।

†**श्री कामत** : किस तारीख को ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को, उनकी निर्वाचक नामावली में नामांकित करने से पूर्व, सरकार के और निर्वाचन आयोग के प्रयत्न से नागरिक बनाये जाने के लिये जो व्यवस्था की गई, क्या वैसी व्यवस्था अन्यत्र भी की गई है ?

†**श्री पाटस्कर** : मेरा ख्याल है कि व्यवस्था एक जैसी ही होगी चाहे वह पश्चिम बंगाल में हो या कहीं अन्यत्र ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रूरकेला इस्पात कारखाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.** { **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : **श्री बोगावत** :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में जर्मनी का सहयोग इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि उसकी ब्याज की दर और मूल्य कथन[3] बहुत अधिक थे;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Delimitation Order.

[2] Time table.

[3] Price Quotations.

(ख) क्या क्रुप-देमाग नामक जर्मन समूह[1] के साथ समझौता करते समय भारत सरकार ने इन विषयों की जांच नहीं की थी; और

(ग) क्या ठेके को समय से पूर्व समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा जर्मन फर्म को कोई प्रतिकर अथवा हरजाना दिया जायेगा ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। किन्तु अध्यक्ष महोदय की इच्छा हो तो मैं पूरे विवरण को पढ़ देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विवरण काफी बड़ा है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : एक पृष्ठ, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण पढ़ा जाये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : (क) और (ख). रूरकेला इस्पात कारखाने की अंश पूंजी में जर्मनी का हिस्सा लेना इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया कि मूल्य कथन बहुत अधिक था। बल्कि यों कहना चाहिये कि स्वतन्त्र रूप से सरकार को परामर्श देने वालों ने यह प्रमाणित किया है कि मूल्य उचित हैं।

क्रुप-देमाग के साथ १९५३ में जो समझौता हुआ था वह प्रविधिक सेवा और पूंजी में हिस्सा बटाने के लिये था। क्रुप और देमाग इन दो फर्मों द्वारा रूरकेला कारखाने की पूंजी में किया जाने वाला विनियोग उन्हें दिये जाने वाले आर्डरों की मात्रा के समनुकूल होना था किन्तु वह मात्रा लगभग ९·५ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती थी।

इन दोनों फर्मों को यह छूट प्राप्त है कि वे अगस्त, १९६३ तक अपने अंश सरकार को २० प्रतिशत अधिमूल्य[2] पर पुनः बेच दें। इन दोनों को प्राप्त लाभांश[3] निश्चय ही इस अधिमूल्य से घटा दिये जाते। जब समझौता सम्पन्न हुआ तब भी यह समझा गया था कि यदि उन्होंने यह पूंजी जर्मनी में लगाई होती तो उन्हें जिस लाभ के प्राप्त होने की आशा थी उसमें और इस अधिमूल्य के बीच के अन्तर को दूर करने के लिये सम्भरण के खर्च में कुछ जोड़ा जाना होगा। जर्मनी में १९५३ में देश में ही उधार लेने की जो दर थी वह आज की अपेक्षा कम है और यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त कारण को देखते हुये मूल्य में जो वृद्धि की गई वह उस समय की दुर्वह[4] होती। किन्तु उसके बाद जर्मनी में उधार देने की जो दर थी वह अब ८ प्रतिशत तक बढ़ गई है। इसलिये जर्मनी के विनियोग को स्वीकार करने का अर्थ यह होता कि ब्याज की दर अधिक हो। सरकार ने ९ करोड़ रुपये के छोटे से विनियोग को ब्याज की इस दर से स्वीकार करना उचित नहीं समझा। इसके बजाय सरकार ने मूल्य में कटौती करना ही ठीक समझा। जर्मन फर्मों के साथ किये गये समझौते में परस्पर सम्मति से इस प्रकार रूपभेद किया गया था।

(ग) जर्मन फर्मों के साथ हुये समझौतें में परस्पर सम्मति से जो रूपभेद किया गया वह विनियोजन से सम्बन्धित केवल इस खण्ड के बारे में है। इसलिये प्रतिकर या हरजाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Combine.

[2] Premium.

[3] Dividend.

[4] Onerous.

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : हम में से कुछ लोगों का कथन है कि रूरकेला कारखाने का तथाकथित राष्ट्रीयकरण कुछ पदाधिकारियों की गलती से हुआ है न कि सरकार को ऐसा करना इच्छित था । जर्मनी के सार्थ[1] के साथ जो बात तय.............

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्तावना अनावश्यक है ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : मैं कह रहा हूं कि जर्मनी के सार्थ के साथ जो करार किया गया था वह सन्देहात्मक स्थिति में हुआ था................

अध्यक्ष महोदय : यह सब बेकार है । मैं बार-बार माननीय सदस्यों को परामर्श दे रहा हूं कि वे प्रश्नों के उन निष्कर्षों से, जो उन्होंने निकाल लिये हों, अपने प्रश्न न शुरू करें । वे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर मांग सकते हैं । यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुलाऊंगा ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की छान-बीन करने और संसद् के सामने इस बात का प्रतिवेदन देने के लिये विभागीय या अन्य कोई जांच करायेगी कि भारत सरकार तथा उस सार्थ के बीच जो समझौता सम्पन्न हुआ था वह संदिग्ध स्थिति में हुआ था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि कोई जांच करनी है तो मेरे विरुद्ध जांच की जानी चाहिये क्योंकि सारी बात के लिये मैं ही उत्तरदायी हूं । मुझे पूर्ण संतोष है कि हमने जो कुछ किया है वह देश के हित में है और १९५३ में हमने जो करार किया था वह भी उस समय देश के हित में ही था ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या इस करार के पहले, जिस में विनियोजन का खण्ड समाप्त कर दिया गया है जर्मनी के विनियोजकों ने रूरकेला कारखाने में कोई विनियोजन किया था और, यदि हां, तो पहले से किये गये विनियोजन में उसकी स्थिति क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : विनियोजन अंश पूंजी में एक प्रतीक विनियोजन था, अतः उसे लौटा दिया जायेगा । विनियोजन का प्रश्न उस समय उत्पन्न होगा जब क्रय किया जायेगा; इस क्रम का एक अंश पूंजी में मिला दिया जाना चाहिये । क्रय सम्बन्धी करार का प्रश्न समाप्त हो चुका है और हमने उनको समवाय की पूंजी में विनियोजन करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है क्योंकि हमने देखा कि जिन निबन्धनों पर हम मामले को तय कर रहे हैं उनसे हमारे देश को अधिक लाभ होगा ।

†**श्री बंसल** : माननीय मन्त्री के उत्तर से यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पूंजी में भाग न लेने और जर्मनी की ब्याज की दर इन दोनों बातों का आपस में क्या सम्बन्ध है । क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र इन मामलों के विशेषज्ञ हैं । मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ भी कहा वह काफी स्पष्ट था । करार उस समय किया गया था जब जर्मनी में एक विशेष स्थिति थी और यदि उस समय जो ब्याज की दर थी उसे विनियोजन पर लगाया जायेगा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Firm.

तो हमें सुविधा रहेगी । हमने सोचा था कि पूंजी को कई वर्षों में बांट कर करार के आधार पर हमें जो कुल व्याज देना पड़ेगा वह लगभग ६ या ७ प्रतिशत आयेगा । पर ब्याज की वर्तमान दर से हिसाब लगाने पर, करार के समाप्त होने से हमें जो लाभ हुये हैं उनको ध्यान में रखते हुये भी, ब्याज की दर १२ से १३ प्रतिशत तक आयेगी । यह बात कुछ मुख्य रूप से विनियोजक के देश में चालू ब्याज की दर से सम्बन्धित है । यदि मेरे माननीय मित्र इस बात को भी नहीं समझ सकते तो मैं मजबूर हूं ।

†**श्री बंसल** : मुझे स्मरण नहीं है कि करार में ऐसा कोई खण्ड था कि रूरकेला कारखाने में क्रुप देमाग द्वारा विनियोजित अंशों पर भारत सरकार जर्मनी में प्रचलित ब्याज की दर के हिसाब से ब्याज देगी । यदि मैं गलत कहता हूं तो माननीय मंत्री ठीक बात बतायें ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वास्तव में, ब्याज की दर उसके हिसाब लगाने में खुद आ जाती है । मैं समझता हूं कि करार में ऐसी कोई दर नहीं थी । मुझे खेद है कि मैंने अपने माननीय मित्र को इस विशेष योजना के संचालन के सम्बन्ध में, और इस सम्बन्ध में भी कि आगे हम इसमें क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, समय-समय पर बताया नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने कोई भी विनियोजन नहीं किया क्योंकि उनके यहां से आने वाली मशीनों तथा अन्य वस्तुओं के रूप में ही उनका विनियोजन होता रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रूरकेला कारखाने को निश्चित समय पर पूरा करना है, सरकार इस कारखाने के लिये मशीन आदि के आयात करने की स्थिति में कैसे होगी और सरकार किन देशों से कारखानों के लिये मशीन पाने की आशा करती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह तो प्रारम्भिक बात है । सभी मशीनें जर्मनी से आयेंगी ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने कहा कि जो मूल्य बताया गया था वह बिल्कुल उचित था और यह बात गलत है कि मूल्य उचित नहीं था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल्य बताया गया था और क्या वह मूल्य भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के वर्तमान मूल्यों की तुलना में बिल्कुल उचित था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक जटिल बात है । बताये गये मूल्य का कोई प्रश्न नहीं है । करार की शर्तें ऐसी बहुत सी बातों पर आधारित थीं जो उस समय जर्मनी में थीं । जब परिस्थितियां बदल गयीं तो वह करार हमारे लिये हानिकारक सिद्ध होने लगा । और इसी लिये हमने करार में परिवर्तन कर दिया । वास्तव में, मैं समझता हूं कि मैंने सारी जानकारी माननीय सदस्यों के सामने रख दी है । यदि और कुछ जानकारी की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूं ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : मैंने सुना है कि इसके बाद में जर्मनी का यह सार्थ हमें प्राविधिक सहायता देता रहेगा । इस प्राविधिक सहायता पर क्या व्यय होगा और क्या इसके व्यय में कोई परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि मेरे पास सभी जानकारी तैयार नहीं है और उसमें कुछ देर भी लगेगी । पर जहां तक प्राविधिक सहायता की आवश्यकता का प्रश्न है, करार सभा पटल पर रख दिया गया है और वही आंकड़े लागू होंगे ।

*सभा पटल पर रखे गय पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय प्रधान मन्त्री को कहीं जाना है, अतः वह सभा पटल पर वे विवरणपत्र रख सकते हैं जो उन्हें रखने हैं । उसके पश्चात् मैं अगला अल्प सूचना प्रश्न लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*देखिय वाद-विवाद, भाग २, दिनांक १२ दिसम्बर, १९५६ ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सोने और डालर की रक्षित निधि

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५६ में स्टर्लिंग क्षेत्र के सोने और डालर के रक्षित कोष में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक कमी हुई है;

(ग) क्या इस कमी से पौंड स्टर्लिंग के मूल्य की सुस्थिरता को कुछ खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्टर्लिंग के मूल्य में कमी होने की स्थिति में हमारी मुद्रा के मूल्य को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) २७९० लाख डालर ।

(ग) और (घ). स्टर्लिंग की सुस्थिरता को बनाये रखने के लिये स्टर्लिंग क्षेत्र के सोने और डालर के रक्षित कोष में से जब तक भी हम चाहें तब तक लगातार धन निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती । माननीय सदस्य को पता होगा कि ब्रिटेन के वित्त मन्त्री ने इन संग्रहों को मजबूत बनाने के लिये इस बीच कई कदम उठाये हैं । १९४७ से भारतीय रुपये का सम मूल्य सोने के मूल्य में बताया गया है और यदि भविष्य में स्टर्लिंग के मूल्य में कोई परिवर्तन होगा तो रुपये के मूल्य में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या भारत की अतिरिक्त डालर आय का संग्रह इंग्लड में किया जाता है और यदि हां, तो क्या भारत की डालर आय को अलग रखने या बल्कि उसे पृथक् रूप से भारत के नियन्त्रण में रखने के लिये, कोई कदम उठाया जायेगा ताकि ब्रिटिश सरकार को अपनी मुद्रा को सुस्थिर बनाने में जो कठिनाइयां हों उनका प्रभाव हम पर न पड़े ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक उस प्रक्रिया का सम्बन्ध है जो इस समय चल रही है, यद्यपि भारत को अपनी डालर आय का या केन्द्रीय संग्रह में से वह जो डालर निकालता है उसका पता रहता है, उसे संग्रह में मिला दिया जाता है । डालर आय के लिये भारत के खाते में या भारत के नाम कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता । जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, अवसर आने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारत के डालर संसाधनों के लेखे को अलग करने के लिये कोई कदम उठाया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह हमारे करार का एक अभिन्न अंग है कि कोई अलग लेखा नहीं है । एक केन्द्रीय संग्रह है और स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी सदस्य उसमें से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ले लेते हैं । पर एक सामान्य परम्परा है कि कोई भी सदस्य दूसरे सदस्यों की जानकारी में लाये बिना कोई कार्य नहीं करता ताकि संग्रह में कोई ऐसा अभाव न पैदा हो जाये जिस के लिये सभी सदस्य तैयार न हों । अन्यथा, किसी का भी कोई अलग लेखा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ऐसी खबरें सुनाई पड़ रही हैं कि ब्रिटेन हमारी उन मांगों पर कुछ रोक लगाना चाहता है जो हम डालर और सोने के रक्षित कोष से किया करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि क्या हम स्टर्लिंग कोष से जो धन निकाला करते हैं, उस पर कोई पाबन्दी लग जायेगी और यदि हां, तो विदेशी विनिमय रक्षित कोष सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करेंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह कल्पना ही बिल्कुल गलत है कि स्टर्लिंग को सुरक्षित बनाने के लिये कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। आज जैसी स्थिति है उसमें यह कार्यवाही संतोषजनक मालूम होती है और जब तक हम स्टर्लिंग गुट के सदस्य हैं तब तक ऐसी अवस्था आने की कोई सम्भावना नहीं है कि हम से कहा जाय कि हम स्टर्लिंग क्षेत्र से धन न निकालें।

†**श्री हेडा** : जान बूझ कर अपनाई गयी हमारी इस नीति के कारण स्टर्लिंग रक्षित निधि में कितनी कमी हुई है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं जानता कि नीति के मामले में भी जानबूझ कर ऐसी कोई बात की जाती है। मेरे माननीय मित्र किस नीति के बारे में कह रहे हैं, यह मुझे पता नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अचानक ऐसी गिरावट आ जाने का क्या कारण है जब कि एक परम्परा स्थापित हो गयी है कि कोई भी व्यक्ति संग्रह में कोई राशि इस प्रकार नहीं निकालेगा कि संग्रह की स्थिति संकट-ग्रस्त हो जाये ? क्या इस परम्परा का पालन किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि मेरे माननीय मित्र यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अक्तूबर या बल्कि नवम्बर के शुरू तक स्टर्लिंग क्षेत्र में समान आय और निकासी होती रही। पिछले महीने २७९० लाख डालर की कमी पड़ी। इसका मुख्य कारण स्टर्लिंग का रुकाव और स्टर्लिंग क्षेत्र पर कुछ दबाव ही है—विशेषतया ब्रिटेन पर—जिसे अधिकतर डालर क्षेत्र से ही राशि लेनी पड़ती है।

†**श्री साधन गुप्त** : डालर संसाधनों का संग्रह करने के लिये किये गये करार के बाद आज की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और विशेषतया ब्रिटेन में उस संग्रह में से अधिक व्यय होने की बात को, जोकि जोखिम का काम करने वालों के साथ होता ही है, ध्यान में रखकर क्या उस करार में रूपभेद करने के लिये कदम उठाया जा रहा है ताकि हमारे डालर संसाधन अलग रखे जा सकें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र ने स्थिति का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर उनके प्रश्न की जो मूल परिकल्पना है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

गोआ में भारतीय मतदाता

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के विधान-सभा के या संसदीय चुनाव क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उन भारतीय राष्ट्रजनों के नाम मतदाताओं के रूप में दर्ज करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है जो गोआ में जेल में हैं; और

(ख) संसद् और विधान मण्डलों के स्थानों के निर्वाचनों में खड़े होने के लिये ऐसे भारतीय राष्ट्रजनों को अपने नाम-निर्देशन पत्र भरने की सुविधा देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) हमारी विद्यमान निर्वाचन विधि के अधीन—देखिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २० (२)—किसी व्यक्ति का किसी विशेष स्थान पर जेल में निरोध पंजीयन के प्रयोजन के लिये उस स्थान पर सामान्यतया नहीं रहना माना जायेगा और वह उसी चुनाव क्षेत्र में पंजीबद्ध रहेगा जिस में वह पहले रह रहा था। गोआ में जेल में बन्द भारतीय राष्ट्रजनों की एक सूची, उनके निवास स्थानों के पतों के साथ, इस बात के लिये सम्बन्धित राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों के पास भेज दी गयी है कि उनके नाम उचित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित कर लिये जायें। सरकार का विचार है कि गोआ में बन्दियों को मतदाताओं के रूप में दर्ज कराने के लिये और कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक के, जो इस सभा में १० दिसम्बर को पुरःस्थापित किया गया था, खण्ड ४ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

†**श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री सभा को विश्वास दिला सकते हैं कि वह सभी भारतीय राष्ट्रजन जो पुर्तगाली साम्राज्यवाद के बन्दी होने के पूर्व निर्वाचक-नामावली में थे, अब वास्तव में किसी-न-किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास गोआ में बन्दी व्यक्तियों की एक सूची है और उस सूची को उनके मूल पतों के साथ सम्बन्धित निर्वाचन पदाधिकारियों के पास भेज दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार ने मिस्री दूतावास के जरिये या अन्यथा गोआ स्थित पुर्तगाली प्राधिकारियों से पूछ लिया है कि क्या उन को इस बात पर कोई आपत्ति है कि उनकी अभिरक्षा में जो बन्दी हैं वे आगामी निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन पत्र भर सकते हैं या उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो सकता है। माननीय सदस्य को पता है कि हम ऐसा नहीं कर सके।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या मैं आप की अनुमति से इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं ? माननीय सदस्य को पता चलेगा कि अपनी ओर से कठिनाई हटाने के लिये हमने हर एक प्रयत्न किया है। पुर्तगाल की ओर की कठिनाइयों को हम नहीं हटा सकते। पर जहां तक मुझे पता है, भूतकाल में किसी पत्र पर हस्ताक्षर करने में वहां कोई कठिनाई नहीं हुई थी : कहने का अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के रिश्तेदारों ने हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि उनको कठिनाई उठानी पड़ी। हमें आशा है कि ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं होगी।

†**श्री कामत** : क्या विधि-कार्य मंत्री या प्रधान मंत्री सभा को यह विश्वास दिलाने की स्थिति में हैं कि आगामी निर्वाचनों के लिये निर्वाचन-पदाधिकारियों को सरकार द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा परामर्श या विनिदेश दिया जायेगा कि वे नामनिर्देशन-पत्रों की मान्यता का परीक्षण करने के मामले में उदारता बरतें ताकि वे इस मामले में कोई प्राविधिक अड़चनें न पैदा करें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निर्वाचन आयुक्त अच्छी तरह जानते हैं कि इन कठिनाइयों को हटाने के लिये हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह या उनके पदाधिकारी इस कार्य में रुकावट नहीं डालेंगे। पर क्या नियमानुकूल है और क्या नियमों के विरुद्ध है इसका निर्णय उन्हें ही करना है। हम उन्हें कोई हिदायत नहीं दे सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने का पुनर्मूल्यन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे मुद्रा रक्षित कोष में सोने का पुनर्मूल्यन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां । भारत के रक्षित बैंक के निर्गम विभाग[1] में जिस सोने का मूल्य पहले २१ रुपये ३ आने १० पाई प्रति तोला था उसका पुनर्मूल्यन ६ अक्तूबर, १९५६ से ६२ रु० ८ आने प्रति तोला कर दिया गया है ।

(ख) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करते समय जैसा कि इस सभा में बताया गया था कि यह पुनर्मूल्यन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा भारतीय रुपये का जो मूल्य माना गया है उसकी समानता में हमारे सोने के रक्षित कोष का उचित मूल्य क्या होगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष सोने के इस पुनर्मूल्यन के लिये संसार में सोने का जो मूल्य है उसके आधार पर या भारत सरकार की मांग पर सोने के एक विशेष मूल्य के आधार पर राजी हुआ है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से राजी होने की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा हम सोने के मूल्य के आधार पर रुपये का मूल्य ६२ रुपये ८ आने प्रति तोला मानने को राजी हुये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहती हैं कि हम कैसे राजी हुये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यही मूल्य है। समानता ·०१८ से कुछ अधिक ग्राम है और यह ६२ रु० ८ आने प्रति तोला के हिसाब से पड़ता है। हम पुराना मूल्य मानते आये हैं और इसका एक पूरा इतिहास है। हमने सोने के पुनर्मूल्यन की आवश्यकता १९४७ में नहीं महसूस की थी। यह सारा मामला सभा के समक्ष रखा गया था : यह इस सभा द्वारा पारित एक अधिनियम का एक भाग बन गया और उसी अधिनियम के अनुसरण में हमने यह कार्यवाही की है। अब वह संसार में सोने का जो मूल्य है उसकी समानता में आ गया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भारत के रक्षित बैंक के पास सोने का जो संग्रह है उसका मूल्य पहले क्या था और पुनर्मूल्यन के बाद अब उसका मूल्य क्या है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रारम्भ में मूल्य ४०,०१,७०,००० रुपये था। वर्तमान मूल्य ११७,७६,०३,००० रुपये है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सोने के इस पुनर्मूल्यन द्वारा सरकार किस विशेष लाभ की आशा करती है और हमारे विदेशी विनिमय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे मान लीजिये माननीय महिला सदस्य के पास उनकी दादी या नानी की दी हुई एक पुरानी सम्पत्ति हो और वह उसका पुनर्मूल्यन किसी जौहरी से करवाती है और वह बताता है कि उस का मूल्य

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Issue Department.

१,००० रुपये से बढ़कर १०,००० रुपये हो गया है, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को अधिक अच्छी समझने लगती है । ठीक वैसी ही स्थिति आज मेरी है, क्योंकि हमारे पास ४० करोड़ रुपये के बजाय ११७ करोड़ रुपये का सोना है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयकर अधिनियम

†*१०८०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर अधिनियम के संचालन की छान-बीन करने और उसे अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से संहिताबद्ध करने के लिये इस बीच कोई विशेष समिति नियुक्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) सरकार ने विधि आयोग से इस अधिनियम का प्रारूप फिर से एक सुबोध संहिता के रूप में तैयार करने के लिये प्रार्थना की । विधि आयोग इस काम के लिये राजी हो गया है और उसने काम शुरू कर दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

†*१०८४. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों अथवा गृह मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कोई विशेष योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन योजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों से शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

रेडियो ज्योतिषिक गवेषणा[1]

†*१०८५. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो-ज्योतिषिक गवेषणा के विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बना ली है;

(ख) क्या इस विषय के अध्ययन के लिये कुछ लोगों को हालैंड भेजने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कितने लोग भेजे जायेंगे; तथा उनके नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Radio-Astronomical Research.

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल का सर्वेक्षण

†*१०८६. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक विस्तृत योजना के अनुसार तेल के नये सर्वेक्षण करने के बारे में कनाडा से बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था

†*१०९१. **श्री ब० कु० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ओखला में स्थित केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था और सड़क विभाग[1] के बीच क्या सम्पर्क रखा जाता है;

(ख) विभिन्न सड़क गवेषणा संस्थाओं अथवा प्रयोगशालाओं की गतिविधि का समन्वय कौन करता है; और

(ग) क्या राज्यों को केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था का परामर्श प्राप्त करने या कुछ परीक्षण करने के लिये कुछ राशि देनी होती है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक करार

†*१०९२. **श्री शिवनंजप्पा** :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जापान की सरकारों के बीच कोई सांस्कृतिक करार सम्पन्न हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं; और

(ग) भारत ने कितने देशों के साथ ऐसा करार किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Road wing.

(ख) सांस्कृतिक करार, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों के आदान-प्रदान, परस्पर देशों में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये सहायता और सुविधायें, परस्पर देशों में सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना, वैज्ञानिक, प्रविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं में सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इत्यादि बातों की व्यवस्था करता है।

(ग) पांच देश।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

†१०९३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) इस योजना से कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) केवल पंजाब राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। उनका पुनर्वास, भुतपूर्व सैनिकों की पुनर्वास योजनाओं के अधीन किया जाता है। इन योजनाओं के ब्योरे "१९५५-५६ में प्रतिरक्षा मन्त्रालय की गतिविधि का संक्षिप्त विवरण"[1] नामक एक पुस्तिका में ३० से लेकर ३३ पृष्ठ पर दिये गये हैं और इस पुस्तिका की प्रतियां संसद् सदस्यों को पहले ही परिचालित की गई हैं।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, १९५१ से सितम्बर, १९५६ तक की अवधि में उक्त क्षेत्र के ८,३७५ भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं।

केरल राज्य का वन विभाग

†*१०९६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वल्लाथरास : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार के वन विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमिताओं के आरोपों के बारे में की जा रही जांच इस समय किस अवस्था में है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** माननीय सदस्य सम्भवत: उस जांच का उल्लेख कर रहे हैं जो भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मुख्य वन संरक्षक के खिलाफ की जा रही थी। इस मामले में एक सार्वजनिक जांच करने का आदेश ९ नवम्बर, १९५६ को दिया गया था और मामला न्यायाधीन[2] है।

केन्द्रीय मुद्रण स्कूल[3]

†***१०९८. श्री मु० इस्लामुद्दीन :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने मुद्रण के एक कन्द्रीय स्कूल की स्थापना की योजना इस बीच तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] "Brief statement of activities of the Ministry of Defence during 1955-56".

Sub-judice.

[3] Central School of Printing.

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

छावनी बोर्ड कर्मचारी भविष्य-निधि

†*११००. **डा० सत्यवादी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड के कर्मचारी भविष्य निधि के लिये एक आना प्रति रुपया देते हैं जब कि छावनी बोर्ड छः पाई प्रति रुपया देता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों से और बोर्डों से भी इस आशय के कोई अभ्यावेदन[1] प्राप्त हुए हैं कि कर्मचारियों तथा बोर्ड का भविष्य-निधि में योग दान ८-१/३ प्रतिशत की दर से निर्धारित कर दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां ।

(ख) छावनी निधि कर्मचारी नियम, १९३७ के उपबन्धों के अनुसार ।

(ग) जी, हां ।

(घ) छावनी निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी लाभांश[2] प्राप्त करने के अधिकारी हैं जब कि किसी राज्य की नगरपालिका के कर्मचारियों को या प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलनों[3] से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को यह लाभांश देय नहीं । इसलिये भविष्य-निधि के लिये योगदान बढ़ाने के बारे में छावनी निधि कर्मचारी संघ का प्रस्ताव स्वीकार करना सरकार ने उचित नहीं समझा । सन्था को यह सुझाव दिया गया कि इस समय देय लाभांश के स्थान पर भविष्य-निधि के योग-दान को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार तैयार है ।

मनीपुर में विकास कार्य

†*११०२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ में मनीपुर के आदिम-जाति क्षेत्रों के विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) चालू वर्ष में विकास के कौन-से महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं;

(ग) सरकार ने अब तक कितनी राशि व्यय की है; और

(घ) चालू वर्ष में विकास सम्बन्धी अनुदानों को व्यपगत न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १४·७५ लाख रुपये ।

(ख) १९५६-५७ क लिये कार्यक्रम और प्रत्येक योजना के बारे में मंजूर की गई राशि बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]** इनमें से कौन-सी योजनायें पहले ही प्रारम्भ की गई हैं, यह ज्ञात नहीं है । मनीपुर प्रशासन द्वारा की जा रही

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Representations.

[2] Bonus.

[3] Defence Services Estimates.

जांच के कारण स्वयं कार्यक्रम में रूपभेद किये जाने की सम्भावना है । और आगे की जानकारी सभा पटल पर यथासमय रखी जायेगी ।

(ग) और (घ). जानकारी मनीपुर प्रशासन से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर यथासमय रखी जायेगी ।

वाणिज्यिक बैंक[1]

†*११०३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोषीय वर्ष[2] १९५६ में वाणिज्यिक बैंकों के कुल निक्षेप और अग्रिम धन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) वर्ष १९५५ की तत्स्थानी कालावधि की तुलना में क्या बैंकों के अग्रिम धन[3] में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और इस वृद्धि के लिये क्या कारण हैं; और

(घ) कुछ विशिष्ट बातों में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण को सीमित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(घ) सरकार क्या कार्यवाही करना आवश्यक समझेगी, यह पहले से बताना सम्भव नहीं है। स्थिति की मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†*११०४. **श्री वीरस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न बातों का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अक्तूबर, १९५६ में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय समारोह की अवधि कितनी ह;

(ख) समारोह की कार्यवाही हिन्दी में या अंग्रेजी में हुई, या दोनों भाषाओं में;

(ग) क्या कार्यक्रमों में प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग किया गया;

(घ) समारोह में भाग लेने वाले छात्रों के रहने और खाने के लिये की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या समारोह में भाग लेने वाल विश्वविद्यालयों न भी समारोह निमित्त किये गये व्यय में योगदान दिया था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ४७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Commercial Banks.

[2] Fiscal year.

[3] Advances.

दिल्ली के स्कूल

†११०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय ऐसे कितने स्कूल हैं जो तम्बुओं में चल रहे हैं; और

(ख) इन में माध्यमिक स्कूल कितने हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १८५ ।

(ख) ५२ ।

व्यायाम प्रशिक्षण का राष्ट्रीय कॉलेज

†*११०९. **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यायाम प्रशिक्षण का राष्ट्रीय कॉलेज खोलने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

भारतीय नौसेना

†*१११०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नौसेना की उन्नति के लिये वर्ष १९५६ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : १९५६ में ब्रिटेन से बारूद की सुरंगें हटाने वाले चार जहाज़ प्राप्त किये गये हैं । सर्वेक्षण करने वाला एक जहाज़ भारत में तैयार करने का आदेश दिया गया है और शीघ्र ही एक लंगर डालने में सहायता करने वाला जहाज़ भारत में तैयार करने का आदेश दिया जायेगा ।

वर्तमान जहाज़ों में आधुनिक उपकरण लगा कर और पुर्जे बदल कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही की गई है ।

शिक्षा संस्थाओं के प्रयोग के लिये भी नया उपकरण प्राप्त किया गया है ।

कर्मचारियों को भारत में ही प्रशिक्षण देने की ओर भी ध्यान दिया गया है । पदाधिकारियों और नाविकों को अब केवल उन्हीं विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा जाता है जिन के लिये अपने देश में व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

जात-पात मिटाना

†*१११३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि सरकारी और न्यायिक कार्यवाहियों में लोगों के नामों के साथ उनकी जाति का उल्लेख करने की मनाही कर दी जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या संघ सरकार ने इस विषय में राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस विषय में राज्य सरकारों को पत्र भेजे गये हैं और उनके उत्तर प्राप्त होने पर इस मामले पर आगे और विचार किया जायेगा।

क्रिकेट सिखाने का स्कूल

†*१११४. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसके पश्चात् क्रिकेट सिखाने वाले स्कूल के स्थान के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : हां, श्रीमान्।

आसाम में सहायता के उपाय

†*१११५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के युद्ध पीड़ित लोगों के लिये आसाम में सहायता के उपाय की ६०,००,००० रुपये की कुल स्वीकृत राशि में से लगभग ५,००,००० रुपये इस प्रयोजन से अलग रख लिये गये कि जांच के समय जिन के मामले रह गये थे उन पर पुनः विचार किया जाये और जिन को वास्तव में हानि पहुंची है उन्हें भुगतान किया जाये।

(ख) यदि हां, तो मुख्य आयुक्त और भारत सरकार को भेजे गये अभ्यावेदनों में से कितने मामले वस्तुतः स्वीकार किये गये और उन्हें कितनी राशि दी गई; और

(ग) यदि जांच के समय अवशिष्ट वास्तविक पीड़ितों के कोई मामले स्वीकार नहीं किये गये हैं तो इस ५ लाख रुपये की राशि का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नहीं, श्रीमान्। लगभग पांच लाख रुपये संदिग्ध दावों और अन्य अज्ञात आकस्मिकताओं के लिये अलग रखे गये थे।

(ख) संदिग्ध दावों की संख्या लगभग २,००० थी। जांच करने पर पता चला कि ये दावे उन गांवों के हैं जो आसाम में सहायता उपाय क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हैं। अतः यह पड़ताल करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ कि ये दावे सच हैं या नहीं।

(ग) आसाम में सहायता उपाय क्षेत्रों के सभी सच्चे दावों का निबटारा करने के पश्चात् ६० लाख रुपये की राशि में से जो राशि बचेगी उसे प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलन को लौटा देने का विचार है।

जीवन बीमा समवाय/निगम द्वारा विनियोजन

†*१११७. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) जीवन बीमा समवायों ने सरकारी प्रतिभूतियों, अंशों, ऋण और स्टाक आदि में १९ जनवरी, १९५६ तक कुल कितना विनियोजन किया है;

(ख) जीवन बीमा निगम ने उन्हीं में ३१ अक्तूबर, १९५६ तक कितना अतिरिक्त विनियोजन किया;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) निगम ने ३१ अक्तूबर, १९५६ तक सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी निकायों में कुल कितने धन का विनियोजन किया है; और

(घ) ३१ अक्तूबर, १९५६ तक गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में कुल कितना विनियोजन किया गया है?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है। उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय उप-कुलपति सम्मेलन

†*११२२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों का अगला सम्मेलन कब होगा;

(ख) सम्मेलन कहां होगा; और

(ग) क्या भारत भी सम्मेलन में भाग लेगा?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय उप-कुलपतियों का अगला सम्मेलन ३० दिसम्बर, १९५६ से ३ जनवरी, १९५७ तक लाहौर (पाकिस्तान) में होगा।

(ग) हां, श्रीमान्। भारत के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, डा० ए० एल० मुदलियार और दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, डा० जी० एस० महाजनी होंगे।

गणतन्त्र दिवस समारोह

†*११२३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गणतन्त्र दिवस, १९५६ का लेखा पूरी तरह तैयार हो गया है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : १९५६ के गणतन्त्र दिवस पर किये गये कुल खर्च का हिसाब अब लगाया जा चुका है और यह लगभग ५·७५ लाख रुपये है।

कोलम्बो योजना विभाग

†*११२४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) कोलम्बो योजना विभाग ने अब तक भारत में प्रविधिक सहयोग के लिये किन-किन विशेषज्ञों के नाम दिये हैं;

(ख) इन विशेषज्ञों के कार्य का क्षेत्र क्या है?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

राज्यों में आयोजना तथा सांख्यिकीय एकक

†८५४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों में उपयुक्त समन्वय स्थापित करने के विचार से राज्य सरकारों ने आयोजना तथा सांख्यिकीय एकक स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों ने ऐसे निकाय स्थापित किये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). इस प्रयोजन से निम्नलिखित राज्यों ने आयोजना तथा सांख्यिकीय एकक स्थापित किये हैं :

(१) आसाम
(२) बिहार
(३) केरल
(४) मध्य प्रदेश
(५) मैसूर
(६) उड़ीसा
(७) पंजाब
(८) राजस्थान
(९) उत्तर प्रदेश
(१०) पश्चिमी बंगाल
(११) दिल्ली

अन्य राज्य प्रशासन इस प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं।

बैंक ऑफ पटियाला

†८५५. { **श्री राम कृष्ण** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंक ऑफ पटियाला को भारत के राज्य बैंक में मिलाने सम्बन्धी विनिश्चय को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). भारत के रक्षित बैंक और राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस समय बैंक पर राज्य सरकार का नियन्त्रण है और इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इलेक्ट्रानिक, रेडियो तथा रैडार उपकरण

†८५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक, रेडियो तथा रैडार सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कौन-कौन-सी मुख्य बातें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिक, रेडियो तथा रैडार सम्बन्धी उपकरण, रेडियो, ट्यूबों और कई पुर्जों के निर्माण के लिये १९५४ में भारत इलेक्ट्रानिक्स समिति की स्थापना की गई थी। उस समवाय ने दिसम्बर, १९५५ में निर्माण प्रारम्भ कर दिया था।

देश में इन उपरकणों की आगामी पांच वर्षों के लिये मांग का परिगणन कर लिया गया है। इसके आधार पर समवाय का निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

१९५६-५७ और १९५७-५८ के वर्षों के लिये निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसमें कई उपकरण जैसा कि संचार रिसीवर[1] और ट्रांसमीटर आदि सम्मिलित हैं। इसमें प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित कई विशेष उपकरणों का निर्माण भी सम्मिलित है। दो वर्षों में कुल निर्माण लगभग २ करोड़ रुपये की कीमत का होगा।

क्रेताओं की मांगों और समवाय की उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल निर्माण की कीमत निरन्तर बढ़ती जायेगी।

जनसंख्या के आंकड़े

†८५७. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े प्राक्कलित कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जिलावार निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(१) कुल जन संख्या;

(२) उपरोक्त अधिनियम के पारित होने से पहले और बाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की कुल कितनी जनसंख्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में आंकड़े कब तक अधिसूचित किये जायेंगे;

(घ) क्या इस प्रकार के आंकड़ों के प्राक्कलन से सम्बन्ध रखने वाले नियम तैयार कर लिय गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) उत्तर प्रदेश में कोई भी अनुसूचित आदिम जाति नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है उनकी जनसंख्या के आंकड़ों का प्राक्कलन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ के अनुसार किया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Communication receiver.

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को भारत के असाधारण गजेट, दिनांक २४ अक्तूबर, १९५६ के सेक्शन १ के भाग १ में अधिसूचित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). एतत्सम्बन्धी नियम भारत की असाधारण गजेट, दिनांक २३ अक्तूबर, १९५६ के सेक्शन १ के भाग १ में प्रकाशित हुये हैं।

असिस्टेंटों का स्थायीकरण

†८५८. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असिस्टेंटों के स्थायी स्थानों को वर्तमान अस्थायी सहायकों में से भरने के लिये केवल २५ प्रतिशत कोटा ही रक्षित किया गया है जबकि ७५ प्रतिशत स्थायी स्थान संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्यक्ष भरती द्वारा पूरे किये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री के पास एक अभ्यावेदन भेजा गया था कि कम से कम पांच वर्षों के लिये इस २५ प्रतिशत के कोटे को बढ़ा कर ७५ प्रतिशत कर दिया जाये;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान अस्थायी असिस्टेंटों को स्थायी करने के सम्बन्ध म अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार इन अस्थायी असिस्टेंटों को किस तिथि तक स्थायी कर देने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है।

पगडंडी

†८५९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में पगडंडियों को बनाये रखने के लिये प्रति मील ५० रुपयों की राशि अदा की जाती है;

(ख) क्या सरकार यह जानती है कि युद्ध काल में जिस एक पगडंडी को जीप मोटरों के चलने योग्य बनाया गया था, वह फीन्गट्रैट (चेसामी) गांव को उखरूल गांव से मिलाता है;

(ग) क्या यह सच है कि हर वर्ष पगडंडी को प्रायिक और संतोषप्रद रूप में बनाये रखने के बाद भी, ग्रामवासियों को कभी भी ५० रुपये प्रति मील की राशि अदा नहीं की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामवासियों को ओर से बार-बार इस राशि की अदायगी के लिये प्रतिनिधान भेजे जाने पर भी, उसका कोई फल नहीं निकला; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). सूचना अभी संग्रह की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर के लिये दमकल की खरीद

†८६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६० के उत्तर और उसके अनुसरण में संसद्-कार्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये अनुपूरक

†मूल अंग्रेजी में।

विवरण संख्या ९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब भारत सरकार ने मनीपुर के लिये दमकल की कितनी लागत मंजूर की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भारत सरकार ने मनीपुर के लिये निम्नलिखित उपकरणों को खरीदने के हेतु ७१,५०० रुपयों की एक राशि मंजूर की है :

(१) एक दमकल ।

(२) दो ट्रेलर पम्प (मोटर गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले छिड़काव के पम्प) ।

(३) एक 'टोइंग'[1] गाड़ी (खींचने वाली गाड़ियां) और सहायक उपकरण ।

खारे पानी के कुएं

†८६१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जातियों के लोग, विशेषकर उखरुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अपने क्षेत्रों के खारे पानी के कुंओं के पानी से नमक बनाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामवासी राज्य सरकार को इसके कर के रूप में खारे पानी के प्रत्येक कुयें पर २५ रुपये अदा करते हैं;

(ग) मनीपुर में खारे पानी के ऐसे कितने कुयें हैं;

(घ) उनसे कुल कितना शुद्ध राजस्व वसूल किया जाता है; और

(ङ) इन कुंओं की देखभाल और मरम्मत, और साथ ही उनके उत्पादन की वृद्धि करने में ग्रामवासियों की सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) १९ ।

(घ) १९५६-५७ में पट्टे पर दिये गये केवल चार कुंओं से ही २,५९० रुपयों का राजस्व वसूल हुआ था ।

(ङ) पट्टों पर दिये गये कुंओं के अतिरिक्त, घाटी के अन्य कुंओं की देखभाल और मरम्मत के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ।

आय-कर

८६२. **ह० रा० नथानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में राजस्थान राज्य से आय-कर के रूप में कितनी राशि वसूल की गयी और कितनी राशि वसूल करनी बाकी है ?

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : १९५४-५५ और १९५५-५६ में राजस्थान राज्य से आय-कर के रुप में जो रकम वसूल की गयी, वह इस प्रकार है :—

१९५४-५५		११२·१० लाख रुपये
१९५५-५६	...	१११·६७ लाख रुपये

१-१०-१९५६ तक ९७·२३ लाख रुपये की रकम वसूल होनी बाकी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Towing Vehicle.

मैसूर में जनसंख्या सर्वेक्षण

†८६३. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० सी० चन्द्रशेखर ने हाल ही में किये गये मैसूर राज्य की जनसंख्या सम्बन्धी सवक्षण के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिवेदन किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से वह सर्वेक्षण किया था और उसी को अपना प्रतिवेदन दे दिया है । आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अनुमोदित रूप में वह प्रतिवेदन मार्च, १९५७ तक भारत में मिल जायेगा ।

(ख) प्रतिवेदर्न की विषय-वस्तु अभी ज्ञात नहीं है ।

पंजाब में खनिज पदार्थ

†८६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १९५५-५६ के दौरान में पंजाब में खोजे गये खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में इन ब्योरों का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(१) खनिज पदार्थ का नाम;

(२) उपलब्ध अनुमित मात्रा; और

(३) खोद कर निकाली गई मात्रा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५५-५६ के दौरान में, किसी भी नये खनिज पदार्थ के निक्षेप का पता नहीं लगा है ।

फिर भी, पंजाब में खोजे गये खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१**]

दिल्ली में दुर्घटनायें

†८६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से ३१ नवम्बर, १९५६ तक दिल्ली में कितनी मोटर-दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे; और

(घ) उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ४७९ ।

(ख) (१) अत्यधिक तेज़ गति और असावधानी से गाड़ी चलाना ।

(२) मोटर चालकों और साइकिल वालों द्वारा यातायात नियमों की उपेक्षा करना ।

(३) मोटर चालकों द्वारा चौंधियाने वाली बत्तियों का प्रयोग करना ।

(४) पैदल चलने वाले व्यक्तियों में सड़क सम्बन्धी नियमों के ज्ञान का अभाव ।

(५) पटरी पर अनाधिकृत दुकानों आदि[1] के कारण पैदल चलने वालों के मार्ग में बाधा का पड़ना ।

(ग) ४० ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Stalls.

सम्बद्ध कॉलेज

†८९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा; तथा

(२) चालू वर्ष में स्वयं मंत्रालय द्वारा, सम्बद्ध कालेजों को वित्तीय सहायता देने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

सैनिक कर्मचारियों की सेवामुक्ति

†८९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आठ से दस वर्षों की सेवा के बाद कितने सैनिक कर्मचारियों को इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है कि 'उनकी सेवायें अब अपेक्षित नहीं हं'; और

(ख) उनका सम्बन्ध कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी[१], अधिपत्रित अधिकारी[२], अन्य सामान्य सैनिक[3], तथा अयुद्धकारी (नामांकित)[४] आदि किन वर्गों से है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) तथा (ख). इस जानकारी को बताना लोकहित में न होगा ।

सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम समिति

†८९८. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री ब० चं० सोधिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की जांच अब की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (ख). सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कुल सम्पत्ति पर वार्षिक कर

†८९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल सम्पत्ति पर वार्षिक कर के आरोपण के सम्बन्धी प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१ JCO's.

२ Warrant officers.

3 Other Ranks.

४ Non-combatants (Enrolled).

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये जिन प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है, यह उन में से एक प्रस्ताव है और जिस तरह इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों की जांच की जाती है, उसी प्रकार से इस पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत सेवक समाज शिविर

†८७०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में, जिलावार, भारत सेवक समाज के तत्वावधान में केन्द्रीय सहायता से अब तक कुल कितने शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ख) इन शिविरों में, शिविर-वार, सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई थी; और

(घ) शिविर-वार किस प्रकार का काम पूरा किया गया था?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०-५८८/५६**]

मतदाताओं का परिगणन

†८७१. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी : }

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी आम चुनावों में जिन व्यक्तियों को मतदाताओं के रूप में नामांकित किया गया है, उनकी राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्य होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) खेद है कि अपेक्षित जानकारी प्राप्य नहीं है।

गुष्टिका कन्द औषधि

†८७२. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री शिवनंजप्पा :
श्री गिडवानी : }

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुष्टिका कन्द नामक एक औषधि का पता चला है जिस के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसके उपयोग से महीनों तक खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं होती है;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी विशेषताओं की जांच की है; और

(ग) जांच के परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक आयुर्वेदिक पंडित ने मैसूर की केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी गवेषणा संस्था को गुष्टिका कन्द जड़ का एक नमूना दिया था। परीक्षण करने पर संस्था ने इसे अन्य किसी जड़ जैसा ही पाया। इसमें मांड की अधिक प्रतिशतता है और 'प्रोटीन' की मात्रा कम है और लोग इस पर कुछ समय के लिये जीवित रह सकते हैं, किन्तु यह सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण आदि नहीं है कि खाद्यान्न के प्रयोग को छोड़ने में यह सहायक हो सकती है। यह कोई औषधि नहीं है।

जड़ का एक नमूना कुन्नूर की पोषण गवेषणा प्रयोगशाला[1] को भी रिपोर्ट देने के लिये भेजा गया है जिस को प्रतीक्षा की जा रही है।

दियासलाई

†८७३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बनारस के २४ सितम्बर, १९५६ के दैनिक हिन्दी पत्र "आज" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन में एक ऐसी दियासलाई बनाई गई है जो कि वर्षा और हवा में भी जलाई और जलती रखी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है और उसे यहां बनाने के लिये कुछ किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार ने यह समाचार २४ सितम्बर, १९५६ के "आज" में पढ़ा है। निर्देश सम्भवतः उन गीली न होने वाली दियासलाई की ओर है, जो वर्षा में खराब नहीं होती और तेज हवा में भी सुलगाई जा सकती है।

ऐसी दियासलाई भारत में भी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ लाख या अलसी के तेल का प्रयोग कर के बनाई जाती है। भारत की किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में इस सम्बन्ध में कोई गवेषणा नहीं की जा रही है।

देशनांक

†८७४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने १९५५ में औद्योगिक उत्पादन के देशनांक की वृद्धि को, जो १३० से १९४ तक पहुंच गया था, ध्यान में रखते हुए मजूरी और लाभों के देशनांक की वृद्धि का अनुमान लगाया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी, नहीं।

ऐसा कोई देशनांक तैयार नहीं किया गया क्योंकि मजूरी और लाभों में उतार-चढ़ाव विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर निर्भर है, जिनका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता।

दिल्ली पुलिस

†८७५. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न दिल्ली राज्य पुलिस के उन पदाधिकारियों को, जो २९ सितम्बर, १९५४ को सेवा-निवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्ति वेतन की गणना के लिये विशेष वेतन की सुविधा भी दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Nutrition Research Laboratories.

(ख) यदि हां, तो इस बात का क्या कारण है कि उन पदाधिकारियों को जो इस तिथि से पहले सेवा-निवृत्त हुए थे, इस सुविधा से वंचित रखा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सुविधा की मंजूरी २९ सितम्बर, १९५४ को दी गई थी । सामान्य वित्तीय नियमों के नियम ५८ के अन्तर्गत ऐसी वित्तीय मंजूरी को अनुदर्शी प्रभाव से लागू नहीं किया जाता इसलिये यह सुविधा उन पदाधिकारियों को नहीं दी गई, जो २९ सितम्बर, १९५४ से पहले सेवा निवृत्त हो गये थे ।

दिल्ली पुलिस

†८७६. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व दिल्ली राज्य सरकार के उन गैर-गजेटिड पुलिस अधिकारियों को जो असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर के या इस से ऊंचे दर्जे के थे, पंजाब पदाली या दिल्ली-पंजाब संयुक्त पदाली में रखा जाता है;

(ख) यदि उन्हें दिल्ली-पंजाब संयुक्त पदाली में रखा जाता है, तो क्या उन पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों में जो दिल्ली राज्य की पदाली में हैं और जो पंजाब राज्य की पदाली में हैं कोई अन्तर है;

(ग) क्या पंजाब सरकार द्वारा बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली राज्य में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिये कोई नियम या विनियम बनाये हैं; और

(घ) यदि पुलिस कमचारियों की सेवा की शर्तें पंजाब सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित की जायें, तो क्या स्थिति होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, दिल्ली-पंजाब संयुक्त पदाली में ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं, केवल छुट्टी को छोड़कर ।

(घ) सम्बन्धित पदाधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के संशोधित छुट्टी नियमों की बजाये पंजाब संशोधित नियम लागू होंगे; और

(१) उनकी अर्जित छुट्टी १८० दिन की बजाय १२० दिन तक जमा होगी ।

(२) उन्हें १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी की बजाय २० दिन की मिलेगी ।

(३) सारी सेवा की अवधि में उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली २४० दिन की परिवर्तित छुट्टी की बजाये १८० दिन की परिवर्तित छुट्टी मिलेगी ।

मनीपुर में आदिम जाति मंत्रणा बोर्ड

†८७७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने १९५४-५५ में एक आदिम जाति मंत्रणा बोर्ड बनाया था;

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ में इसकी कितनी बैठकें हुई थीं;

(ग) उसकी सिफारिशें क्या थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) उन्हें किस हद तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ड.) बोर्ड की शेष सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** (क) एक आदिम जातीय मंत्रणा बोर्ड जून १९५५ में मनीपुर में बनाया गया था ।

(ख) से (ड.). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिम जाति क्षेत्रों में तम्बाकू

†८७८. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश के आदिम जातीय क्षेत्रों में वर्तमान तम्बाकू कर सम्बन्धी नीति को पुनरीक्षित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की वर्तमान नीति से आदिम जातीय क्षेत्रों में तम्बाकू के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितना उत्पादन हुआ है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) आदिम-जातीय क्षेत्रों के लिये तम्बाकू कर के सम्बन्ध में कोई पृथक् नीति नहीं है । तथापि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को, कुछ परिस्थितियों में कुछ कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अर्थात् पहाड़ी, रेगिस्तानी और जंगल वाले क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय उपभोग के लिये बहुत तम्बाकू उगाया जाता है कुछ छूट देने के अधिकार दिये गये हैं ।

हमारे विचार में इस छूट की सुविधा मुख्यत: आदिम जातीय लोगों को मिलेगी । यह रियायत बिल्कुल अस्थायी है और इस पर सदा विचार किया जाता है । इस समय इस नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) पहाड़ी, रेगिस्तानी और जंगल के क्षेत्रों को छूट देने की नीति से कुछ हद तक तम्बाकू के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ग) चूंकि विभाग आदिम जातीय क्षेत्रों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं करता, इस लिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सहकारी समितियों को आय-कर सम्बन्धी रियायतें

†८७९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों को दी गई कर सम्बन्धी रियायतों और विशेषकर आय-कर से उनकी विमुक्ति सम्बन्धी रियायतों का क्या ब्योरा है; और

(ख) १९५५-५६ में प्रत्येक राज्य में सहकारी संगठनों के विकास राजस्व की हानि और रियायतों के दुरुपयोग के रूप में इन रियायतों का क्या प्रभाव हुआ है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) विभिन्न राज्यों की कर सम्बन्धी विधियों के अधीन सहकारी समितियों को यदि कर सम्बन्धी कोई रियायतें दी गई हैं तो उनका ब्योरा इस मंत्रालय के पास नहीं है । आय-कर अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को कुछ कर सम्बन्धी रियायतें दी गई हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

इनका ब्योरा इस प्रकार है :

(१) सहकारी समिति के व्यापार से उत्पन्न लाभ कर से मुक्त हैं। सदस्यों द्वारा सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश भी विमुक्त हैं।

(२) उन सब सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जिनकी आय २०,००० रुपये से कम है, प्रतिभूति पर ब्याज और सम्पदा से उत्पन्न आय भी कर से विमुक्त है बशर्ते कि वे आवास समितियां, नगर उपभोक्ता समितियां अथवा परिवहन समितियां नहीं हों।

(३) किसी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियों में पूंजी नियोजन से उत्पन्न आय इस कर से विमुक्त है।

(४) गोदामों और भांडागारों क किराये से समिति को होने वाली आय भी इस कर से विमुक्त है।

(५) आवास समिति के सम्बन्ध में, सम्पत्ति से उत्पन्न केवल उसी आय पर कर लगाया जाता है जो किरायेदार सदस्यों के हाथ में है यद्यपि वैध दष्टि से समिति स्वयं सम्पदा की अधिस्वामिनी है।

(ख) उपरोक्त पद संख्या (१) में उल्लिखित रियायत, जो १९२५ से विद्यमान है, को छोड़कर पद (२) से (५) की शेष रियायतें वित्त अधिनियम, १९५५ के रूप में पुरःस्थापित की गई थीं। केवल एक वर्ष (१९५५-५६) से ही ये प्रभावशाली रीति से क्रियान्वित हैं तथा देश के सहकारी संगठनों पर उनका प्रभाव इतना शीघ्र नहीं आंका जा सकता। रियायतें बढ़ाने से राजस्व की संभावित हानि का अनुमान भी इतना शीघ्र नहीं लगाया जा सकता है। कर जांच आयोग (जिसकी सिफारिशों के अनुसरण में १९५५ में ये रियायतें बढ़ाई गईं थीं) ने स्वयं सुझाव दिया था कि उन्होंने जिन रियायतों की सिफारिशें की थीं उनके आरम्भ होने के दस वर्ष बाद उनका पुनर्विलोकन किया जाये। रियायतों के दुरुपयोग का अभी तक कोई उदाहरण सरकार की सूचना में नहीं आया है।

वायु सेना मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्क

†८८०. { **श्री ब० कु० दास** :
श्री तुषार चटर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९४८ के पूर्व-नौकरी करने वाले केन्द्रीय सचिवालय के निम्न श्रेणी के क्लर्क पदोन्नति हेतु परीक्षा में बैठने से विमुक्त कर दिये गये हैं तथा उन्हें वरिष्ठता एवं कुशलता क आधार पर तरक्की दी जाती है जब कि वायु सेना मुख्यालय के ऐसे ही क्लर्कों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय की पुनर्गठन योजना म वायु सेना मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्क सम्मिलित किये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (घ). यह सच नहीं है कि जनवरी, १९४८ क पूर्व कन्द्रीय सचिवालय में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों को अपर श्रेणी क्लर्क की परीक्षा म सम्मिलित होने से विमुक्त कर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

१९५४ में केन्द्रीय सचिवालय क्लर्कों सम्बन्धी सेवा आरम्भ होने के पश्चात् अपर श्रेणी क्लर्क का पद सम्वरण पद घोषित कर दिया गया था। हाल ही में ये निर्णय किया गया था कि सारे सचिवालय के आधार पर सम्वरण किया जाये तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर यह हो। अपर श्रेणी क्लर्क के पद के लिये पहले से ही न चुने गये प्रत्येक व्यक्ति को आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिये। इस निर्णय के पूर्व केन्द्रीय सचिवालय की क्लर्कों सम्बन्धी सेवा में भाग लेने वाले सभी कार्यालयों में पदवृद्धि मंत्रालयवार' आधार पर की गई थी और यह पहले ही निम्न श्रेणी के क्लर्कों के वेतन-क्रम के सम्बन्ध में दिसम्बर, १९४७ के वरिष्ठता स्तर तक पहुंच गई थी।

सशस्त्र बल मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों के सब वर्गों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में विलीनीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए पदवृद्धि के लिये उपयुक्ता और कुशलता निर्धारण करने वाले प्रमाप नियम सशस्त्र बल मुख्यालय के सम्बन्ध में भी लागू किये जाते हैं। अतः सशस्त्र बल मुख्यालय के बारे में यह निर्णय किया गया कि अपर श्रेणी क्लर्क के पद की भरती परीक्षा के आधार पर की जायेगी। वायु सेना मुख्यालय के सम्बन्ध में अपर श्रेणी क्लर्क की पदोन्नति का वरिष्ठता स्तर जो अभी तक प्राप्त हुआ है वह १९४३ की समाप्ति के आस पास है। वायु सेना मुख्यालय में अपर श्रेणी क्लर्क की पदोन्नति के लिये परीक्षा के आयोजन पर वर्तमान में सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक

†८८१. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद समाहर्तृ कार्यालय में बहुत से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इन्सपेक्टरों को १९५२ से अपनी क्रमिक वेतन वृद्धियां नहीं मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) उस समाहर्तृ कार्यालय के कुल आठ सौ से अधिक इन्सपेक्टरों में से केवल ६ को अपनी क्रमिक वेतन वद्धियां नहीं मिली हैं।

(ख) तीन मामलों में विलम्ब इस कारण से हुआ है क्योंकि इस दौरान में इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले निर्णयाधीन थे, यह मामले निबटाये गये हैं और उनका वेतन पुनरीक्षित वेतन-क्रम में निश्चित करके उन्हें उनकी वेतन वृद्धियां देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

शेष तीन मामलों में पुनरीक्षित वेतन-क्रमों में इन्सपेक्टरों का वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा अधिकारियों की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें इस बारे में लिखा जा रहा है।

बिहार और उड़ीसा में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†८८२. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बिहार और उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोले जायेंगे; और

(ख) १९५६-५७ में उपरोक्त प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिये कितना सहायतानुदान दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यह जानकारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ही दी जा सकती है क्योंकि स्थानों का चुनाव वर्ष प्रति वर्ष होता है ।

(ख) बिहार—१७·३१२५ रुपये (माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिये जिस में १० हाई स्कूलों का बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तन भी शामिल है) ।

उड़ीसा—४·६१५ लाख रुपये ।

भारतीय प्रशासन सेवा विशेष भर्ती

†८८३. **श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में होने वाली भारतीय प्रशासन सेवा विशेष भर्ती परीक्षा.के लिये प्रत्येक राज्य से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस परीक्षा में राज्य-वार कितने उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दी गई है; और

(ग) अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रार्थियों की क्या संख्या है तथा उनमें मे कितने उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : संघ लोक सेवा आयोग, जो कि यह परीक्षा ले रहा है, प्रार्थनापत्रों का राज्यवार वर्गीकरण नहीं करता है । परीक्षा के प्रयोजन से उनके लिये यह सूचना किसी विशेष महत्व की नहीं । इस समय तक कुल २३,०४५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें से २०,६१४ उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है । अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की संख्या १,१२५ है ।

कांगड़ा में चूने का पत्थर

†८८४. **श्री हेमराज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २ मार्च, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा जिले में धर्मकोट के स्थान पर चूने के पत्थर के निक्षेपों का विस्तार तथा मात्रा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : कांगड़ा जिले में धर्मकोट के स्थान पर चूने क पत्थर के निक्षेप हैं । सतह का ऊपर निकल आया हिस्सा धर्मशाला से तीन मील दूर उत्तर में स्थित ह । धर्मशाला से इस स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है । ये निक्षेप उत्तर-पश्चिम दिशा में भाटेड खड के पार तक फैले हुए हैं ।

अग्रेतर अनुसन्धान के बाद ही निक्षेपों के विस्तार का पता लग सकता है । यह अनुसन्धान १९५६-५७ के शीतकाल में भारतीय भूपरिमाप द्वारा किया जायेगा ।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

८८५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में इस समय विभिन्न ग्रेडों के कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इनके कर्त्तव्य क्या हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली के माध्यमिक स्कूल

८८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं;

(ख) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) क्या स्कूलों की संख्या दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) ३०५ ।

(ख) लगभग १,५८,००० ।

(ग) जी, नहीं ।

बारूद की सुरंगे हटाने वाला स्क्वैड्रन

†८८७. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नौ सेना का एक नया बारूद की सुरंगें हटाने वाला स्क्वैड्रन तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्क्वैड्रन में कौन-कौन से जहाज़ हैं ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) 'कारवार', 'काकिनाडा', 'कन्नानूर' और 'कुड्डलोर' ।

हिन्दी संस्थाओं को अनुदान

†८८८. **श्री घूसिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के विकास के लिये कार्य करने वाली विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को किन आधारों पर अनुदान दिये जाते हैं; और

(ख) १९५६-५७ में अब तक इस प्रकार की कितनी संस्थाओं ने, अनुदानों के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) 'हिन्दी की उन्नति' के लिये सामान्यतया केन्द्रीय सरकार की सहायता सम्बद्ध राज्य सरकारों को उनकी स्वीकृत योजनाओं के लिये दी जाती है । राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में हिन्दी के प्रसार के लिये उत्तरदायी हैं और उन्हें इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे उसे चाहे जिस ढंग से करें और चाहे जिस किसी भी अभिकरण के द्वारा जिसे वे अच्छा समझें करवायें । किन्तु भारत सरकार कुछ मामलों में कुछ अखिल भारतीय संस्थाओं की उनकी ऐसी योजनाओं के लिये सहायता करती है जो किसी राज्य विशेष या क्षेत्र तक सीमित नहीं होती बल्कि जिन्हें सामान्यतया हिन्दी के विकास में सहायक समझा जाता है ।

(ख) २४ ।

सैनिक कैन्टीन भाण्डार विभाग

†८८९. { **डा० रामा राव** :
श्री मोहन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सैनिक पदाधिकारी कैन्टीन भाण्डार विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उसका वर्तमान वेतन कितना है और सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस पद पर नियुक्ति से पूर्व उसका वेतन क्या था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां । अध्यक्ष, प्रशासक बोर्ड, कैन्टीन भाण्डार विभाग (भारत) ।

(ख) १,६७० रुपये मासिक, १५५०—६०—१८५०—१००—२२५० रुपये और बम्बई में मिलने वाला प्रतिकर भत्ता ।

इस पदाधिकारी की अन्य सेवा की शर्तें ये हैं :

(१) पदावधि –१५ मई, १९५५ से चार वर्ष के लिये उधार पर ।

(२) प्रथम श्रेणी के असैनिक पदाधिकारियों को मिलने वाली छुट्टी ।

(३) आवासस्थान, यदि दिया जाये तो १० प्रतिशत के हिसाब से या निर्धारित किराये में से जो भी कम हो उतना किराया लिया जायेगा इसके अतिरिक्त पानी और बिजली का व्यय ।

(४) प्रथम श्रेणी के असैनिक पदाधिकारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते ।

(५) कैन्टीन भाण्डार विभाग (भारत) में सेवा करते हुए किसी शारीरिक क्षति के कारण पदाधिकारी अथवा उसके परिवार को देय निर्योग्यता अथवा पारिवारिक निवृत्ति वेतन को कैन्टीन भाण्डार विभाग (भारत) देगा ।

(६) कैन्टीन भाण्डार विभाग (भारत) उसके निवृत्ति वेतन का हिसाब लगायेगा और विभाग को सरकार को निवृत्ति वेतन का अंशदान करना होगा ।

(७) पदाधिकारी और उसके परिवार पर सैनिक चिकित्सा नियम लागू होते हैं ।

(८) कैन्टीन भाण्डार विभाग (भारत) की सेवा सैनिक सेवा मानी जायेगी और उसे सेना में वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिये गिना जायेगा ।

			रुपये
(ग)	मूल वेतन		१,१५०
	वर्दी भत्ता		३०
	योग्यता वेतन	..	७५
	विशेष स्थान परिवर्तन भत्ता		३०
		कुल	१,२८५

अफगान राष्ट्रजन

†८९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री भारत में पंजीबद्ध ऐसे अफगान राष्ट्रजनों की संख्या बताने की कृपा करेंगे कि जो धन उधार देने का व्यवसाय करते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : ३१-१२-१९५५ को भारत में पंजीबद्ध अफगान राष्ट्रजनों की संख्या ५,७५४ थी । परीक्षणात्मक रूप से जांच करने पर पता लगा है कि इन में से ९५ प्रतिशत साहूकार और छोटे-छोटे दूकानदार हैं जो धन उधार भी देते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

अर्थना और जावर के गांवों में खुदाई

†८९१. **श्री भीखा भाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री इसके कारण बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अर्थना गांव और उदयपुर जिले के जावर गांव में खुदाई क्यों नहीं की गई यद्यपि वहां ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी ईस्वी के भग्नावशेष पाये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : अर्थना और जावर के स्थान तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बाद के हैं और विभाग के सुयोजित कार्य में इन स्थानों पर खुदाई को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१०६५–९६
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१०७४	टीपू सुल्तान के अवशेष ...	१०६५–६६
१०७५	पाकिस्तान से आये मुसलमानों को बसाना	१०६६–६८
१०७६	अमेरिकी सहायता ...	१०६८–६९
१०७७	भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन ...	१०६९
१०७८	अनुसूचित जाति आयुक्त का प्रतिवेदन	१०६९–७०
१०७९	विदेश छात्रवृत्ति योजना	१०७०–७१
१०८२	"आनलुकर"	१०७१–७२
१०८३	गजेटीयरों का संशोधन	१०७२–७३
१०८७	बर्मा को ऋण	१०७३
१०८८	बोकारो इस्पात कारखाना	१०७४
१०८९	कांगड़ा में तेल निकालना	१०७४
१०९०	विश्व बैंक	१०७५
१०९५	केरल में जेन्मीकोरम भूमि पर मूल भूमि-कर	१०७६–७७
१०९७	सैनिक आयुध स्कूल, जबलपुर	१०७७
१०९९	अनुसूचित जाति कल्याण कार्य	१०७८–७९
११०५	ग्रामीण संस्थायें ...	१०७९–८०
११०८	अन्दमान द्वीपों में बसाना	१०८०–८१
११११	छावनी-बोर्ड	१०८१–८२
१११२	राजस्थान की सीमा से चोरी छिपे माल लाना ले जाना	१०८२–८३
१११८	केन्द्रीय सरकार का हिन्दी में पत्र-व्यवहार	१०८३–८४
१११९	आय-कर जांच आयोग	१०८४
११२०	विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि	१०८४–८५
११२१	किरधिजिया में बौद्ध मन्दिर	१०८५–८६
१०८१	राकेट उपग्रह	१०८६
१०९४	नहरकटिया के तेल का मूल्य	१०८६
११०१	हैदराबाद की प्रतिभूतियां	१०८७
११०७	निर्वाचक नामावलियां	१०८७–८८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—क्रमशः

अल्प सूचना प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४	रूरकेला इस्पात कारखाना ...	१०८८–९१
५	सोने और डालर की रक्षित निधि	१०९२–९३
६	गोआ में भारतीय मतदाता	१०९३–९४
७	सोने का पुनर्मूल्यन ...	१०९५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर १०९६–१११९

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८०	आय-कर अधिनियम ...	१०९६
१०८४	अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	१०९६
१०८५	रेडियो-ज्योतिषिक गवेषणा	१०९६–९७
१०८६	तेल का सर्वेक्षण	१०९७
१०९१	केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था	१०९७
१०९२	भारत और जापान के बीच सांस्कृति करार	१०९७–९८
१०९३	भुतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	१०९८
१०९६	केरल राज्य का वन विभाग	१०९८
१०९८	केन्द्रीय मुद्रण स्कूल	१०९८–९९
११००	छावनी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि	१०९९
११०२	मनीपुर में विकास कार्य ...	१०९९–११००
११०३	वाणिज्यिक बैंक	११००
११०४	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	११००
११०६	दिल्ली के स्कूल	११०१
११०९	व्यायाम प्रशिक्षण का राष्ट्रीय कॉलेज	११०१
१११०	भारतीय नौ-सेना	११०१
१११३	जात-पात मिटाना	११०१–०२
१११४	क्रिकेट सिखाने का स्कूल	११०२
१११५	आसाम में सहायता के उपाय ...	११०२
१११७	जीवन बीमा समवाय/निगम द्वारा विनियोजन	११०२–०३
११२२	राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय उप-कुलपति सम्मेलन	११०३
११२३	गणतन्त्र दिवस समारोह.	११०३
११२४	कोलम्बो योजना विभाग	११०३

अतारांकित प्रश्न संख्या		
८५४	राज्यों में आयोजना तथा सांख्यिकीय एकक	११०४
८५५	बैंक ऑफ पटियाला ...	११०४
८५६	इलेक्ट्रानिक, रेडियो तथा रैडार उपकरण	११०४–०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८५७	जनसंख्या के आंकड़े	११०५–०६
८५८	असिस्टेंटों का स्थायीकरण	११०६
८५९	पगडंडी	११०६
८६०	मनीपुर के लिये दमकल की खरीद ...	११०६–०७
८६१	खारे पानी के कुएं	११०७
८६२	आय-कर ...	११०७
८६३	मैसूर में जनसंख्या सर्वेक्षण	११०८
८६४	पंजाब में खनिज पदार्थ	११०८
८६५	दिल्ली में दुर्घटनायें	११०८
८६६	सम्बद्ध कॉलेज ...	११०९
८६७	सैनिक कर्मचारियों की सेवामुक्ति	११०९
८६८	सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	११०९
९६९	कुल सम्पत्ति पर वार्षिक कर	११०९–१०
८७०	भारत सेवक समाज शिविर	१११०
८७१	मतदाताओं का परिगणन	१११०
८७२	गुष्टिका कन्द औषधि	१११०–११
८७३	दियासलाई	११११
८७४	देशनांक	११११
८७५	दिल्ली पुलिस	११११–१२
९७६	दिल्ली पुलिस	१११२
८७७	मनीपुर में आदिम जाति मंत्रणा बोर्ड	१११२–१३
८७८	आदिम जाति क्षेत्रों में तम्बाकू	१११३
८७९	सहकारी समितियों को आयकर सम्बन्धी रियायतें	१११३–१४
८८०	वायु सेना मुख्यालय के निम्न श्रेणी के क्लर्क	१११४–१५
८८१	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक	१११५
८८२	बिहार और उड़ीसा में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	१११५–१६
८८३	भारतीय प्रशासन सेवा विशेष भर्ती ...	१११६
८८४	कांगड़ा में चूने का पत्थर	१११६
८८५	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली	१११६
८८६	दिल्ली के माध्यमिक स्कूल	१११७
८८७	बारूद की सुरंगे हटाने वाला स्क्वैड्रन	१११७
८८८	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान ...	१११७
८८९	सैनिक कैन्टीन भाण्डार विभाग ...	१११७–१८
८९०	अफगान राष्ट्रजन	१११८
८९१	अर्थना और जावर के गांवों में खुदाई	१११९

M21LSD—190—8-2-58—GIPF.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

५ दिसम्बर

(१४ नवम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

	पृष्ठ
अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२५—२६
एक सदस्य के स्थान की रिक्ति	७२६—२९
केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२९—४५
खण्ड २ से १६ और १	७३९—४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	७४४
लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७४५—५१
खण्ड २, ३ और १ ...	७४९—५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	७५१
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७५१—५४
३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव	७५४—७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन	७७२
राज्य-सभा से सन्देश	७७२
दैनिक संक्षेपिका	७७३—७४
अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६	
डा० अम्बेडकर का निधन	७७५—७९
दैनिक संक्षेपिका	७८०
अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७८२
राज्य-सभा से सन्देश	७८२
कार्य मंत्रणा समिति—	
चवालीसवां प्रतिवेदन	७८२
सभा का कार्य	७८२—८४
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	७८४
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव ...	७८४—८०१

	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन	८०१–०२
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुर:स्थापित किया गया	८०२
प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	८०२–११
खण्ड २ और १	८१०
पारित करने का प्रस्ताव	८११
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	८११–१२
खण्ड २ और १	८१२
पारित करने का प्रस्ताव	८१२
स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	८१२–२३
खण्ड २ से १२ और १ ...	८२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	८२०–२३
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	८२३–२५
दैनिक संक्षेपिका	८२६–२७
अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ	८२९–३०
सभा का कार्य ...	...८३०–३१, ८७२
बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	८३१–५३
खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २	८५०–५३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	८५३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	८५३–६३
खण्ड २, ३ और १ ...	८६३
पारित करने का प्रस्ताव ...	८६३
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	८६३–७१
खण्ड २ से ६ और १ ...	८७१
पारित करने का प्रस्ताव	८७१
दैनिक संक्षेपिका	८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ८७५—७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७—९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४—२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ... ९२५—३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१—३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५—३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७—३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८—६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९—६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६—७९
सभा का कार्य ... ... ९७९—८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०—८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... ९८५—८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ... ... ९८६—८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८—८९
सभा का कार्य ... ... ९८९—९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०—१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३—२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३—२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८—३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२८—३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ... ... १०३७—४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४—४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७—४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९—६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३—९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९—११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७—४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुर:स्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुर:स्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३—३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७—३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५६
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुर:स्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १६५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १६५६-५७ १२४२–५६
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुर:स्थापित किया गया १२५६
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १६५६-५७ और आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५३-५४ १२५६–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—पुर:स्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव ... १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका ... १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य ... १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन ... १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य ... १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव ... १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव ... १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा ... १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४
राज्य-सभा से सन्देश १३६४
दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४
याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४
अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५
बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५
कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०
कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८
दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३
राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३
अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४
प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५
सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

	पृष्ठ
गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १	१५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ...	१५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १	१५७९
पारित करने का प्रस्ताव	१५७९
आश्वासन समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन ...	१५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र	१५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—	
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ...	१५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ...	१५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ...	१५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-१० म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विमति प्रतिवेदन, नेताजी जांच समिति

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं, नेताजी जांच समिति के सदस्य श्री सुरेश चन्द्र बोस के विमति प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-५५५/५६]**

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या सरकार भविष्य में कभी इस विमति प्रतिवेदन पर सरकारी टिप्पणी की एक प्रति भी पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार ने उनकी उपपत्तियों को स्वीकार कर लिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इस समिति के अधिक सदस्यों की उपपत्तियों पर सरकार ने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है । उन्होंने बहुत-सी बातों का पता लगाया है । मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी अभी देता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : क्या जांच समिति के सामने दिये गये साक्ष्यों को सभा-पटल पर रखने में सरकार को कोई आपत्ति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह कठिन है । मैं सदस्यों को इसे दिखाने को तैयार हूं, परन्तु सभा-पटल पर सभी साक्ष्यों को रखना मेरे विचार से एक बुरी प्रथा होगी । यदि कोई माननीय सदस्य इसको देखना चाहें तो वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय में आकर इसे देख सकते हैं मैं उन्हें दिखा दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय वैदेशिक सेवा शाखा ख (प्रारम्भिक गठन) नियम सम्बन्धी सरकारी ज्ञापन

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं भारतीय वैदेशिक सेवा शाखा ख (प्रारम्भिक गठन) नियमों के सम्बन्ध में, वैदेशिक कार्य मंत्रालय का सरकारी ज्ञापन संख्या ४(५)—एफ एस बी/५६, दिनांक २८ अगस्त, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५**]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति और सेवा की शर्तें) नियम

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६०७ दिनांक १० नवम्बर, १९५६ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति, और सेवा की शर्तें) नियम, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५४०/५६**]

लोक ऋण (प्रतिकर बंधपत्र) नियमों का संशोधन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मैं लोक ऋण अधिनियम १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन लोक ऋण (प्रतिकर बंधपत्र) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११९६ दिनांक २६ मई, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–५४१/५६**]

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम १९४८ की धारा २८ की उप-धारा (२) के अधीन, ३० जून, १९५६ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६**]

देश में बाढ़ की स्थिति

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : श्रीमान्, मैं २७ जुलाई को देश की बाढ़ स्थिति पर दिये गये वक्तव्य के पश्चात् अब स्थिति के पुनरीक्षण का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस–५५८/५६**] आपकी अनुमति से, क्रियान्वित कार्यक्रम की सही स्थिति बताने के बारे में तथा जिस प्रकार हम और आगे कार्यवाही करना चाहते हैं उस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।

जैसा कि सभा को ज्ञात है कि एकीकृत राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का प्रश्न सितम्बर, १९५४ से उठाया गया था। जैसा कि बड़े विवरण, जोकि मैंने ३ सितम्बर, १९५४ को सभा-पटल पर रखा था, में कहा गया था, कार्यक्रम को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—शीघ्र, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन। केन्द्र में तथा बाढ़-ग्रस्त राज्यों में योजनायें बनाने तथा उनको शीघ्रता से लागू करने के लिये विशेष संगठन बनाये गये थे। तात्कालिक कार्यक्रम दो वर्षों के लिये था जिसमें अधिक जांच करनी थी और प्रविधिक आंकड़े एकत्र करने थे, डिजाइन बनाने थे, अल्पकालीन पहलू के प्राक्कलन बनाने थे, पुश्ते, खम्बे और बन्ध बनाने थे। इस अवधि में विशाल क्षेत्र की जांच की जा चुकी है तथा बहुमूल्य आंकड़े इकट्ठे किये जा चुके हैं। १७३,००० वर्गमील के विमान से चित्र उतारे जा चुके हैं। ३५,००० वर्गमील

†मूल अंग्रेजी में।

के चित्रों को बड़ा बनाया जा चुका है। कुल १९,००० वर्गमील के क्षेत्र को समतल कर दिया गया है। कई पानी निकलने की जांच, गाज तथा मिट्टी की जांच के स्थान और वर्षा नापने के यंत्र और नदी की गहराई नापने के यंत्र के केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं।

इस अवधि में आपातकालीन योजनाओं को लागू करने के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में जहां ये योजनायें लागू की गईं पर्याप्त लाभ हुआ है। आसाम, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के कई नगरों के अतिरिक्त लगभग २६ लाख एकड़ क्षेत्र बाढ़ से बचाया गया है।

तात्कालिक अवस्थान अब समाप्त हो चुका है और ऐसा समय आ चुका है जब हमें स्थिति को भली प्रकार समझना चाहिये। १९५४, १९५५ तथा १९५६ में लगातार भारी बाढ़ आईं। इन बाढ़ों की प्रत्येक की अपनी विशेषता थी, उनसे समस्यायें उत्पन्न हुई जिनका सन्तोषजनक हल एकीकृत कार्य-क्रम बनाने के लिये आवश्यक है। १९५४ में ब्रह्मपुत्र, कोसी, बूढ़ी गंडक, बड़ी नदियों ने तबाही कर दी। १९५५ की बाढ़ों से यह पता लगा कि टोन्स गोमती तथा सई जैसे छोटे-छोटे सोते भी बड़ी नदियों के समान तबाही कर सकते हैं तथा जहां पर नालियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी के बाहर न निकलने से भी तबाही हो सकती है। १९५६ की बाढ़ों से यह अनुभव हुआ कि भारी तथा लगातार वर्षा से राजस्थान, पंजाब के दक्षिण-पूर्व जिलों, जिनमें बाढ़ की आशा नहीं की जा सकती है, में भी बहुत हानि हो सकती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर-पश्चिमी नदियों तथा मध्य भारत की नदियों के लिये बनाये गये चारों आयोगों की स्थिति का पता है और वे उचित प्रस्तावों को बनाने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। तो भी बाढ़ की समस्या इतनी विविध-प्रकार की और उलझी हुई है कि जो कार्य किये जाने हैं उनके बारे में अधिकृत मंत्रणा प्राप्त करना वांछित होगा। बाढ़ से रक्षा करने के कुछ उपायों की उपयुक्तता—विशेषकर बांधों—के बारे में अत्यधिक मत विभिन्नता है। इस प्रकार के सारे प्रश्नों को असंदिग्ध रूप से तय कर लेना आवश्यक है। अतः सरकार एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का विचार करती है जिसमें विदेशी विशेषज्ञ होंगे और जो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच कर अपनी सिफारिशें देगी। जो तरीके अपनाये जाने हैं उनके बारे में अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के बाद हम विश्वास के साथ अपने विशाल कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में आगे बढ़ सकते हैं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या पिछले वर्षों में बाढ़ों आदि से जो धन-जन की हानि होती रही है उसे देखते हुए सरकार बाढ़ नियंत्रण के कार्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित तरीके से भी अधिक शीघ्रता से इस समस्या को हल करने के लिये कार्यवाही करेगी अर्थात् "युद्ध के समान महत्व" देगी ?

†**श्री नन्दा** : मैं यह सुझाव नहीं मानता कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शीघ्रता नहीं अपनाई गई है। पिछले दो वर्षों में अभी तक जितना कार्य किया गया है वह अतुलनीय है और पिछले २० या ३० अथवा ४० वर्षों में भी इतना कार्य नहीं किया गया जितना इन दो वर्षों में हुआ है। इस कारण जो सुझाव रखा गया है अथवा सरकार का एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार इसकी अविलम्बनीयता को समझती है।

†**श्री कामत** : अभी तक कितनी समितियों की बैठक हुई है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : माननीय मंत्री ने बताया कि इन बाढ़ों की रोकथाम करने के तरीके बताने के लिये उसमें विदेशी विशेषज्ञ होंगे। क्या विभिन्न नदियों के लिये अलग-अलग विशेषज्ञ तैनात किये जायेंगे अथवा एक ही विशेषज्ञ समिति सारे देश का दौरा करेगी और यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नन्दा** : यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिये नहीं बनाई गई हैं। वस्तुतः समिति का निर्माण तो जो कार्य किया गया है, उसका पता लगाने, अपनाये गये तरीके के बारे में जानने तथा बाढ़ की समस्या का हल ढूंढ़ निकालने के लिये किया गया है। हम अन्य देशों में किये गये अनुभव के आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा जो-जो अनुभव इस मामले में अन्य देशों में हुए हैं उन तरीकों में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। इस कारण सम्पूर्ण स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये स्वाभाविक है कि समिति को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों और स्थानों का दौरा करना पड़ेगा।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : मैं ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका

†**सचिव** : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १७९ के अन्तर्गत मुझे सभा को बताना है कि श्री राधा रमण के साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक, १९५६ के बारे में, जो २७ जुलाई, १९५६ को सभा में पुरःस्थापित किया गया था, एक याचिका प्राप्त हुई है।

विवरण

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक, १९५६ के सम्बन्ध में याचिका, जो सभा में २७ जुलाई, १९५६ को श्री राधारमण द्वारा पुरःस्थापित किया गया था :

याचिका सं०	हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या	जिला अथवा नगर	राज्य
७७	१	दक्षिण कनारा ज़िला	मैसूर

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो सभा में १० दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था।"

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन में प्रादेशिक परिषद् विधेयक के बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया गया क्योंकि वह तो इसी सत्र में पारित किया जाने वाला था ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं उनकी बात समझ नहीं सका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : यदि प्रादेशिक परिषद् विधेयक इस सत्र में पारित न हो गया तो सामान्य निर्वाचन से पहले उसके पारित होने की कोई आशा नहीं रह जाती।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इस बारे में कोई विधेयक है ही नहीं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५६ के अधीन जो नियम बनने वाले थे, उनका क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सारी बातें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखी जायेंगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मेरा सुझाव यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज होने जा रही है जिसमें हम अन्तिम रूप से ये मामले रख सकते हैं। सरकार के विचार भी जान लेने के पश्चात् पूरी सूची सभा के सम्मुख रखी जा सकती है।

यदि सभा द्वारा प्रतिवेदन पारित करने के पश्चात् उसम परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी तो उससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रतिवेदन से हिन्दू (निर्वाह-व्यय तथा दत्तक-ग्रहण) विधेयक में कोई बाधा नहीं पड़ती। इस पर सभा की सहमति लेनी होगी। अतः इस समय इस बारे म कुछ करने के बजाये हमें देखना चाहिये कि आज कार्य मंत्रणा समिति म क्या तय होता है। इस समय हम पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन स सहमत है, जो सभा में १० दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : आज जो कार्यावलि परिचालित की गई है उसम बीमा कर्मचारियों के वेतनक्रम पर चर्चा सम्मिलित नहीं की गई। देश के विभिन्न भागों से लोग इस बारे में मुझसे मिलने आये हैं। यदि इस पर शीघ्र ही विचार न किया गया तो प्रतिनिधियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: वित्त विधेयक के लिये दो घंटे का समय और दे दिया गया है और कुछ परिवर्तनों के कारण हम उसे अगले सप्ताह सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : चूंकि इसका सम्बन्ध बहुत से लोगों से है, अतः कोई तारीख निश्चित कर दी जानी चाहिये।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : माननीय सदस्यों को भलीभांति विदित है कि पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इसको अगले सप्ताह रखा जायेगा। केवल २·५ घंटे का समय उसके लिये निश्चित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा सुझाव है कि नियमों में संशोधन करने के बजाय वित्त विधेयक के पश्चात् इसके लिये पर्याप्त समय रखा जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक ऐसे मामलों का सम्बन्ध है, मैं देखता हूं कि ऐसी प्रवृत्ति फैल रही है कि सरकार पर इसके लिये प्राथमिकता देने के बारे में जोर डाला जाता है । कुछ भी हो तो भी यह सरकार का कार्य है । ऐसे मामलों में हम केवल सुझाव दे सकते हैं, जोर डालना उचित नहीं । माननीय मंत्री कह चुके हैं कि इस चीज़ को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जायेगा । सरकार अपने कार्य के बारे में हम लोगों से अधिक जानती है ।

†**श्री कामत** : जब कि यह चीज़ पिछले तीन दिनों से क्रमशः चल रही थी, तो फिर क्रम-पत्र में न रखने के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यावलि में ज़रा-ज़रा से परिवर्तन के लिये माननीय मंत्री को सभा में बोलने की आवश्यकता नहीं है । साथ ही कार्यावलि में परिवर्तन हो जाने से सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं पड़नी चाहिये ।

वित्त (संख्या २) विधेयक तथा वित्त (संख्या ३) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री बर्मन अपना भाषण जारी रखेंगे । माननीय सदस्यों को विदित है कि इन विधेयकों के लिये आज ६ बजे तक समय नियत किया गया है और इस बीच विधेयकों के सारे प्रक्रम पूरे होने हैं । मैं कल ही बता चुका हूं कि खण्डों में एक घंटा लग जायेगा । क्या माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि खण्डों में इससे भी अधिक समय लग जायेगा ?

†**कई माननीय सदस्य** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्डों में एक ही घंटा लगेगा । ५ बजे तक विचार समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना—पश्चिम) : कम से कम १·५ घंटे का समय दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जितने समय का हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक समय तो सदैव ही लग जाता है ।

†**श्री तुलसीदास** : मैंने कुछ संशोधनों की पूर्व सूचना दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, हम खण्डों के लिये १½ घंटा नियत करते हैं । अतः ४·३० तक सामान्य चर्चा समाप्त हो जायेगी जिसमें माननीय मंत्री का उत्तर भी सम्मिलित है । इस प्रकार मैं मंत्री महोदय से चार बजे बोलने के लिये कहूंगा यदि उन्हें आधा घंटा ही लगेगा तो, अन्यथा ३·४५ से उन्हें बोलना होगा

अब श्री बर्मन जो पहले बोल रहे थे, अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : कल मैंने निक्षेपों और पूंजीगत लाभ-कर आदि से सम्बन्धित खण्डों की चर्चा की थी । आज मैं समयाभाव के कारण माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उन्हीं के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता कि इस विधेयक से ग़ैर-सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यदि इस बारे में ग़ैर-सरकारी उद्योगों को कोई हानि होने वाली होगी तो मंत्री महोदय उसे स्वयं ठीक कर लेंगे क्योंकि हमें उनमें विश्वास है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री सोमानी ने कपड़े पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है। पहले हमने यही समझा था कि इसका भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त कर का सारा भार उद्योग पर पड़ा है। रिज़र्व बैंक ने जो अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं, उनसे पता लगता है कि इस अतिरिक्त कर से वस्त्र उद्योग को हानि के बदले लाभ ही हुआ है किन्तु यह लाभ अन्य उद्योगों की तुलना में सबसे कम अवश्य है। इस कारण हम यह चाहते हैं कि अन्य उद्योगों का लाभ भी कम कर दिया जाये जिससे उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष कर का भार कम हो जाये।

विनियोजक की जेब में जो कुछ भी लाभ जाता है, अन्ततोगत्वा अप्रत्यक्ष रूप से वह उपभोक्ता के लिये कर बन जाता है। भारत जैसे देश में जहां ९५ प्रतिशत लोग ग़रीब हैं, सरकार को चाहिये कि वह उपभोक्ता का भार इतना कम कर दे कि जिससे उद्योग बिना हानि के चलते रह सकें, तो देश का अधिक भला हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं अपितु बहुत से हमारे साथियों के हृदयों में अभी शोषित जनता के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने कभी देश के विभिन्न भागों में जाकर भूख से पीड़ित मानवता का करुण क्रन्दन नहीं सुना है जो सदैव अपने को ही कोसा करते है। यह चीज़ अब देश में अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। सरकार को भी चाहिये कि वह यथाशीघ्र इस दरिद्ररूपी विभीषिका का विनाश करने के लिये सन्नद्ध हो जाये। इस ओर से सरकार अब आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती।

मैं श्री चेट्टियार की भांति नौकरशाही को बुरा-भला नहीं कहता। मैं यह नहीं कहता कि वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण अभी कर दिया जाये। मेरा विचार तो यह है कि यदि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिससे केवल उसके मालिक का ही लाभ होता हो तो उसे मार देना ही उचित होगा। यह सम्पत्ति तो राष्ट्र की सम्पत्ति होनी चाहिये। मैं विरोधी दल के इस विचार से सहमत नहीं कि वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से यह उद्योग नष्ट हो जायेगा क्योंकि नौकरशाही उसका प्रबन्ध नहीं कर सकेगी।

इस बारे में मेरा एक अनुभव प्राक्कलन समिति के सदस्य के नाते यह है कि सिन्दरी का कारखाना जिसमें विशेष प्रवीणता की आवश्यकता थी, अब हमारे भारतीय सफलता से चला रहे हैं। इसी प्रकार चित्तरंजन और डी० डी० टी० कारखाना भी सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं। मैं पूछता यह हूं कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से क्या वह नष्ट हो गया? जो नौकरशाही इतने अच्छे-अच्छे काम कर रही है क्या वह इस छोटी सी चीज़ को नहीं चला सकेगी। अतः यह कोई बड़ी कठिन बात नहीं है।

मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे गैर-सरकारी उद्योगों को भी जितना अधिकाधिक उत्पादन वे कर सकते हैं, करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये किन्तु यदि वे धमकी देते हैं और सारा लाभ हड़पने का प्रयत्न करते हैं तो उसके लिये सरकार में इतना बल है कि वह स्वयं उन उद्योगों का संचालन कर सकती है। हमारे उद्योगपतियों को अब आंखें खोल कर काम करना होगा। यदि इतने छोटे कर लगाने से ही वे घबड़ा उठेंगे तो इतनी बड़ी योजना को सफल बनाने में वे सरकार की क्या सहायता कर सकेंगे? बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के अलावा जनता भी योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर चुकी है, जिसको हमें श्रेय देना होगा। अतः इससे अधिक अच्छी स्थिति देश की तभी हो सकेगी जबकि यह भार किसी एक पक्ष पर ही न पड़े। योजना को सफल बनाने के लिये जो कुछ भी सम्भव है, करना होगा किन्तु अपने-अपने अनुपात के हिसाब से। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): प्रत्येक दल को एक घंटा समय भाषण के लिये मिलना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० कृष्णस्वामी ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) : वित्त मंत्री ने, आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय, देश की आर्थिक स्थिति का जो पुनरीक्षण किया है, उससे बड़ी आशंकायें पैदा होती हैं। गत आठ महीनों में हमने अपनी रक्षित निधि में से लगभग २१० करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा खोदी है। हम इस अवधि में प्रति दिन लगभग एक करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा गंवाते रहे हैं, यह इसीलिये कि हम आयात बहुत अधिक करते रहे हैं और निर्यात कम होता गया है। इस प्रकार तो हम शीघ्र ही दिवालिया हो जायेंगे।

देश में आन्तरिक रूप से सामान्यतः वस्तुओं की मांग सम्भरण से अधिक नहीं है। कुछ क्षेत्रों में मांग अधिक है, जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, तिलहन इत्यादि की मांग अधिक है। इसके कई कारण हैं। लेकिन भुगतान शेष के संकट में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आयातों, और विशेषकर पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक मशीनों आदि के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, निर्यातों के कम होने या आयातों के बढ़ने से देश में मुद्रा-स्फीति नहीं हुई है। इसका कारण यह नहीं है कि देश में वस्तुओं की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, बल्कि यह है कि हमारा विनियोजन बहुत अधिक बढ़ गया है और आयातों की मात्रा बहुत अधिक हो गई है।

ऐसी परिस्थिति में, विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में ही कार्यवाही करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। मुद्रा-स्फीति विरोधी न होने के कारण, हमारे कराधान सम्बन्धी उपायों से इस संकट का समाधान नहीं होगा। सरकार ने उत्पादन और आयात शुल्कों में जो वृद्धि की है, उससे भुगतान शेष के संकट का कोई समाधान नहीं होगा।

पूंजी लाभ-कर भी वर्तमान परिस्थिति में भुगतान शेष के संकट का समाधान नहीं कर सकेगा, उससे हमारे घाटे की खर्च-व्यवस्था में भी कोई अधिक सुधार नहीं होगा। इस कर से हमें आगामी एक-दो वर्षों में कोई अधिक धन राशि नहीं मिल सकती है।

यह अवश्य है कि पूंजी लाभकर अधिक विनियोजन व्यय के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली असमानताओं को बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन, इस अन्तर्कालीन आय-व्ययक में इसे लागू करने की कौन-सी अविलम्बनीयता थी ? फिर, हमने इस कर को लगाने में अधिक सख्ती से भी काम लिया है। श्री कैल्डर ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि आय पर तो ६२ प्रतिशत सीमान्त दर के हिसाब से कर लगाना और पूंजी लाभों को कर से मुक्त कर देना असमान और विभेदपूर्ण कार्यवाही है। उन्होंने कहा था कि ऐसे कराधान से काम से आय प्राप्त करने की प्रेरणा कम हो जायेगी, क्योंकि कराधान का आधार संकीर्ण होने के कारण, उस दशा में, काम से प्राप्त होने वाली आय पर अधिक कर लगाना ही पड़ेगा। इसीलिये, उनका कहना था कि आय पर कराधान की दरें ४५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहियें। यह तभी किया जा सकता है जब कि सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय के पूंजी लाभों को कर-मुक्त न किया जाये। इसके लिये कराधान का आधार अधिक विस्तृत होना चाहिये। लेकिन, हमने तो इसके विपरीत ही किया है। फिर एक बात और है, कि इसे इस अन्तर्कालीन आय-व्ययक में सम्मिलित करने की क्या अविलम्बनीयता थी ? इस अन्तिम सत्र में उपस्थिति भी इतनी कम है और इस पर पूरी तौर से विचार भी नहीं किया जा सकेगा।

लाभांशों पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में भी, मुझे यह कहना है कि हमारे आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था में लाभांशों से हमारी राष्ट्रीय आय में लगभग ६ प्रतिशत का ही अंशदान होता है, और इसलिये इनके करारोपण से मुद्रा-स्फीति को कम करने में बहुत ही कम सहायता मिल सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस वृद्धि से उन व्यावसायिक संस्थाओं को हानि पहुंच सकती है जिन्होंने पहले सावधानी की नीति अपना कर मुनाफे कमाये हैं। उन समवायों को यह अनुमति दी जानी चाहिये कि वे सावधि आस्तियों में लगायी गई रक्षित राशि को अपनी प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित कर सकें। इससे यह कर अधिक साम्य-पूर्ण बन जायेगा ।

वित्त विधेयक में एक प्रस्ताव यह भी है कि प्रतिधारित मुनाफों का एक हिस्सा सरकार के पास निक्षेपों के रूप में जमा रहना चाहिये। इससे एक लाभ तो यह होगा कि सरकार का नियंत्रण अधिक रह सकेगा, लेकिन इससे कई असुविधायें भी हो जायेंगी। यह कहना ठीक नहीं है कि इस उपाय से विदेशी मुद्रा के परिवर्तन में सहायता मिलेगी, या विदेशी मुद्रा के हमारे संसाधनों में कोई सुधार हो सकेगा। मशीनों आदि के आयात या निजी क्षेत्र के विस्तार कार्यक्रमों का नियंत्रण करने की दृष्टि से भी यह उपाय अधिक उपयोगी नहीं होगा। इस कार्य को तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर ही सकता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अनुरोध करके इन निक्षेपों को वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसमें और भी अधिक प्रशासकीय असुविधा होगी । दो-तीन हज़ार समवायों की शिकायतों को दूर करना बहुत कठिन होगा। इसमें विलम्ब भी काफ़ी होगा और समवायों को कठिनाई हो जायेगी। विलम्ब होने पर, समवायों को विकास अवहार और अवमूल्यन पर कर देना पड़ेगा। मुख्य समस्या तो वास्तव में विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने की ही है। हमने उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। राष्ट्रीयकरण की धुन में, हमने विदेशों से मुद्रा प्राप्त होने के संभावित स्रोतों को भी छोड़ दिया है। राष्ट्रीयकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी अनेक पेचीदगियां पैदा हो गई हैं, और हमारा राष्ट्रीयकृत जोवन बीमा निगम विदेशों में कार्य नहीं कर पाता है। हमने इन कठिनाइयों पर विचार नहीं किया था। लेकिन, अब तो हमें विदेशों से प्राप्त हो सकने वाली मुद्रा के संभावित स्रोतों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। आज परिस्थिति बड़ी गम्भीर हो गई है, इतनी कि कहीं हमें अपनी योजना का पुनरीक्षण न करना पड़ जाये।

माननीय वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा था कि योजना को पुनरीक्षित करने का कोई कारण नहीं ह और हमें अपनी इस योजना को, इस चुनौती को अपनी पूरी शक्ति से पूर्ण करना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि परिस्थितियां उनका साथ देंगी। लेकिन मेरा अपना विचार है कि यदि हमारे देश को गत दो-तीन वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, तो हम भुगतान शेष के संकट का समाधान नहीं कर सकेंगे, इसलिये, हमें अपना सारा ध्यान विदेशी मुद्रा के अर्जन पर ही केन्द्रित करना चाहिय। सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनस तो परिस्थिति में किंचित भी अन्तर नहीं पड़ेगा।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं यह तो मानता हूं कि हमार देश म आपातकालीन परिस्थिति है, लेकिन हमें इस पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं देना चाहिये, अन्यथा हम उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकेंगे ।

द्वितीय योजना को स्वीकार कर लेने के बाद, अब देश की क्या स्थिति है? योजना के निर्माण के समय ही यह कहा गया था कि योजना के कुछ प्राक्कलन यथार्थ से मेल नहीं खाते थे। इस स्थिति की ओर भी संकेत किये गये थे। मूल्यों की स्थिति के सम्बन्ध में भी चिन्ता प्रकट की गई थी। इसका अर्थ यही है कि आज की यह परिस्थिति बिल्कुल नई ही नहीं है, यह उसी का अधिक विकसित रूप है ।

हमारे मार्ग म सबस बड़ी बाधा है मूल्यों की स्थिति की। गत मई मास से ये मूल्य लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मूल्य ३७६ से ३९७ और ४०९ तक बढ़ चुके हैं। सरकार इन मूल्यों को एक स्तर पर स्थिर रखने का प्रयास तो कर सकती थी। लेकिन, आज तो मूल्य-स्तर ४३३ से भी अधिक हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री वंसल]

मूल्यों की यह बढ़ती मुख्यतः खाद्य वस्तुओं के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण ही हुई है । पिछले वर्ष मई में यह २७६ से बढ़कर ४१८ तक पहुंच गई थी, जबकि निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में कुल १४ अंकों की ही वृद्धि हुई थी ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि हम खाद्य समस्या को सुलझायें, तो योजना पूरी हो जायेगी । इस दिशा में भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये । इसके हल होने से हमारी योजना की कार्यान्विति की एक बड़ी बाधा दूर हो जायेगी ।

हमारी दूसरी समस्या है विदेशी मुद्रा के संसाधनों की । हमने इनके सम्बन्ध में एक बहुत ही आत्म-संतुष्टि का दृष्टिकोण अपना लिया था, और इसी असावधानी के कारण अब यह संकट उत्पन्न हुआ है । उस समय मैंने निवेदन किया था कि हमें अपनी अगली पंचवर्षीय योजना के लिये अपनी पौण्ड पावना निधि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये उसे अभी से खर्च नहीं किया जाना चाहिये । यह भी कोई बिल्कुल नया ही संकट नहीं है । मेरे एक मित्र ने कहा कि इस संकट का कारण यही है कि हमने अनावश्यक उपभोग वस्तुयें बहुत अधिक मात्रा में खरीद ली हैं । यह सही नहीं है । हमारा अधिकांश व्यय पूंजी वस्तुओं, मशीनों या इस्पात और सीमेंट पर ही हुआ है, इनका हमारे पास पर्याप्त स्टाक है और यह अच्छा ही है, क्योंकि इससे हमें स्वेज़ नहर के बन्द होने के कारण उत्पन्न हो सकने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

लेकिन, हम ने अपने निर्यात व्यापार के संवर्धन के लिये उतना अधिक प्रयास नहीं किया है जितना कि हमें करना चाहिये था । हमें प्रस्तावित निर्यात जांच समिति की स्थापना में शीघ्रता करनी चाहिये । आपातकाल को देखते हुए, हमें इसे अविलम्बनीय ही मानना चाहिये ।

हमें कुछ आयातों में कमी करनी चाहिये । वित्त मंत्री ने कुछ आयात वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा दिये हैं । कुछ वस्तुओं का आयात रोकने के लिये उन पर उत्पादन शुल्क भी लगाये गये हैं । लेकिन सिर्फ़ इतने से काम नहीं चलेगा । यदि हम इसकी ओर उचित ध्यान दें, तो हम आयातों में प्रति वर्ष ३० या ४० करोड़ रुपये की कमी कर सकते हैं । इनकी सूची बनाई जा सकती है ।

पौण्ड मुद्रा क्षेत्र और डालर रक्षित निधि में ३,००० लाख डॉलरों की कमी हो गई है । क्या इस कमी का प्रभाव हमारी पौण्ड मुद्रा आस्तियों के मूल्य पर नहीं पड़ेगा ? हो सकता है कि पौण्ड मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़े । यदि ऐसा हुआ, तो इंग्लैण्ड में जमा हमारी निधियों की क्या स्थिति होगी ? क्या इंग्लैण्ड की सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की गई है ? क्या हम अपनी विदेशी मुद्रा की निधियों के क्षेत्र को कई देशों में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ? विदेशी मुद्रा की सभी निधियों को एक ही देश, इंग्लैण्ड, में जमा रखना ठीक नहीं है । उन्हें अन्य देशों में भी फैलाया जाना चाहिये ।

विदेशी संसाधनों और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में, वित्त मंत्री का यह विचार ठीक है कि हम कुछ बाहर के देशों से इन्हें काफी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं । इस देश में विदेशी पूंजी लाने वालों को हमें आश्वासन भी देना पड़ेगा । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कलकत्ता स्थित विदेशी पूंजी को नयी विदेशी पूंजी कहना और उससे कोई अधिक आशा रखना ठीक नहीं है । यदि वित्त मंत्री उससे अधिक आशा रखेंगे, तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा । हमारे यहां जिस प्रकार की विदेशी पूंजी आयेगी, वह उन विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं से आयेगी जो उभयपक्षीय करारों के फलस्वरूप हमारे देश में पूंजी लगाने को तयार होंगे । सरकार की भी यही नीति है । इतना ही नहीं, हमारे देश में विदेशी पूंजी लगाने वाले यह देखेंगे कि हमारी सरकार का स्वयं इस देशकी पूंजी के बारे में क्या व्यवहार है । मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से तो रक्षित निधि का एक भाग सरकार के पास जमा करने के प्रस्ताव का देशीय और विदेशी दोनों ही पूंजियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । यह तो ठीक है कि व्यक्तिगत बचत की

अपेक्षा सामुदायिक बचत पर अधिक जोर दिया जाये, लेकिन सामुदायिक बचत भी तो व्यक्तिगत बचत पर ही निर्भर करती है। सबसे अधिक वांछनीय उद्योगों में लोग पूंजी लगायें, इसके लिये सरकार को विशेष प्रकार की प्रेरणायें देनी पड़ेंगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

नये उपक्रमों में सामुदायिक बचत की पूंजी का लगाया जाना भी व्यक्तिगत इच्छा पर ही निर्भर है। व्यक्तिगत इच्छा के लिये कुछ प्रेरणायें भी होनी चाहियें। वित्त मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, अन्यथा गैर-सरकारी क्षेत्र में द्वितीय योजना की कार्यान्विति में उन्हें निराशा का सामना करना होगा।

विधेयक के एक खण्ड में संचित रक्षित निधियों का २५ प्रतिशत और चालू रक्षित निधियों के ७५ प्रतिशत भाग का सरकार के पास जमा करना अनिवार्य बनाया गया है। मेरा विचार तो यह है कि एक निश्चित सीमा तक करारोपण कर सकने की शक्ति ग्रहण कर लेने का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वर्तमान वित्त मंत्री स्वयं ही पहले प्राधिकार के प्रत्यायोजन के कट्टर विरोधी थे। अब वही हमसे उसे स्वीकार करने के लिये कहते हैं। वे यह शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं कि जब भी वे चाहें समवायों से संचित रक्षित निधियों का २५ प्रतिशत और चालू रक्षित निधियों का ७५ प्रतिशत सरकार के पास जमा करने के लिये कह सकें।

कुछ करों के बारे में यही किया जा रहा है। मेरा विचार है कि इस प्रकार शक्ति ग्रहण करना इस सभा के अधिकार को निराकृत करने के समान है। होना तो यह चाहिये कि जब भी वित्त मंत्री इसकी आवश्यकता अनुभव करें, वे सभा को सहमत करके उसकी मंजूरी ले लें। यह तो इसी के समान होगा कि सरकार को यह अधिकार दे दिया जाये कि वह जब भी और जिस दर पर भी चाहे, आय कर लगा सके। यह अनुचित तरीका है।

श्री सोमानी ने इस खण्ड की क्रियान्विति के मार्ग में आने वाली संभावित कठिनाइयां बताई हैं। वित्त मंत्री को नियमों के बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नित्य-प्रति के कार्यों के लिये रक्षित निधियों का उपयोग करने वाले और बैंकों से या सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय निगमों से ब्याज की अधिक दर पर ऋण लेने वाले समवायों को कोई कठिनाई न हो पाये।

वास्तव में उद्योग को यह डर है कि सरकार के पास जमा करने के बाद इन राशियों को वापस लेने में कई महीने लग जायेंगे। अतिरिक्त लाभ कर की जो राशियां सरकार के पास पहले जमा रहती थीं, उनको भी वापस लेने में बहुत अधिक समय लगा करता था। उसमें कभी-कभी वर्षों लग जाते थे। वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये।

सूती कपड़ों पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्कों का परिणाम यही हुआ है कि उसकी मांग कम हो गई है। यह तो योजना के उद्देश्य के ही विपरीत है। इससे तो जनता के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि नहीं की जा सकती। इसका समाधान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके नहीं किया जा सकता जिनमें कि उपभोक्ता वस्तुयें खरीद ही न सकें, बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके ही किया जा सकता है जिनमें उत्पादन की वृद्धि की जा सके। इसलिये, सरकार को सामान्य जनता की आवश्यकता की चीज़ों का उत्पादन बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष कराधान का स्वागत करते हैं; क्योंकि अब सरकार ने देश के विकास के लिये गरीब जनता पर करों के भार डालन की अपनी पहले की नीति को त्याग दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इन प्रस्तावों में एक और अच्छी बात है—रक्षित निधियों को सरकार के पास जमा करने का अनिवार्य बनाया जाना । इसके अभाव में होता यह था कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में केवल उन उद्योगों को ही शुरू किया जाता था, जिनसे कि शीघ्र ही लाभ मिल सके । अब हम इस प्रस्तावित उपाय से विकास के निर्माण-कार्यों की प्राथमिकताओं की दिशा में ही उद्योगों को ले जा सकेंगे । इस दृष्टिकोण से रक्षित निधियों का एक भाग सरकार के पास जमा करने का प्रस्ताव बहुत ही उपयोगी है ।

श्री क० कु० बसु ने १६५४ में ही यह प्रश्न उठाया था, और मैंने भी १६५५ में इसे सुझाया था । कुछ विलम्ब से ही सही, यह बहुत ही आवश्यक उपाय है, इसलिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी कुछ प्राथमिकतायें निश्चित करना आवश्यक है । मैं इसका स्वागत करती हूं ।

अभी तक तो कराधान का मुख्य भार ग़रीब जनता पर ही पड़ता रहा है । १६३६ से अब तक ग़रीब जनता पर करों का भार २०० प्रतिशत अधिक हो गया है । प्रोफेसर कल्डोर ने भी कहा था कि सामान्य जनता पर कुछ अप्रत्यक्ष करारोपण की अनिवार्यता के साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अधिक धनी व्यक्तियों पर भी उत्तरोत्तर बढ़ने वाला करारोपण किया जाये । इसके बिना, योजना पर होने वाले व्यय की वृद्धि के साथ-साथ, धनी वर्गों की सम्पदा और भी असामान रूप से बढ़ती जायेगी, जो लोकतांत्रिक समाज के सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा । इसीलिये, मैं प्रत्यक्ष करारोपण के इन दोनों प्रस्तावों का स्वागत करती हूं । कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि प्रत्यक्ष करारोपण से अधिक राशि नहीं मिल सकेगी और इसलिये इससे कोई लाभ नहीं होगा लेकिन, अब सामान्य जनता ने यह अनुभव कर लिया है कि प्रत्यक्ष करारोपण से कम राशि संचित होने का मुख्य कारण यही है कि उसका अपवंचन किया जाता है । प्रोफेसर कल्डोर ने भी कहा है कि प्रत्यक्ष करारोपण से १०० करोड़ रुपये तक उपलब्ध किये जा सकते हैं ।

पूंजी लाभ-कर और इसी प्रकार के प्रस्तावित अन्य करों के द्वारा सरकार योजना के संसाधनों में वृद्धि कर सकती है ।

कर जांच आयोग ने पहले पूंजी लाभ-कर के लगाने का समय उपयुक्त नहीं माना था, हालांकि इस कर को उसने उपयुक्त मान लिया था । उस समय तो मूल्य गिर रहे थे, लेकिन अब मूल्यों में वृद्धि हो रही है । इसीलिये, अब पूंजी लाभकर के लगाने का उपयुक्त समय आ गया है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसका प्रभाव मुद्रा-स्फीति को कम नहीं करेगा, लेकिन मैं समझती हूं कि यह कर वास्तव में मुद्रा-स्फीति विरोधी ही है । उन्होंने तर्क यह दिया है कि जिन पर यह कर लगता है उनका उपभोग-व्यय बढ़ी हुई कुल आय के अनुपात में नहीं बढ़ पाता । लेकिन, वे यह भुला देते हैं कि वे इसके होते हुए भी बाजार की कुछ वस्तुओं का सट्टा करते हैं और मूल्य में अधिक वृद्धि करके दूसरों के लिये वस्तुओं के उपयोग को और भी अधिक महंगा बना देते हैं ।

अभी कल ही श्री अशोक मेहता ने बताया था कि नये वित्तीय प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ सट्टा किया भी जा चुका है । माननीय मंत्री के वक्तव्य से पहले ही 'इन्डियन आयरन्' शेयरों में, १२ लाख रुपयों के मूल्य के शेयरों से लगभग ५० लाख का मुनाफा कमा लिया गया है ।

विमुक्तियों के सम्बन्ध में भी, इस विधेयक में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सुधार कर दिये गये हैं । इनमें विमुक्ति की सीमा घटा दी गई है, अब वह केवल १५,००० रुपये तक ही रह गई है । प्रोफेसर कल्डोर ने भी इसकी सिफ़ारिश की थी । हमारे देश में, प्रत्यक्ष करों की कोई एक एकीकृत प्रणाली न होने के कारण, हम कर अपवंचना के सभी रास्तों को बन्द नहीं कर सके हैं । यदि पूंजी लाभ-कर और आय पर लगने वाले आय-कर की दर में अन्तर रखा जायेगा, तो इससे भी कर अपवंचना के लिये गुंजाइश बनी ही रहेगी

हमारे जैसे निर्धन देश में आय-कर की खण्ड पद्धति[1] के आधार पर दर की संगणना करना ही ठीक रहेगा ।

पहले श्री लियाकत अली खां ने वसीयतों और उपहारों को विमुक्ति दे दी थी । मैं पूछना चाहती हूं कि अब भी सम्पदाशुल्क के बारे में उसी नीति का अनुसरण करते रहने का क्या कारण है। यह इसलिये कि हमारा अनुभव बताता है कि इस विमुक्ति का लाभ उठाकर वे सब व्यक्ति भी सम्पदा शुल्क की अपवंचना करते हैं जो इसको अदा करने में समर्थ हैं। इसलिये, इन विमुक्तियों से अपवंचना को ही प्रोत्साहन मिलेगा ।

समांशी सम्पत्ति के विभाजन के मामले में, थोड़ी और मध्यम दर्जे की आय वाले व्यक्तियों को विमुक्ति का देना तो ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि बड़े-बड़े पूंजीपति अदा करने का सामर्थ्य रखते हुए भी, अपने सामाजिक प्रभाव और धन के बल पर इसकी अपवंचना करते रहते हैं ।

हमने कलकत्ता में देखा है कि तथाकथित बड़ा बाज़ार में मिताक्षर प्रणाली चालू है और वहां लोग अपनी सम्पत्ति का विभाजन कराना ही लाभप्रद समझते हैं, क्योंकि आय-कर की खण्ड पद्धति के अनुसार संयुक्त, अविभाजित सम्पत्ति पर अधिक कर देना पड़ता है । इसीलिये, श्री बिड़ला ने अपनी विशाल सम्पत्ति को वहां विभाजित करवा दिया है । इसके कारण, वे कुछ वित्तीय करारोपण की खण्ड दरों से बच जाते हैं ।

इसलिये, मेरी भावना यह है कि इन विमुक्तियों के लिये भी किसी प्रकार की एक खण्ड-दर रखी जानी चाहिये, या कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिये, जिससे सम्पत्ति के विभाजन की आड़ में अपवंचन न किया जा सके ।

पहले तो पूंजी लाभ-कर में तो हानियों को सीमित कर देने के लिये छः वर्षों की अवधि रखी गई थी, लेकिन अब वह अवधि हटा दी गई है। अब हानियों को दिखा कर पूंजी लाभकर की हमेशा ही अपवंचना की जा सकती है । भारत बीमा समवाय के सौदों का अनुभव हमारे सामने है कि उसने किस प्रकार वास्तविक लाभों को छुपाने के लिये दुराशयपूर्ण हानियों का सहारा लिया था। इसी से संदेह पैदा होता है कि हमारी व्यवस्था त्रुटियों से अनुचित लाभ उठाने की कोशिशों को रोक भी पायेगी या नहीं, और वह इस प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा अधिकतम राशि प्राप्त कर भी सकेगी, या नहीं ।

वित्त मंत्री के भाषण में एक कमज़ोरी यह थी कि उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया है कि इन करों का संग्रह करने के लिये वे सारी व्यवस्था को किस प्रकार अधिक कठोर और सतर्क बनायेंगे । अभी तक हमारी राजस्व-संग्रह की व्यवस्था बड़ी ढीली-ढाली रही है । इसीलिये, यह बहुत ही आवश्यक है । हमें इसके उपाय करने चाहियें ।

इस कार्य में कठिनाइयां तो हैं, लेकिन इसे किये बिना हम अधिकतम कर का संग्रह करने में सफल भी नहीं हो सकेंगे । विभिन्न कल्पित सौदों को रोकना ही पड़ेगा । मैं मानती हूं कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सट्टे से होने वाली आय और वास्तविक विनियोजन में अन्तर करना और उनकी परिभाषा करना कठिन है ।

मैं अनुभव करती हूं कि श्रेष्ठि चत्वर अधिनियम (स्टाक एक्सचेंज एक्ट) में सुधार की आवश्यकता है । रक्षित निधि को जमा करना न केवल इसलिये महत्वपूर्ण है कि इससे सरकार के हाथ में कुछ धन रहेगा वरन् उस धन को राष्ट्र की इच्छा के अनुसार काम में भी लाया जा सकता है ।

[1]. Slab System.

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब रक्षित निधि का निक्षेप अनिवार्य नहीं रखा गया है । वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि यदि कोई रक्षित निधि जमा न करे तो अवक्षयण भत्ता और विकास सम्बन्धी छूट कर पर पारित की जायेगी । परन्तु हमें यह देखने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी कि यह एच्छिक निक्षेप की नीति सफल होगी अथवा नहीं ।

मैं अनुभव करती हूं कि सरकार को यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि अब तक सरकारी व्यवस्था लाल फीतेशाही से शासित रही है । वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे मामलों को शीघ्र निबटाया जा सके । हम यह चाहते हैं कि रक्षित निधियां बिना काम में लाये न पड़ी रहें और जहां कहीं ग़ैर-सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता हो उन्हें उपयोग में लाया जाये । सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि यह व्यवस्था संतोषजनक रीति से कार्य करे ।

मैं अनुभव करती हूं कि उच्च लाभांशों पर कर की उत्तरोत्तर बढ़ती जाती दरें उचित हैं क्योंकि इससे उद्योग में और अंश पूंजी के आने को प्रोत्साहन मिलता है । परन्तु इसकी अपेक्षा लाभांशों पर कोई सीमा लगाई जानी चाहिये क्योंकि लाभांश पर कर का महत्व बोनस अंश जारी करने से समाप्त हो जाता है । बोनस अंशों पर भी कर लगता है परन्तु बोनस अंशों पर एक बार कर दे कर वे कई वर्ष तक लाभांश कर की बचत कर सकते हैं ।

वस्तुतः ९ दिसम्बर, १९५६ के **'स्टेट्समैन'** के वाणिज्य तथा वित्त स्तम्भ में यह प्रकाशित हुआ है कि समवायों के लाभांशों पर कर बढ़ाने से संयुक्त स्कंध उपक्रम बोनस अंश जारी करने लगेंगे । सैंचुरी स्पिनिंग एण्ड मेनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों के इस निश्चय से कि वे तीन और दो के अनुपात से बोनस अंश जारी करेंगे यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि जो समवाय बोनस अंश नहीं दे रहे थे वे अब देना आरम्भ कर देंगे ।

रक्षित निधियों के सम्बन्ध में मैंने बागान जांच समिति का प्रतिवेदन देखा है । उसमें बताया गया है कि प्रदत्त पूंजी में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सामान्य रक्षित निधि में १३१ प्रतिशत और अन्य विशेष निधियों में ४२५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसमें यह भी बताया गया है कि वस्तुतः चाय की कृषि का क्षेत्र नहीं बढ़ा है । अतः रक्षित निधियों पर नियंत्रण करना न्यायोचित है ।

एकत्र किये गये आंकड़ों से पता लगता है कि जिन निजी लिमिटेड ४,५८९ समवायों पर कर लगाया गया है उनमें से केवल ३००५ के आंकड़े उपलब्ध हैं और इनमें ८६ प्रतिशत समवाय २३—क श्रेणी के समवाय हैं । कराधान जांच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गैर-सरकारी समवाय अधिकतर निकट सम्बन्धित निगम हैं । यदि इन्हें ढूंढा जा सके तो न केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में वरन् सरकारी क्षेत्र में भी २३—क श्रेणी के समवायों की संख्या बढ़ेगी और उनसे आशातीत कर की वसूली होगी ।

हम अब उन विदेशी समवायों को विमुक्ति दे रहे हैं जो अपना कारोबार पूर्णतः देशी समवायों को बेच रहे हैं । बागान जांच समिति के प्रतिवेदन से पता लगता है कि यूरोपियन लोग ऐसे समवायों को अत्यधिक अधिक दरों पर बेच रहे हैं ।

इस बात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये कि यूरोपियन समवाय भारतीय समवायों को बेच दिये जायें परन्तु क्योंकि वे बहुत अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं तो उनके पूंजीगत लाभ पर भी कर लगना चाहिये ।

उत्पादन कर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि आयात निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और विदेशी मुद्रा कम हो गई है । अतः आयात नीति के क्षेत्र में सरकार को अनावश्यक वस्तुओं के आयात में सख्त कटौती करनी चाहिये ।

हम आरामदेह मोटर कारों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने का स्वागत करते हैं। परन्तु कुछ व्यक्तियों ने समाचारपत्रों में कहा है कि आरामदेह कारों पर ३,००० रुपये का उत्पादन शुल्क बड़ी कारों के निर्माण की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार के निश्चय के अनुकूल नहीं है। मैं अनुभव करती हूं कि आज बड़े ट्रकों के अधिकाधिक निर्माण की आवश्यकता है।

रेयोन देश के हमारे भाग में तो विलास की वस्तु है। इस पर कर लगाने से बहुत हानि पहुंची है। दिल्ली और पंजाब के अन्य भागों में मध्य वर्ग के परिवार भी इसका प्रयोग करते हैं और उन्हें हानि होगी।

अन्य उत्पादन करों के सम्बन्ध में मैं समझती हूं कि सभी विलास वस्तुओं पर कर लगना इस संकट-काल के कारण आवश्यक है।

हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु विमुक्तियों और पूंजीगत लाभ कर और रक्षित निक्षेपों के उपयोग में जो त्रुटियां हैं वे दूर की जानी चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बराबर दो दिन से हम इस बहस को सुनते चले आ रहे हैं और जो तजवीजें हमारे आनरेबुल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब (माननीय वित्त मंत्री) ने कीं उनके साथ उसूल पर एख्तलाफ करना मुश्किल है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स (व्यवहार्यतः त्रुटियां) रोजमर्रा हम देखते हैं और जिस माहौल (वातावरण) के अन्दर यह तजवीजें आती हैं, उससे जी नहीं चाहता कि कोई भी टैक्स (कर) इस देश के अन्दर बढ़े और किसी तरह का बोझ लोगों पर पड़े क्योंकि हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ाने से पहले जरूरी यह है कि हम अपनी पहली तवज्जह इस तरफ दें कि बेजा खर्च दूर हो। हम हर जगह देखते हैं, गवर्नमट के सब कामों के अन्दर, कि सिवा वेस्टफुल एक्स्पेंडिचर (व्यर्थ व्यय) के, सिवा इसके जहां दो पैसा खर्च होता हो वहां दो आने खर्च होता है, सिवा इसके कि फुजूलियात पर पैसा खर्च होता हो, और कुछ नहीं होता है। किसी भी दफ्तर में जहां दस आदमी काम को कर सकते हैं वहां बीस आदमी लगाये जाते हैं। आप किसी महकमे में जायेंगे तो पायेंगे कि सैंकड़ों आदमी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक कोई काम वहां पर नहीं होता है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन (कराधान जांच आयोग) ने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया कि वह एक एकानमी कमेटी (मितव्ययता समिति) बिठाए और खर्च के अन्दर कमी करे। लेकिन हमें नहीं मालूम कि आज तक उसका क्या असर हुआ। क्या ऐसी कोई कमेटी (समिति) बनी या बनाने की कोई तजवीज हुई? पिछले दिनों जब मिनिस्ट्री (मन्त्रालय) ने अपनी कमेटी बिठलाई तो उसकी रिपोर्ट थी कि ४००० आदमी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सरप्लस (फालतू) हैं जिनकी तन्ख्वाह की रकम तकरीबन ७ करोड़ बनती है। इसी तरह से जब पिछली मर्तबा हम सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) पर बहस कर रहे थे तब श्री मोहन लाल सक्सेना जी ने बहुत जोर इस हाउस में दिया था कि यहां पर एकानमी हो; और एकानमी कमेटी बैठे। लेकिन हमको आज तक नहीं मालूम कि गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया?

दिल्ली के अन्दर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, जहां पर कि हम रहते हैं, तो हम रोज देखते हैं कि बड़ी बड़ी नई इमारतें, इतनी बड़ी कि हमारे दिमाग में भी नहीं थीं, बहुत थोड़े अर्से के अन्दर नमूदार होती जाती हैं। जहां तक इन इमारतों का सवाल है, मैं कुछ खुश भी हूं कि जब रुपया खर्च होता है तो कुछ लोगों को काम भी मिलता है, लेकिन जो प्रोडक्टिव (लाभदायक) इमारतें नहीं हैं, उनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारे पास जितना रुपया पैसा है वह ऐसे कामों में लगाया जाय जिनसे आमदनी हो, हमारा प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़े। आज हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी जो चीजें हम रोज ब रोज बढ़ती हुई देखते हैं, जिनसे प्रोडक्शन नहीं है, उनको बढ़ाना, उनकी तामीर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूं कि नैशनल सिन (राष्ट्रीय पाप) के बराबर है। थोड़ा अर्सा हुआ, जब हम प्लैनिंग कमिशन (योजना आयोग) की रिपोर्ट पर बहस कर रहे थे तो सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन के डिस्कशन (चर्चा) के वक्त श्री मोहन लाल सक्सेना जी ने एक एक्सट्रैक्ट (उद्धरण) चीज़ को पेश किया था उसमें लिखा था कि जो इमारतें प्रोडक्टिव नहीं हैं, उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर गवर्नमेंट को सबसे पहली जो चीज़ करनी चाहिये वह यह है कि यहां पर जितना अनप्रोडक्टिव खर्च हो रहा है उसको सारे का सारा बन्द किया जाये। परसों हमने यहां पर एक फिल्म देखी। मैं भी इस राय का हूं कि जो हमारी पुरानी आर्केलाजिकल (पुरातत्व सम्बन्धी) चीजें हैं, जिनके अन्दर हमारी हिस्ट्री (इतिहास) पिन्हां (छिपा) है वह सब प्रिजर्व (रक्षित) की जायें, लेकिन जो खर्च हमने उसके अन्दर देखा, जिस तरह एक-एक छोटी चीज़ पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, उनको देख कर ताज्जुब हुआ। हर एक आदमी जो उस फिल्म को देख रहा था कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट इस तरह रुपया खर्च करती है तो सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन के वास्ते कोई उम्मीद नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पेश्तर इसके कोई तजवीज लेकर हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब हाउस में आयें और हमसे कहें कि यह टैक्स बढ़ाओ, सबसे पहले जरूरी यह है कि वह हमको तसल्ली कराएं कि कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्स्पेंडिचर (बिना लाभ व्यय) हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं हो रहा है और पूरी एकानमी के साथ काम हो रहा है। जब तक यह नहीं होता, हम किसी बोझ को सिर पर लेने और मुल्क पर बोझ डालने के लिये दिल से तैयार नहीं हैं। मुझे डर है कि इस बारे में हाउस के अन्दर बहुत जोर दिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती।

पेश्तर इसके कि मैं बिल के प्राविजन्स (उपबन्धों) पर आऊं, दूसरी चीज़ यह कहना चाहता हूं, जिसकी तरफ पहले भी एक दफा तवज्जह दिला चुका हूं और जिसका जिक्र मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी किया है, कि आप टैक्स ज्यादा बढ़ाते चले जायें लेकिन जो टैक्स वाजिब हो वह वसूल न किया जाये तो नतीजा क्या होगा? कुछ अर्सा हुआ मैंने पिछले फाइनेन्स मिनिस्टर की खिदमत में अर्ज किया था कि अगर ठीक तरह से इन्कम-टैक्स (आय-कर) वसूल किया जाये, अगर इन्कम-टैक्स एक्ट (आयकर अधिनियम) के अन्दर जो कवायद दर्ज हैं, जो अहकाम दर्ज हैं, उन पर अमल किया जाये तो बिला शक व शुबहा इनकम टैक्स की आमदनी बहुत काफी बढ़ सकती है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह में एक कोने में पान बेचने वाले की आमदनी ४ हजार २ सौ रुपये से ज्यादा हो जाती है, लेकिन हजारों ऐसे लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। उस मर्तबा मैंने अर्ज किया था कि कितने ही लोगों को नोटिस दिये गये, कलकत्ते में जहां पर कि सर्वे किया गया था, कितने ही नोटिस पाने वाले लोगों ने आ कर कहा कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, पिछला टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उनसे टैक्स वसूल नहीं किया गया। आज भी कितने ही ऐसे लोगों से जो टैक्स देने के लिये कहते हैं, टैक्स वसूल नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट की मैशीनरी (प्रबन्ध व्यवस्था) बिल्कुल डिफेक्टिव (त्रुटिपूर्ण) है। गवर्नमेंट के पास अफसरान मौजूद नहीं हैं, मैं जानता हूं कि अगर अफसर हैं तो ऐसे हैं कि बड़ा अफसर किसी जगह जाता है, तो वह छोटे अफसरान से कहता है कि उसको कोई गाय बैल सस्ता खरीद कर नहीं देता, या उनके वास्ते बहुत अच्छी सफाई नहीं रखता, इनकी क़यामगाह खूबसूरत नहीं होती तो उनके खिलाफ़ इलजाम लगाये जाते हैं और रिमार्क्स दिये जाते हैं कि सारा का सारा काम ईमानदार अफसरों का खतम हो जाता है। जो ईमानदार इन्कम-टैक्स अफसरान हैं, उनकी कदर तो क्या होगी उनका बेजा नुक्सान खुद अफसरान कर डालते हैं। तो जब मैं इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग (कार्यकरण) को देखता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे दिल से यह बात कहूं कि मैं हर एक बोझ अपने देशवासियों के सिर पर लेने को तैयार हूं।

कैपिटल गेन्स टैक्स (पूंजी लाभ-कर) लगता है। इस टैक्स के अन्दर मैं जानता हूं कि इतना इवेजन (अपवंचन) होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने जब अर्ज किया था कि ठीक कार्यवाही करने से आपकी आमदनी एक तिहाई और बढ़ सकती है तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हुए और कहने लगे कि ३० करोड़ रुपये से ज्यादा इवेजन नहीं होता। अब माना गया है कि तकरीबन डेढ़ या दो सौ करोड़ रुपये का इवेजन हुआ है, काल्डर साहब ने लिखा है कि तीन सौ करोड़ का इवेजन होता है। अगर यह सब इवेजन बन्द हो जाये, यह तो सिर्फ एफिशिएंसी (कार्य कुशलता) की बात है, तो हमें टैक्स की ज्यादा जरूरत ही न पड़े। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि उनको चाहिये कि सब से पहले वह अपने हाउस को इन आर्डर (व्यवस्थित) लायें, पेश्तर इसके कि कोई टैक्स लगायें। कैपिटल गेन्स टैक्स ऐसा है जिसका बिना एफिशिएंसी लाये हुए कामयाब होना मुश्किल है क्योंकि इसमें इतने लूपहोल्स (त्रुटियां) हैं जिनका ठिकाना नहीं। सन् १९४९ में जो सर्टिफिकेट इस डिपार्टमेंट को केपिटल गेज़ के बारे में दिया गया वह हाउस को बखूबी मालूम है · · · · ·

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य अंग्रेज़ी में बोलें क्योंकि माननीय मंत्री बहुत-सी महत्व की बातों को नहीं समझ रहे हैं।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : माननीय सदस्य यह निवेदन न करें क्योंकि मेरे मित्र मुझे कष्ट नहीं देना चाहते हैं।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी प्रायः इन्हीं बातों का उल्लेख किया था और मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर निरपेक्ष भाव से विचार करें और इन सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करें।

दो-तीन दिन पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि वह राबिनहुड थे। मैं चाहता हूं कि वह वास्तविक राबिनहुड बनें। शासन भार संभालते ही पहला कार्य उन्होंने यह किया कि कपड़े पर कर लगाया। यह कार्य यदि इस प्रकार किया गया होता कि दरिद्र वर्ग को हानि न उठानी पड़ती तो मुझे कोई शिकायत न होती। दूसरे उन्होंने केन्द्रीय बिक्री कर के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण वस्तुओं की घोषणा की है। मेरी प्रार्थना पर भी उन्होंने खाद्यान्नों को महत्वपूर्ण वस्तु घोषित नहीं किया। मेरी इच्छा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह अपनी कर व्यवस्था इस प्रकार बनायें कि देश के निर्धनतम वर्ग, जिनके विषय में एक अन्य मंत्री ने कहा था कि वे पांच आने प्रति दिन कमाते हैं, ऐसे करों से मुक्त रहें। अन्यथा करारोपण में मैं माननीय मंत्री का समर्थन करता हूं क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित न कर सके तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इसके लिये हम सभी प्रकार का त्याग करने के लिये तैयार हैं, परन्तु यदि वह निर्धन वर्ग से बलिदान करने को कहते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि अप्रत्यक्ष कराधान न हो।

विधेयक के उपबन्धों के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि आय-कर अधिनियम की पुरानी धारा १२ख के उपबन्धों में शब्द "relinquishment" ["अवत्याग"] क्यों जोड़ा गया है। अवत्याग हस्तांतरण नहीं है और उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

क्योंकि तिथि १ जनवरी, १९५४ दी गई है, अतः मुझे संदेह है कि पूंजीगत लाभ बहुत नहीं होंगे। वसूली इतनी अधिक नहीं होगी जितना अधिक कि लोगों को काम मिलेगा। आप आय-कर पदाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार दे रहे हैं जिनका उन्होंने पहले भी दुरुपयोग किया था और उन्हें आप अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। १ जनवरी, १९५४ के मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना बहुत कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बहुत से मामलों में तो अन्तर बहुत ही कम होगा और जो लोग विधेयक के अधीन आते हैं उनके लिये त्रास का कारण होगा क्योंकि वे आय-कर समाहर्ता के हाथ में रहेंगे ।

मैं यह नहीं समझ सका हूं कि मूल धारा १२ख में से कुछ उपबन्ध क्यों निकाल दिये गये हैं । सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन में पूंजीगत लाभ के उपबन्धों को क्यों लाया गया है ? जिन लोगों को लक्ष्मी बीमा समवाय के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति मिली थी उनका क्या होगा ? इन शरणार्थी समवायों को बहुत हानि पहुंची थी । १९५४ में इन समवायों के मूल्य बहुत कम थे । उनके अंशों के मूल्य १९५४ में उचित स्तर पर नहीं थे । अतः मेरी समझ में नहीं आता कि १ जनवरी, १९५४ को विशेष तिथि क्यों रखा गया है । मैं समझता हूं कि ऐसी कालावधि नियत की जानी चाहिये जो इन निर्धार्यों के लिये जो विधेयक के अधीन आते हैं, एक समान हो और उस विहित कालावधि में से किसी तिथि को चुनने का विकल्प उन्हें मिलना चाहिये ।

यह प्रस्थापना की गई है कि कृषि की उपज बढ़नी चाहिये । १९५४ में अधिकतम उपज थी और उसकी तुलना में अब बहुत कम है । मैं समझता हूं कि इसके लिये विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं । जिन भूमि सुधारों का इतना उल्लेख किया गया था उनके लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । उपज के आंकड़े भी उत्साहवर्धक नहीं हैं । १९५२ या १९५३ के आंकड़े पहले के आकड़ों से कम थे । जब तक हम अधिकाधिक उपज के लिये प्रयत्न न करें हम योजना को सफल नहीं बना सकते हैं ।

जब हम योजना पर विचार कर रहे थे तो हमने योजना को प्रभावी बनाने के लिये बहुत से उपायों का सुझाव दिया था । परन्तु हमें खेद है कि आज भी सरकार ने खाद्यान्न और पशु-पालन के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है । मैं इस सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर सकता हूं कि यदि मामले को सुधारा न गया तो बहुत कठिनाइयां होंगी ।

आयात निर्यात नीति के सम्बन्ध में मुझे इस बात से हर्ष है कि यह संकट पूंजी वस्तुओं के आयात के कारण उत्पन्न हुआ है । परन्तु यदि उपभोग वस्तुओं का आयात किया गया है तो मुझे खेद है । अब भी देश में विदेशी कपड़े का बहुत प्रचलन है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि आप विदेशी कपड़े के आयात को बंद कर देंगे तो बाहर के देश भी आपके कपड़े का आयात नहीं करेंगे । आपके कपड़े का निर्यात बाहर के देशों को नहीं हो सकेगा ।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : यह आवश्यक नहीं है कि हम जिन्हें अपना कपड़ा भेजते हैं उन्हीं से कपड़ा मंगाते हों, अतः हम आयात बन्द भी कर सकते हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं सहमत हूं । यदि कसौटी यही है तो कोई कठिनाई नहीं है ।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : आप इसे संकटकाल कह रहे हैं परन्तु सरकार के व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता है । हमारे समस्त देशवासी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के हेतु त्याग करने को तैयार हैं यदि सरकार संकटकाल को अनुभव करे ।

माननीय वित्त मंत्री अच्छे प्रचारक हैं । उन्हें देश में प्रचार करना चाहिये कि लोग मितव्ययता से काम लें और सरकार को अपने व्यय में बचत करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । सभी सरकारी विभागों में बहुत अधिक अनावश्यक व्यय होता है ।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर—मध्य) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये और देश से निर्धनता को दूर करने के उद्देश्य से जो भी कर लगाये जायें, उनका मैं स्वागत करूंगा, और

†मूल अंग्रेजी में ।

इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री तथा सरकार का पूरा समर्थन करूंगा, परन्तु केवल कर लगा देने से ही ये सभी समस्यायें हल न हो सकेंगी; उसके लिये अपने प्रशासन की अवस्था की ओर भी ध्यान देना होगा।

आप ये सभी कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति और देश के नव-निर्माण के लिये लगाते हैं, परन्तु उस राशि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है; उसे व्यर्थ की बातों पर व्यय किया जा रहा है, उसे व्यर्थ की इमारतों के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है, जिससे जनता यह समझती है कि सरकार के पास धन तो काफी है, वह केवल लालच से नये कर लगा रही है। मैं यह तो नहीं समझता कि सरकार अपने प्रशासन को सुधारना नहीं चाहती; परन्तु यह तथ्य बना रहता है कि अभी तक कई त्रुटियां चली आ रही हैं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह एक आपातकालीन विधान है। परन्तु इसका उपयुक्त उपाय तो यह था कि वे व्यय की मांगों को प्रस्तुत करने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत करते। वे हमें स्पष्टतया बताते कि अमुक-अमुक कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है और उन कार्यों के लिये ही ये कर लगाये जा रहे हैं। परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया है। और सीधे ही यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार की आपात-स्थिति तो हर वर्ष पैदा हो जाती है। पिछले वर्ष भी कर बढ़ा दिये गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है?

वित्त (संख्या २) विधेयक में सरकार ने कुछ एक सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क लगाये हैं, परन्तु हमें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं कि उससे आयात पर कहां तक प्रतिबन्ध रखा जा सकेगा और उससे विदेशी मुद्रा की कहां तक बचत की जा सकेगी। अतः उस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व यह आवश्यक था कि सरकार हमें बताती कि इस विधान का विदेशी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक पूंजी वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु जहां तक उपभोग वस्तुओं का सम्बन्ध है, हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि ऐसी कौन-कौन-सी वस्तुयें हैं जिनका आयात रोका जा सकता है। परन्तु मंत्री जी ने इस बात की ओर कोई निर्देश नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वैदेशिक मुद्रा में कैसे बचत की जायेगी। एकमात्र कुछ करों के लगा देने तथा कुछ सीमा शुल्कों को बढ़ा देने से विदेशी मुद्रा के अति व्यय को बन्द नहीं किया जा सकेगा।

ऐसी कई वस्तुयें हैं जिन पर शुल्क बढ़ाये जा सकते हैं, परन्तु व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के कारण हम वैसा कर नहीं सकते। मेरा यह सुझाव है कि यदि संभव हो, तो सरकार इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू करे, और यह देखे कि क्या उन वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक पूंजी-लाभ का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसके साथ ही कई अन्य कर भी लगाये जा रहे हैं जिन्हें लागू करने से पूर्व हमें इस बात पर फिर से विचार कर लेना चाहिये कि कहीं लोग दोहरे करों के भार से दब तो न जायेंगे।

जहां तक लाभांश कर का सम्बन्ध है, यह केवल प्रार्थित पूंजी पर ही है। लाभांश कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि न केवल प्रार्थित पूंजी को ही अपितु समवायों की समस्त पूंजी आस्तियों को भी उनकी पूंजी समझा जाये। नहीं तो इस कर का अधिक भार बेचारे मध्यम श्रेणी के लोगों पर ही पड़ेगा और यह भार उन्हें ही वहन करना पड़ेगा।

जहां तक अनिवार्य निक्षेपों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसका हमारे देश के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उससे देश के औद्योगिक विकास के मार्ग में कई बाधायें और कठिनाइयें आ जायेंगी। वित्त मंत्री जी ने तो यह आश्वासन दिया था कि जब भी कोई व्यक्ति अपने संयन्त्र की क्षमता को बढ़ाने

[श्री झुनझुनवाला]
के लिये धन के लौटाये जाने के लिये प्रार्थना करेगा, तो उसके आवेदनपत्र की ओर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा। परन्तु खेद है कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः वे समवाय जो इस दिशा में प्रगति करना चाहते हैं, वे प्रगति नहीं कर सकते।

वे ५० प्रतिशत की सीमा तक अनिवार्य निक्षेप चाहते हैं, परन्तु ऐसे बहुत से समवाय हैं जो कि अपना कार्य करते हुए भी अपने संयन्त्रों का विकास करना चाहते हैं और यदि अनिवार्य निक्षेप सम्बन्धी यह उपबन्ध लागू किया गया, तो उससे वे संयंत्रों को विकसित न कर सकेंगे। अतः यदि सरकार उन्हें इस प्रकार से धन जमा कराने पर बाध्य करेगी तो उससे समवायों को अपने उद्योगों के विकास में सहायता के स्थान पर हानि ही होगी।

अतः वित्त मंत्री जी से तथा सभा से मेरा यही कथन है कि यह धारा, जो कि इस विधेयक में रखी जा रही है, हमारे औद्योगिक विकास में बड़ी भारी बाधा सिद्ध होगी। जहां तक अन्य धाराओं का सम्बन्ध है, उनका तो मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मैं अनिवार्य निक्षेप सम्बन्धी इस धारा के पक्ष में नहीं हूं। उसका हमारे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। केवल कुछेक समवायों द्वारा सट्टा करने के कारण ऐसा विधान नहीं बना दिया जाना चाहिये जिससे सारे उद्योग को हानि पहुंचे।

श्री तुलसी दास ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और मैं भी समझता हूं कि इस प्रकार के विधान को प्रवर समिति के पास भेजना अत्यावश्यक है। यह विधेयक अभी दस दिन पहले ही पुरःस्थापित किया गया था और इसलिये जनता भी इस पर अभी तक वचार नहीं कर पायी है। हम चाहते हैं कि कुछ समय दिया जाये ताकि हम जान सकें कि इसके बारे में जनता की क्या प्रतिक्रिया है। तब तक इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये, जो कि इस पर अच्छी प्रकार से विचार करे। अतः मैं श्री तुलसी दास के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : दो माननीय मंत्रियों ने यह आरोप लगाया है कि कराधान प्रस्थापनायें समय से पहले ही प्रकट हो गई थीं। मेरे पास भी एक पत्र की प्रति है जिसमें एक व्यक्ति ने वित्त मंत्रालय के सचिव को सम्बोधित करते हुए यह लिखा है कि वह सप्रमाण सिद्ध कर सकता है कि दो बड़े व्यापारियों को इन कराधान प्रस्थापनाओं के बारे में पहले से ही पता लग गया था जिसके कारण उन्होंने बहुत-सा लाभ कमाया है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि एक जांच समिति नियुक्त की जाये जो कि उन विशेष तिथियों के उन दो व्यापारियों के स्टाक एक्सचेंजों के सम्बन्ध में जांच करे। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात की ओर पूरा ध्यान देंगे।

[**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

माननीय वित्त मंत्री ने कराधान के सम्बन्ध में जो नयी प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं, उनके बारे में मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है। मैं उस बात के पक्ष में हूं कि वे ऐसी प्रस्थापनायें प्रस्तुत करें, परन्तु उसके साथ ही वे सभा को आश्वासन भी तो दें कि उनकी प्रस्थापनायें उचित हैं और विचारणीय हैं।

यदि आप आज देश की सामाजिक और आर्थिक अवस्था पर दृष्टिपात करें तो आप विभिन्न आय वर्गों में निर्धन और धनपति में बहुत अन्तर पायेंगे। श्री अशोक मेहता ने पूना से इस बात के उदाहरण दिये हैं और मैं बंगलौर के उदाहरण देकर सिद्ध कर सकता हूं कि निर्धन और धनवान में कितनी विषमता है और निर्धनों की अवस्था कितनी खराब होती जा रही है। कई नगरों में सट्टेबाज़ी की एक बड़ी भयंकर लहर चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, और सरकार द्वारा भावों को थाम लेने के लिये किये जाने वाले सभी प्रयत्न पूर्णरूपण असफल हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सरकार ने हाल ही में कई राज्यों में उचित दाम की दुकानें चलायी हैं, परन्तु वास्तव में उनसे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। बाज़ार के भाव घटने की बजाय बढ़ने लगे हैं। सरकार भावों पर जितना अधिक नियंत्रण रखना चाहती है, वे उतने ही बढ़ते जाते हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि किसी भी अल्प-विकसित अर्थ नीति वाले देश में, वस्तु उपभोग करने की सीमान्त सहज प्रवृत्ति अनुपाततः अधिक होती है, और इसीलिये वहां पर वस्तुओं के मूल्य एकदम बढ़ जाते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात की ओर पूरा-पूरा ध्यान देंगे।

आज घाटे की अर्थ-व्यवस्था मुद्रास्फीति की अर्थ-व्यवस्था का रूप धारण करती जा रही है। पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने तो इस बात का आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा, परन्तु दुर्भाग्यवश अब अवस्था खराब होती जा रही है। वित्त मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि वे मूल्यों पर नियंत्रण कैसे रखेंगे। अब वे मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये वस्तुओं पर अधिक से अधिक कर लगाना चाहते हैं, परन्तु वास्तव में इस से कोई विशेष लाभ न होगा। उन्होंने इस दिशा में पहले भी प्रयत्न किया था, परन्तु वे सफल नहीं हुए हैं। अधिक करों के लगाने से तो केवल निर्धन जनता पर भार ही बढ़ेगा, मूल्य कम न होंगे।

जब देश में इस प्रकार से भाव बढ़ रहे हों तो उस समय वित्त मंत्री से इस बात की आशा की जाती है कि वे कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दें ताकि वे देश की परिवर्तित आर्थिक स्थिति में भी अपना निर्वाह कर सकें। इस सम्बन्ध में देश के प्रतिष्ठित अर्थनीतिज्ञ श्री ए० के० दास गुप्ता के इस कथन का उल्लेख किया जा सकता है कि भारत जैसे अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देश में वेतन का बढ़ाना आवश्यक होता है, परन्तु हमारे वित्त मंत्री इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे बार-बार देश को विपदाओं में डाल रहे हैं। अतः उनसे यह प्रार्थना है कि वे राजकोष से सम्बन्ध रखने वाले जो उपाय अपना रहे हैं, उन्हें छोड़ दें, वे उपाय आदर्श उपाय नहीं हैं।

हमारे देश में बहुत-सी पूर्त तथा धार्मिक संस्थायें हैं और उनके पास लगभग १००० करोड़ रुपया है। कोई कारण नहीं कि सरकार राष्ट्र निर्माण के लिये उस धन का क्यों उपयोग नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि देश भूतपूर्व रियासतों के राजाओं को निजी थैलियों के रूप में सरकार बड़ी भारी राशि का भुगतान कर रही है। वह उन्हें इस बात के लिये मना सकती है कि वे उस धन का कुछ भाग सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिये राष्ट्र के लिये छोड़ दें। वह धन उन्हें बाद में वापिस किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि, जैसे कि युद्ध से पूर्व जर्मनी में किया जाता था, यहां भी यह किया जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों में व्यस्त ठेकेदारों को नगद धन के स्थान पर क्राम्य बिल दिये जा सकते हैं जो कि सभी व्यावहारिक बातों के लिये धन के समान ही समझे जाते थे। अतः वित्त मंत्री जी से यह निवेदन है कि वे इन सुझावों की ओर ध्यान दें।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं यह पूर्णतः समझ सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये वित्त एकत्र करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं। अतः मैं उनकी भावनाओं से पूर्णरूपेण सहमत हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि योजना की सफलता से ही दरिद्रता आदि की समस्यायें हल हो सकेंगी। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि योजना की कार्यान्विति में उत्पादन के विकास की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये, और ऐसी कोई भी बात, जिससे देश की वित्तीय अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, उसे छोड़ दिया जाये।

मैं इन कराधान प्रस्थापनाओं का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं, परन्तु विदेशी विनियम को दृष्टि में रखत हुए वर्तमान भारतीय नौवहन अपर्याप्त प्रतीत होता है। दो छोटी बातें हैं जिनका मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं। एक बात काजू के सम्बन्ध में है। इस उद्योग को, जो कि वस्तुतः

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मात्तन]

कालिक है, 'अकालिक' घोषित किया गया है जिसके फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण कारखाने बन्द कर दिये गये हैं। अधिकांशतः काजू पूर्वी अफ्रीका से आयात किया जाता है, पिछले तीन महीने इसे खरीदने का समय था, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार प्रमुख कारखानों ने आर्डर नहीं दिये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें क्योंकि इस उद्योग से न केवल हम डालर कमाते हैं बल्कि मेरे राज्य में हज़ारों निर्धन व्यक्तियों को काम भी मिलता है ।

दूसरी बात कॉफ़ी के सम्बन्ध में है। मुझे मालूम हुआ है कि कॉफ़ी की खेती का प्राक्कलन ४०,००० टन से अधिक है। हमारी 'एरेबिका' कॉफ़ी की विदेशों में काफ़ी मांग है। हम भारतीय उपभोग के लिये विदेशों से सस्ती कॉफ़ी मंगवा सकते हैं और अच्छी कॉफ़ी का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

द्वितीय योजना की अवधि में परिवहन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जबकि १९५३ और १९५४ में तटीय नौवहन द्वारा २९ लाख टन भार प्रत्येक वर्ष में उठाया गया था, १९५५ में वह केवल २५·५ लाख टन था ।

देश के औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित विस्तार रेल-समुद्र सहयोजन समिति की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप लदान के वाहन में वार्षिक वृद्धि तथा रेलवे की वाहन क्षमता पर दबाव को कम करने के लिये लदान को समुद्र के रास्ते भेजने की संभावना को देखते हुए मेरे विचार में इन तीनों बातों से तटीय नौवहन पर व्यापार में लगभग ३० लाख टन की वृद्धि होगी ।

इसक अतिरिक्त पैट्रोलियम के परिष्कृत उत्पादों का तट के साथ-साथ के क्षेत्र में वाहन भी दस लाख टन होगा। इसलिये कुल मिला कर पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ४० लाख टन अधिक लदान होगा ।

माननीय वित्त मंत्री योजना आयोग के सदस्य हैं, इसलिये मैं इस बात की चर्चा उनसे कर रहा हूं ।

योजना आयोग ने कुल टन भार के सम्बन्ध में ४४०,००० कुल पंजीबद्ध टनभार का उपबन्ध किया जब कि हमें, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कम से कम ६००,००० से ७००,००० कुल पंजीबद्ध टन भार की आवश्यकता होगी ।

विदेशी व्यापार की स्थिति क्या है ? पिछले वर्ष देश के विदेशी व्यापार में लगभग १७० से १८० लाख टन तक सामान ले जाया गया था। जैसा कि सरकारी प्रवक्ता ने कहा है, १९५८ के बाद से हमें प्रतिवर्ष अतिरिक्त ६० लाख टन सामान आयात करना होगा। दूसरे शब्दों में हमें लगभग २४० लाख टन सामान उठाना होगा ।

योजना आयोग के अनुसार इस लदान का लगभग १५ प्रतिशत भाग भारत के अपने जहाज़ों में ले जाया जाता है। इस आधार पर विदेशी व्यापार के १५ प्रतिशत लदान अर्थात ३४ लाख टन सामान को ले जाने के लिये कम से कम ८००,००० कुल पंजीबद्ध टन भार अपेक्षित होगा। इसके विरुद्ध योजना आयोग ने विदेशी व्यापार के लिये ४,६०,००० कुल पंजीबद्ध टन भार के सम्बन्ध में उपबन्ध किया है। इस बात से स्पष्ट है कि योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित टन भार से इस १५ प्रतिशत की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

१९४७ की नौवहन नीति समिति ने प्रस्ताव किया था कि १५ प्रतिशत नहीं बल्कि विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत सामान भारतीय जहाज़ों में ले जाया जायेगा। ३१ मार्च, १९५६ को टन भार के सम्बन्ध

में स्थिति यह है कि १२० जहाज़ हैं जिनका कुल पंजीबद्ध टन भार ५ लाख से कुछ अधिक है। इनमें से तटीय तथा पार्श्ववर्ती व्यापार के लिये ८१ जहाज़ लगभग २४५,००० कुल पंजीबद्ध टन भार के तथा विदेशी व्यापार के लिये ३९ जहाज़ २,६०,००० कुल पंजीबद्ध टन भार के थे।

प्रश्न यह है कि हम भाड़े की जो अत्याधिक रकम दे रहे हैं उसे देखते हुए लक्ष्य को कार्यान्वित कैसे किया जाये। एक उपाय यह है कि अमेरिका से 'लिबर्टीस' तथा 'विक्टरीस' प्रकार के काफ़ी जहाज़ प्राप्त किये जायें। मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री जब अमेरिका जायेंगे तो वह इस बात को नहीं भूलेंगे।

दूसरी बात द्वितीय जहाज़-निर्माण प्रांगण[1] की है। यद्यपि द्वितीय योजना में लगभग ३६½ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है तथापि मेरे विचार में ३४ करोड़ रुपये के व्यादेश पहले से ही दिये जा चुके हैं। परन्तु हम द्वितीय योजना के ९००,००० टन के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। विदेशी प्रांगणों में जहाज़ प्राप्त करना असम्भव है। इसलिये यथासभव शीघ्र ही द्वितीय योजना के मध्य से पहले ही हमें जहाज़-निर्माण के द्वितीय प्रांगण को शुरू करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

द्वितीय योजना में टन भार में पुनरीक्षण करने या बंटित निधियों में वृद्धि करने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिये वित्त मंत्री को तुरन्त ही और जहाज़ ख़रीदने के लिये पर्याप्त उपबन्ध करना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : सभापति महोदय, मैं करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों का सामान्यतया समर्थन करता हूं।

यह कहा गया है कि इन करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों को वर्ष के समान्य वित्तीय विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया है। इस आलोचना के सम्बन्ध में हमें याद रखना चाहिये कि १९५६-५७ के आय-व्ययक प्रस्ताव, जिन्हें वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ ही प्रस्तुत किया गया था, उनसे उस समय काफ़ी आराम अनुभव किया गया था। इसका कारण यह था कि देश उससे कहीं अधिक कर के बोझ के लिये तैयार था। कई माननीय सदस्यों ने यह विचार अभिव्यक्त किया था कि विकास-कार्य पर हो रहे ख़र्च को यथा-सम्भव पूरा करने के लिये पर्याप्त कर संसाधनों से वित्त मंत्री ने काम नहीं लिया है। कर जांच आयोग ने अपने प्रस्तावों में कहा था कि कर अनुपात में वृद्धि करने की पर्याप्त गुंजायश है। आयोग का विचार था कि द्वितीय योजना का आकार लगभग ३,५०० करोड़ रुपये होगा। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें लगभग ४०० से ५०० करोड़ रुपये और चाहियें। रूरकेला इस्पात कारख़ाने का प्राक्कलित व्यय पहले १०० करोड़ रुपये से कुछ अधिक था, परन्तु अब मालूम होता है कि १६८ करोड़ रुपये कारखाने पर ख़र्च होंगे।

मेरे मित्र श्री मात्तन ने परिवहन समस्या की चर्चा की है। माननीय वित्त मंत्री इसकी गम्भीरता से भलीभांति जागरूक हैं। मुझ से पहले अभी एक वक्ता ने कहा था कि नौवहन के लिये बंटित राशि अब लगभग पूरी हो चुकी है और हमें योजना आयोग से और अधिक निधियों के प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में वित्त मंत्री को करारोपण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने अभी बताया है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये क्या कुछ किया जाना चाहिये, परन्तु उन्होंने अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध करने के पहलू की कोई बात नहीं की।

मेरे विचार में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी कमज़ोरी वित्त तथा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में है। इसमें ४,८०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से १,००० करोड़ रुपये चालू विकास ख़र्च के लिये हैं

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Ship-building Yard.

[श्री अ० म० थामस]

और इस खर्च को पूरा करने के लिये कर सम्बन्धी संसाधनों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। मेरे विचार में हमें प्रत्याशित विदेशी सहायता भी नहीं मिलेगी। हमें अपनी आन्तरिक शक्ति पर ही अधिकाधिक निर्भर रहना होगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करने की नीति को त्याग दिया है। हाल ही के महीनों में धन की पूर्ति तथा दामों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति रही है और इस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं वित्तीय प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभा में की गई आलोचना की चर्चा करना चाहता हूं। श्रीमान्, आपने पूछा था कि १९५४ को पूंजीगत-लाभ कर के सम्बन्ध में मूल वर्ष नियत किया गया है इसलिये क्या कुछ सारवत् लाभ भी होगा। मेरे विचार में १९५४ एक अत्यन्त युक्तियुक्त वर्ष होगा। दामों के देशनांक के सम्बन्ध में १९५२ ही सम्भवतः शिखर वर्ष था। फिर दाम कम होने लगे थे। आपको याद होगा कि दामों में कमी होने पर सभा में चिन्ता भी प्रकट की गई थी। फिर दामों में वृद्धि होने लगी थी। इसलिये जनवरी, १९५४ को ठीक ही चुना गया है तथा मेरे मतानुसार इससे काफ़ी पूंजीगत लाभ प्राप्त होंगे।

श्री मोरारका तथा श्री ति० सु० अ० चेट्टियार द्वारा एक आलोचना यह की गई है कि करारोपण प्रस्ताव सुतथ्य होने चाहियें परन्तु वित्त मंत्री एक उपरिसीमा नियत कर रहे हैं और फिर उससे नीचे अपनी इच्छानुसार जिस सीमा तक चाहें करारोपण कर रहे हैं। हमें वित्त मंत्री की इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि अगला आय-व्ययक अगले वर्ष मई या जून में प्रस्तुत होगा। इसलिये एक निश्चित समय का अन्तर है।

विनिमय-पत्रों पर मुद्रांक शुल्क के सम्बन्ध में उपरिसीमा नियत की गई है। यह दर कुछ अधिक है। वित्त मंत्री को यह देखना चाहिये कि ५ रुपये जो आरोपित किये गये हैं क्या वे युक्तियुक्त हैं, और फिर वृद्धि करना उचित होगा।

पिछले अवसरों पर भी हमने अधिकतम दर की नीति अपनाई है और आपको याद होगा कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में यद्यपि हमने अधिकतम दर नियत की थी, तथापि सरकार ने करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों को लागू करते समय इस दर को आरोपित नहीं किया था।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने श्री काल्डोर के बहुत से करारोपण प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में श्री काल्डोर की सिफ़ारिश कर अपवंचन के मामलों को रोकने के लिये है।

अपने प्रतिवेदन के अध्याय ९ में श्री काल्डोर ने कहा है कि उनके विचार में यदि दरों को ४५ प्रतिशत के लगभग कम कर दिया जाये और पूंजीगत लाभ, निजी खर्च, सम्पत्ति तथा उपहारों पर कर लगाये जायें तो कर अपवंचन के मामले बहुत कम होंगे और हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगा। मंत्री महोदय ने भी कलकत्ता के एक भाषण में कहा था कि आय-कर से अपवंचन की राशि कोई २०० से ३०० करोड़ रुपये होगी।

इसलिये कर अपवंचन को रोकने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिये और विशेष रूप से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में पूर्णतः जागरूक हैं।

इन शब्दों के साथ मैं करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

†श्री **मूलचन्द दुबे** (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४८०० करोड़ रुपये के व्यय की वित्त व्यवस्था करने के लिये प्रारम्भतः प्राक्कलन यह था कि ८५० करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त करारोपण द्वारा इकठ्ठी की जायेगी। अब माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि इस राशि को ४०० से ५०० करोड़ रुपये और बढ़ाना होगा अर्थात जहां तक योजना की वित्तीय व्यवस्था का सम्बन्ध है, करारोपण की कुल राशि कोई १२०० से १३०० करोड़ रुपये होगी।

अब जो करारोपण किये जा रहे हैं, विशेषतया पूंजीगत लाभ कर तथा रक्षित निधियों का निक्षेप, अंदाज़ा है कि इनसे सरकार को लगभग १६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे।

योजना की अवधि में इन विधानों से ६४ करोड़ रुपये की राशि हमें मिल सकेगी। परन्तु योजना में कमी १२०० से १३०० करोड़ रुपये की है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह राशि हमें कहां से मिलेगी, मालूम होता है कि अगले वित्तीय वर्ष में भी अतिरिक्त कर लगाये जायेंगे। प्रोफ़ेसर काल्डोर के अनुसार कर के सम्बन्ध में अभी इस देश में हम उच्चतम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं परन्तु जो कर लगाये जा रहे हैं इनसे यह स्थिति अवश्य उत्पन्न हो सकती है कि लोग ग़ैर-सरकारी उद्योग प्रारम्भ करने से हिचकिचायें।

मैं वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूं परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि योजना तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने संसाधनों तथा आवश्यकताओं को आंकें और फिर अपनी आवश्यकताओं की योजना अपने संसाधनों के अनुसार बनायें। मेरे विचार में योजना तैयार करते समय हमने अपने संसाधनों को ध्यान में नहीं रखा था और इसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रगतिशील देशों के नमूने पर ही तैयार किया गया था। इस प्रदेश में जन-शक्ति पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और यही एक ऐसा संसाधन है जिसमें हम संसार के एक या दो देशों को छोड़ कर अधिकतर देशों से आगे हैं। परन्तु यह जन-शक्ति आस्ति रूप में न मानी जा कर दायित्व रूप में मानी जा सकती है। अतः मैं समझता हूं कि इस योजना में ठीक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल जन-शक्ति की ही आवश्यकता है। उदाहरणार्थ बड़े उद्योगों की सहायता के लिये जन-शक्ति लगभग बेकार होगी और हो सकता है कि इसकी सर्वथा आवश्यकता न हो। परन्तु, उन बड़ी मशीनों के निर्माण के लिये हज़ारों छोटे-छोटे पुर्ज़े बनाने होंगे और इनका निर्माण छोटे पैमाने के उद्योगों पर आसानी से छोड़ा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि प्रश्न के इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

मेरा विचार है कि हमने यह जानने की दृष्टि से अन्य देशों के बाज़ारों का अध्ययन नहीं किया है कि क्या हम अन्य देशों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुयें बना सकते हैं या नहीं तथा क्या हम उस नमूने की वस्तुयें उन देशों की अपेक्षा थोड़ी लागत में तैयार कर सकते हैं या नहीं जो देश उनका प्रयोग करते हैं। जिन देशों में हमारे राजदूतावास, आदि हैं उनमें से अधिकतर देशों में हम वाणिज्य सहचारी रखते हैं। उन वाणिज्य सहचारियों को उन देशों में हाथ से बनी वस्तुओं की मांग का अध्ययन करने के लिये कहा जा सकता है ताकि हम यह जान सकें कि क्या हम उन वस्तुओं का स्पर्धात्मक मूल्य पर उत्पादन कर सकते हैं या नहीं, ताकि वे वहां बेची जा सकें और हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रश्न की जांच करें और यह पता लगायें कि क्या इस सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही करने में कोई तत्व है।

संचित निधियों के निक्षेप के बारे में मेरा निवेदन है कि इससे उत्पादन में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है कि मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था और उत्पादन-गति का पारस्परिक सम्बन्ध बता कर इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर सकता हूं। यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन घाटे की अर्थ-व्यवस्था से अधिक होता है तो देश को लाभ होगा अन्यथा मुद्रास्फीति हो जायेगी और मूल्य में वृद्धि होगी। अतः आवश्यकता

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मूलचन्द दुबे]

इस बात की है कि उत्पादन में घाटे की अर्थ-व्यवस्था के अनुसार वृद्धि की जाये। फिर इस स्थिति में कोई खतरा न होगा। इसके अतिरिक्त, अन्य सदस्यों ने कहा है कि यदि धन एक बार सरकार के हाथ में चला जाये तो उससे वापिस मिलना कठिन हो जाता है। इसमें कुछ सत्यता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बात प्रत्येक निर्माता जानता है कि सरकारी पदाधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट करना कठिन है कि उसे वास्तव में अपने उद्योग के विकास और नवीकरण के लिये धन की आवश्यकता है, और उसे सन्तुष्ट करना पड़ता ही है। इसमें कुछ समय लगता है।

इसके अतिरिक्त, मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव देता हूं कि संचित निधियों के निक्षेप का यह उपबन्ध केवल १० लाख से अधिक पूंजी वाले समवायों पर लागू होना चाहिये।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (ज़िला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : जहां तक करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों का सम्बन्ध है, मैं उनका स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि वे बहुत देर से प्रस्तुत किये गये हैं। नीति यह है कि धनाढ्य व्यक्तियों से धन ले कर निर्धनों की सहायता की जाये, अत्यधिक आराम की और अत्यावश्यक अतिरिक्त वस्तुओं पर कर लगाया जाये। मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं क्योंकि ये नीति के अनुकूल हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि योजना हमारे लिये एक चनौती है और हमें आवश्यक साधन जुटाने हैं। स्वेज़ नहर सम्बन्धी संकट के कारण हमारे योजना-निर्माता घबराहट महसूस कर रहे हैं; वे इसके कार्यन्वित हो सकने के बारे में निश्चित नहीं हैं। यह बात भी नहीं है कि इन बातों का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था। अब, वे कहते हैं कि योजना हमारे लिये एक चुनौती है।

आप प्रारम्भिक शिक्षा के मामले को लीजिये। संविधान में एक निदेश है कि १४ वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक को स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिये परन्तु योजनानुसार केवल ४९ प्रतिशत ऐसे बालक शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैं अपने संसाधनों सम्बन्धी नोट में कह चुका हूं कि मेरा मतभेद आकार के सम्बन्ध में न होकर बंटवारे और उस ढंग के सम्बन्ध में है जिस ढंग से ये संसाधन जुटाये जायेंगे। उसमें मैंने कहा है कि मैं इतने अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध हूं और इसके दो या तीन कारण हैं। हमारे अर्थशास्त्रियों का मत था कि हमें १००० करोड़ रुपये से अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं करनी चाहिये, जबकि मेरा अपना मत था कि यह ८५० करोड़ से अधिक की न हो, परन्तु फिर भी हमने १,२०० करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ-व्यवस्था की है। इस अभाव की पूर्ति कैसे होगी? संसाधन जुटाने के बारे में मैंने कुछ सुझाव दिये हैं और मैं महसूस करता हूं कि इन योजनाओं, उदाहरणार्थ, करापवंचन को रोक कर तथा मितव्ययता आदि से हम १८०० करोड़ रुपये जुटा सकते हैं। परन्तु, भूतपूर्व वित्त मंत्री सदैव ही अधिक कराधान और अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का गुणगान करते रहे। अस्तु मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अधिक संसाधनों के लिये इस प्रश्न और इन बातों की जांच करेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हम योजना की कार्यन्विति के बारे में अनुसूचित समयानुसार कार्यवाही कर रहे हैं। इस विषय पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमने योजनाकाल में तीन संयन्त्रों के लगाने की व्यवस्था की है। हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप विदेशीय मुद्रा की कठिनाई पैदा हो गई है। उदाहरणार्थ, हम भिलाई संयन्त्र में पिछड़ गये हैं। मेरी यही जानकारी है। मैं चाहता हूं कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाये तथा ठीक जानकारी दी जाये। फिर पिछड़ने की बात समझी जा सकती है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री के पास अनेक कार्य हैं तथा मैं समझता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार अपने ऊपर रखना उनके लिये उचित नहीं है। इसका पहिला कारण तो

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह है कि उनके पास इतना समय नहीं है और फिर उनके पास अनेक कार्य हैं, जैसे संसाधनों का जुटाना, आदि । मैं चाहता हूं कि संकट आने से पहिले योजना की जांच की जाये और हमारे आयात को भी कम किया जाये । हम सीमेंट तथा इस्पात का बहुत आयात करते रहे हैं । यदि आप भाखड़ा-नंगल के क्षेत्र में जा कर देखें तो आपको ग्रामों में बहुत से घर सीमेंट के बने हुए मिलेंगे । यह सीमेंट कहां से आया ?

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : क्या यह चोरी का सीमेंट था ?

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** : संसाधनों के मामले में मैंने श्रम कर लगाने का सुझाव दिया था । बहुत समय से यह प्रश्न योजना आयोग के समक्ष रहा है तथा सभापति ने बार-बार मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जा रहा है, परन्तु मुझे अभी तक इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मैं जानता हूं कि फ्रांस में भी एक ऐसा कर लगाया जाता है । मैंने योजना की कार्यान्विति के लिये अपने सुझाव में कहा था कि ६० वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यस्क से योजना के लिये काम कराया जाये या भुगतान कराया जाये । मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे । और मैं इन पर उनके साथ चर्चा करने के लिये तैयार हूं । मैं नहीं चाहता कि हमारी योजना विदेशीय सहायता से कार्यान्वित की जाये । योजना दो भागों में विभक्त की जा सकती है—एक बुनियादी भाग जो देश में उपलब्ध संसाधनों से कार्यान्वित किया जा सकता है और दूसरा वह भाग जो बाह्य सहायता, यदि उपलब्ध हो तो, कार्यान्वित किया जा सकता है ।

इन शब्दों में मैं सभा के समक्ष विधान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री करापवंचन को रोकने और मेरे बताये हुए आधार पर मितव्ययता करने पर ध्यान देंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने भी सरकार का समर्थन किया है जो साधारणतया समर्थन नहीं किया करते तथा इस विधान का उन लोगों ने विरोध किया है जिनका इस विधान का इतना विरोध करना अवश्यम्भावी था । कदाचित् थोड़ी सी-आश्चर्यजनक बात यह थी कि सभा की मेरी ओर वालों ने विशिष्ट विधान का विरोध किया जबकि साधारणतया वे वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं । इन स्थितियों में मैं अपने युवक मित्र श्री अ० म० थामस का विशेष रूप से अनुगृहीत हूं क्योंकि उन्होंने इस विधि का बहुत ही विशेषपूर्ण समर्थन किया है । वास्तव में, उनके भाषण ने मेरा भार कम कर दिया है क्योंकि वह बहुत से उन संदेहों का उत्तर दे सके हैं जो सभा में इस ओर केवल, सभा के समक्ष, बहुत से विधेयकों के बारे में ही नहीं, अपितु विधेयकों के प्रक्रियात्मक भाग के सम्बन्ध में प्रकट किये गये हैं ।

मुझे अपने मित्र श्री अशोक मेहता को भी अवश्य बधाई देनी चाहिये, जिन्होंने इस चर्चा में कुछ परिवर्तनशीलता उत्पन्न की, यद्यपि वह विरोधी रूप से थी । वस्तुतः मैं उनके भाषण के बारे में शिकायत नहीं करता जो उन्होंने दिया, यद्यपि मैं वर्तमान स्थिति सम्बन्धी उनकी की गई व्याख्या से सहमत नहीं हूं । मैं केवल इतना समादर कर सकता हूं कि यदि आज मैं अपने वर्तमान पद पर न हो कर दूसरी ओर होता, तो मैं भी ऐसा ही करता ।

उन्होंने भेद खुलने की बात उठाई थी । मेरा ख्याल है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सर्वोत्मुखी ढंग में विचार करना कठिन है । अतः, हमारे सोचने के ढंग में भी कुछ दोष है । हम हर जगह दोष ढूंढते हैं । मैंने इन आरापों की कोई विस्तृत जांच नहीं की, यद्यपि एक मानी हुई पत्रिका अपने उत्तरदायी रूप से विमुख हो गई है और उसने एक ऐसा नया कार्य आरम्भ कर दिया है जिसमें निश्चय ही उत्तरदायित्व से काम लेना आवश्यक नहीं है । मेरा विचार है कि वह पत्रिका

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

क्रुद्ध है और क्रुद्ध व्यक्ति सामान्यतः उत्तरदायी नहीं होता। यह सब आरोप एक वित्त विषयक साप्ताहिक "कैपीटल" पत्रिका ने लगाये हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैं "कैपीटल" की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित हूं। मैं यह भी भलीभांति जानता हूं कि पत्रिका के रूप में उसका क्या स्थान है और उसके सन्देश का स्वर क्या रहता है। मैंने इस सम्बन्ध में कोई विशेष जांच-पड़ताल नहीं की है; केवल यह जानने का प्रयत्न किया है कि लोगों का इसके बारे में क्या मत है। मैं इस दिशा में पूर्ण निश्चिन्त हूं कि जो भी पूर्व-उपाय हमने किये हैं और जो प्रस्ताव हम रखने वाले थे, उनकी कोई व्यक्ति गंध भी नहीं पा सकता। निस्संदेह यह सच है कि ३० नवम्बर को लगभग १·३० पर जबकि विभिन्न 'स्टाक एक्सचेंजों' में 'टेलीप्रिन्टरों' ने कार्य करना आरम्भ किया और यह समाचार भेजा कि मेरे साथी, संसद्-कार्य मंत्री, ने मेरे लिये अध्यक्ष पीठ से यह अनुमति मांगी कि मैं एक वक्तव्य दूं और अध्यक्ष पीठ ने ४·३० बजे का समय निर्धारित किया, तो कुछ उत्तेजना थी। इसका कारण यह था कि मेरी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है।

इसे समय से पूर्व प्रकट होना नहीं कह सकते। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो सामान्यतः हमारे लाभ के लिये है। यह समान विपणन केन्द्र का उल्लेख करता है। २३ नवम्बर, १९५६ को बाज़ार बंद होने के समय 'असोसियेटेड सीमेन्ट्स' के भाव १९४ रु० और ३० नवम्बर को १९४ रु० १२ आना थे। १ दिसम्बर, १९५६ को यह भाव १८५ रु० हुआ। टाटा स्टील आर्डिनरी का भाव २३ नवम्बर, १९५६ को १९१ रु० ८ आना; ३० नवम्बर को १९२ रु० ८ आना और १ दिसम्बर को १८० रु० १२ आना था। 'कूहनूर टेक्स्टाइल्स' के भाव की स्थिति इस प्रकार है: २३ नवम्बर, १९५६ को ३४० रु०; ३० नवम्बर १९५६ को ३४५ रु०। 'नेशनल रेअोनस': २३ नवम्बर १९५६ को २६१ रु०, ३० दिसम्बर को २६२ रु० ४ आने। 'बम्बई डाइंग्स': २३ नवम्बर, १९५६ को ६२३ रु० १२ आने और ३० नवम्बर, १९५६ को ६२५ रु० १० आने।

यह अभिलेख सरकार ने हमारे लाभ के लिये प्रस्तुत किया है। उसमें यह लिखा है कि:

"शुक्रवार, नवम्बर ३०, १९५६ तक कलकत्ते का श्रेष्ठी चत्वर संयत रूप से मजबूती पर था, तब तेजी से स्थिति पलट गई। उन नयी परिस्थितियों के समाचार के कारण जिनसे इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक सामान्य बैठक (सामान्य अंशों के लाभांश पर लगायी गई सीमा के विरुद्ध अंशधारियों के विरोध के परिणामस्वरूप) ७ दिसम्बर, १९५६ तक स्थगित हो गई, इससे अंशों की बिकवाली पर नया दबाव पड़ा। जिससे अन्य स्थानों के मूल्यों में कुछ नर्मी आ गई। तत्पश्चात् नये कर-प्रस्तावों का समाचार आया जिससे बाजार में खलबली मच गई और फलस्वरूप मन्दी आ गई।"

मेरी पूछताछ से केवल एक बात ज्ञात हुई है। ३० तारीख अथवा उसके एक दिन पूर्व तक केवल इंडियन आयरन एन्ड स्टील के अंशों पर ही प्रभाव पड़ा था तथा कारण यह था कि—जिसका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं था—बैठक ७ दिसम्बर तक के लिये स्थगित हो गई थी।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना**: मुझे पत्र की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जो कि वित्त मंत्रालय के सचिव के नाम भेजी गई है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: माननीय सदस्यों को कई पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई होंगी। कोई व्यस्त व्यक्ति इन्हें ये पत्र लिखता रहा है। सामान्य प्रणाली यह है कि ऐसे पत्र किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम भेजे जाते हैं। इस मामले में कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सामान्यत: ये पत्र प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाते हैं तथा उसकी प्रतिलिपि सभा के सदस्यों को परिचालित की जाती है। यदि माननीय सदस्य के विचार से पत्र प्रेषक की बात ठीक है तो उन्हें जान लेना चाहिये कि वह एक व्यस्त व्यक्ति है। बाजार की अवस्था से ये तथ्य सामने आये हैं। यदि उनके आधार पर माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि कुछ बातें हुई हैं तो मैं उन्हें इस मनोरंजक बात का आनन्द लेने दूंगा। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य नहीं है कि लाभांशों की राशि तो पिछले वर्ष से ही सीमित की जा रही है? दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में इस आकस्मिक विपर्यय की, और आगे व्याख्या करने की आवश्यकता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : परन्तु केवल इंडियन आयरन पर ही प्रभाव क्यों पड़े? यदि करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों पर कोई प्रभाव पड़ा है तो वह बहुत व्यापक है। बम्बई के बाजार के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आंकड़े बता चुका हूं। तब इंडियन आइरन पर ही क्यों प्रभाव पड़ा? मैं इस सम्बन्ध में आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अशोक मेहता द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न, जिसका अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया है, यह है कि पिछले ४½, ४¾ वर्षों से हमारी आयात-निर्यात नीति बहुत त्रुटिपूर्ण रही है तभी उससे हमारी मुद्रा स्थिति में वर्तमान कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। यह आरोप तथ्यों तथा आंकड़ों पर बिना ध्यान दिये ही लगाया गया है। १९५२ में काफी गिरावट आई थी। तब हमने कमर कसना प्रारम्भ किया तथा बातों को पुन: योजित किया—इधर-उधर कुछ मदों में उदारता बर्ती गई—तथा आयात का एक अधिक स्पष्ट चित्र हमारे सामने आया। उसका परिणाम यह हुआ कि डेढ़ वर्षों के दौरान हमारी पौंड-पूंजी में १०० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। इस वर्ष के प्रारम्भ तक लगभग वही राशि रही। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आयात के सम्बन्ध में हमारी नीति, उपभोग वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिबन्धक रही है। तीन वर्षों में आयात को, उद्योग की आवश्यकतानुसार ही, जो योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक था, उदार बनाया गया है। १९५५ और १९५६ के प्रथम अर्द्धांश में—मैं एक वर्ष की छूट दे कर दो अर्द्ध वर्ष ले रहा हूं—पूंजीगत सामान तथा भारी बिजली के सामानों के सम्बन्ध में १९५५ के प्रथम अर्द्धांश में, यदि ४७ करोड़ रुपये के लायसेंस दिये गये थे, तो १९५६ के प्रथम अर्द्धांश में यह राशि बढ़ कर १७९ करोड़ हो गयी। यह उपभोग वस्तुओं का आयात नहीं था। वे पूंजी वस्तुयें भारी बिजली के सामान थे। इस दौरान १३२ करोड़ रुपये का अन्तर हुआ। जहां तक उद्योग के लिये कच्चे माल का प्रश्न है, १९५५ के प्रथम अर्द्धांश में हमने ११२ करोड़ रुपये के कच्चे माल का आयात किया, १९५६ के प्रथम अर्द्धांश में हमने १७२ करोड़ रुपये का आयात किया। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस अवधि में, परम्परागत कच्चे माल यथा पटसन, कपास इत्यादि का आयात उतना अधिक नहीं था जितना कि पहिले से होता था। यहां तक कि देश में उद्योग के विकास तथा योजना की प्रगति के लिये आवश्यक दो महत्वपूर्ण मदों के सम्बन्ध में भी एक मद में १३२ करोड़ तथा दूसरी मद में ६० करोड़ रुपये का आयात हुआ है। इन दोनों को परस्पर मिलाकर बहुत बड़ी राशि है।

माननीय सदस्य लोहे के आयात के सम्बन्ध में जानते हैं। श्री बंसल ने पूछा है कि यह आयोजित था अथवा नहीं? जहां तक योजना की अवधि में लोहे तथा इस्पात के आयात के प्राक्कलन का सम्बन्ध है, उसका दायित्व मेरे पर है। मैं इस दायित्व को इस या उस पदाधिकारी अथवा परिषद् पर नहीं डालूंगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की हैसियत से यह मेरा व्यक्तिगत दायित्व था। आयात का लक्ष्य मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। विभागों द्वारा बताये गये आंकड़ों से यह बहुत अधिक है क्योंकि मुझे

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पता लगा है कि वह लक्ष्य पर्याप्त नहीं है । यह टेक्नीक का एक भाग भी था । ऐसे समय जब आवश्यक कार्यों के लिये भी लोहे तथा इस्पात का निरंतर अभाव हो रहा था हमें अधिक परिमाण प्राप्त करना था और हमने यही किया । यदि चालू वर्ष में जहाज़ों में लादा गया अथवा जो माल लादा जा रहा है वह आ जाय तो ३८० हजार टन, जो वर्तमान आंकड़ों का एक चौथाई है--की तुलना में १८ लाख टन का आयात हो जायेगा । योजना के लिये ऐसा जानबूझ कर करना पड़ेगा । इसलिये ऐसा कहना कि हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी सीमाओं तथा अपने संसाधनों को जाने बिना आयात तथा निर्यात की नीति का पालन कर रहे हैं, बिना जाने हुए बातें करना है ।

इसलिये मुझे कहना चाहिये कि श्री अशोक मेहता, जो सामान्यतः बिल्कुल ठीक बात कहते हैं और विषय तक ही सीमित रहते हैं वे अपने लक्ष्य से दूर हट गये हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री बंसल ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि हम निर्यात का सम्यक आयोजन नहीं कर रहे हैं । मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं । लगभग पांच वर्ष पूर्व जब पहिले हमने इसका पुनरीक्षण किया था तो इस मामले का विचार करने के लिये एक छोटे-से कमीशन के बनाने का प्रस्ताव भी मुझे स्मरण है । यह अब पांच वर्ष पुराना हो गया है । निर्यात की वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक ढील देने की गुंजायश नहीं है । ढील इसलिये भी कम है, क्योंकि उपभोग बढ़ रहा है । उपभोग रुकने पर ही हमारे निर्यात में वृद्धि हो सकती है । यह उस बात के औचित्य का समर्थन है जो कुछ मैंने किया था और जिसके लिये कुछ महीने पूर्व स्वयं मेरे पक्षवालों ने मेरा विरोध किया । उत्पादन शुल्क के बढ़ जाने से संतुलन पुनः खराब हो गया है । यह कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में बहुत अधिक बढ़ा है । यद्यपि हम अभी १६५५ के आंकड़ों तक नहीं पहुंचे हैं, किन्तु अगस्त, १६५६ तक हम उससे भी बहुत आगे बढ़ जायेंगे ।

हमारा अनुमान था कि हमें कदाचित १२५० से १३०० लाख गज की हानि होगी, किन्तु मेरे विचार से अब कोई हानि नहीं होगी । हमारे उत्पादन में ३०० से ३५० लाख गज तक कमी होगी । यह बात कि हम अपनी आशा के विपरीत भी अगस्त में ८०० लाख गज कपड़े का निर्यात कर सके हैं, उत्पादन-शुल्क बढ़ाने का औचित्य है जो इस वर्ष सितम्बर से बढ़ाया गया है ।

इसलिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है । मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने कार्यों अथवा अपनी समस्याओं को समझने के सम्बन्ध में आत्मतुष्ट हो जाते हैं । योजना बहुत बड़ी चीज है । वस्तुतः मैं चाहता था कि यह इससे भी बड़ी हो किन्तु यदि हम योजना की सफलता चाहते हैं तो हमें आत्मतुष्टि का विचार भी हृदय में नहीं लाना चाहिये ।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि क्या इन विधेयकों के सम्बन्ध में आमुख भाषण देते समय, मैंने—जहां तक मेरे देशवासियों का सम्बन्ध है—उन्हें बिल्कुल सच्ची बात बताने की उपेक्षा की है । मुझ में कई त्रुटियां हैं और मैं आदर्श व्यक्ति नहीं हूं । किन्तु साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे पसन्द न करने वाले लोग भी यह कहें कि मैं सामान्यतः मामलों को मरोड़-तरोड़ कर पेश करता हूं । मैंने वही कहा है जो एक उत्तरदायी व्यक्ति आज कल की परिस्थिति में कह सकता है । यह सच है कि योजना बनाते समय हमने यह आशा की थी कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर दबाव या जोर कुछ समय पश्चात् पड़ेगा जब कि वास्तव में यह दबाव पहिले पड़ गया । यह बात कुछ पहिले हो गई । कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हम कुछ वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहे हैं । मैं इस बात पर अभी आऊंगा, तथापि ऐसा नहीं है कि मैंने इस सम्बन्ध में सभा को कुछ नहीं बताया है । वस्तुतः मैं यह समझता हूं कि क्या मैं अपने सहयोगियों तथा अपनी सरकार के विरुद्ध सच बात कह कर, जैसा कि मैंने अप्रैल में किया है, शिष्टाचार भंग का दोषी तो नहीं हूं । मैं कह चुका हूं कि योजना में ऐसे संकेत हैं कि हमें अधिक त्याग करना पड़ेगा और परस्पर विरोधी विचारों

से कोई लाभ नहीं होगा । जब से मैंने वित्त विभाग का पदभार सम्भाला है, अपनी त्रुटियों को जानते हुए तथा एक ऐसे व्यक्ति का अभाव अनुभव कर जो प्रत्येक दृष्टि से मुझ से अधिक योग्य था, तथा अधिक योजना निर्माता था, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक हैं, सुचारु है तथा योजना सफल हो जायेगी । जब तक हम कमर न कस लें और अधिक स्पष्ट रूप से विचार न करें हमें योजना में सफलता नहीं मिलेगी ।

योजना से तात्पर्य एक विशाल योजना से है । इसका तात्पर्य सभी क्षेत्रों का विकास है । इसका तात्पर्य संकीर्ण एकांगी विचारों का विकास नहीं है । अति संयम का विचार करते हुए आप योजना नहीं बना सकते । जहां तक जनसाधारण का सम्बन्ध है आपको अति संयम से नीचे के स्तर पर आना पड़ेगा । पिछले दिन मैंने एक आश्चर्यजनक बात सुनी । कुछ व्यक्तियों ने मुझ से कहा कि आप ६० या ७० रुपये पाने वाले व्यक्तियों की चिन्ता क्यों करते हैं । हम इससे अधिक उनके लिये कुछ नहीं कर सकते हैं हमें इससे अगली श्रेणी के लोगों का विचार करना चाहिये । मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया है । मैं देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये उत्तरदायी हूं, वह चाहे संघीय संविधान हो अथवा नहीं यदि राज्य नहीं जागेंगे तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन्हें जगाऊं और यदि वे फिर भी नहीं जागेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा । यदि इस योजना से जनसाधारण का कोई लाभ नहीं होगा, उनके संयम तथा कष्टों में कुछ कमी नहीं होगी तो यह योजना ही व्यर्थ है । मैं इसे पूर्णतः स्वीकार करता हूं ।

मेरे माननीय मित्र ने एक स्पष्ट तथ्य को जिसे मैं जानता हूं, बताने के लिये तथ्य तथा आंकड़ें उद्धृत किये हैं । इस सत्य से अवगत होने के कारण ही मैं समुदाय के प्रत्येक वर्ग से कुछ त्याग करने के लिये कह रहा हूं । मेरी आत्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से जिसके पास कुछ है ही नहीं अधिक त्याग करने को कहूं ।

लोग मुझ से अप्रेरणा के सम्बन्ध में कहते हैं । यदि किसी देश में वस्तुस्थिति वर्तमान की भांति हो तो प्रेरणा से लाभ ही क्या है । मुझे दुःख है कि लोग—मेरे देश के तथा मेरे ही वर्ण के—१९५६ में भी जब कि विश्व में क्रान्ति हो रही है, निहित हितों तथा सुरक्षित स्थिति पाने के सम्बन्ध में सोचते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि आश्चर्य यह है कि यह बात यहीं आकर समाप्त नहीं हो जाती है । मैं उनसे चिन्तित भी नहीं हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि निहित स्वार्थों का संघर्ष मेरे ही समक्ष आगे या पीछे होगा ।

मैं जानता हूं कि यदि आप इस योजना की सफलता चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ग, जो त्याग कर सकता है, उससे त्याग करने को कहा जाये । हमें चारों ओर संघर्ष का सामना करना होगा । मैं जानता हूं कि पूंजीपतियों की एक ऐसी हड़ताल होगी जो पहिले हमने कभी नहीं सुनी थी । इसकी संभावना है और हमें धमकी दी जा रही है । जब तक जनता हमारा समर्थन करती है और हम यह अनुभव कर रहे हैं कि यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे इसका भय नहीं है । यदि हमें एक दल के रूप में ही काम करना है तो हमें डट कर मुकाबला करना चाहिये तथा इस बारे में समझौता नहीं करना चाहिये ।

इस बात का कि स्थिति खराब है तथा मैंने उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है, यह तात्पर्य नहीं है कि मैं स्थिति की गम्भीरता को कम समझ रहा हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि स्थिति गम्भीर है । योजना को निश्चित रूप से क्रियान्वित होना चाहिये । वर्तमान स्थितियों में जब तक महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती है । यदि हमारी योजना असफल होती है तो यह लोकतंत्र की असफलता है ।

श्री अशोक मेहता को उन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, जो उनकी बात पहले से ही माने हैं । मैं उनकी बात को माना हुआ हूं । उन्होंने आंकड़े देकर बताया है कि राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी और

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

बढ़ने की प्रवृत्ति जारी नहीं रही। क्या मैं नहीं जानता ? क्या मैं नहीं जानता कि हमारी खाद्य फसलें कम हुई हैं ? क्या मैं नहीं जानता कि जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ राष्ट्रीय आय न बढ़े, औसतों से यह प्रकट होगा कि हम प्रगति नहीं कर रहे ? क्या मैं नहीं जानता कि औद्योगिक उत्पादन भी, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब कुछ कम हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ विराम आवश्यक है ? क्या मैं नहीं जानता कि यदि हम अर्थ-व्यवस्था में बलपूर्वक कुछ ऐसे तत्व प्रस्तुत करें, जिनको वह आत्मसात् न कर सके, तो इसका परिणाम संभवतः गड़बड़ ही होगा ? हम यह सब कुछ जानते हैं। वास्तव में इसी कारण मैं इस बात पर बार-बार बल देता रहा हूं कि हमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था बन्द कर देनी चाहिये। तनी हुई अर्थ-व्यवस्था पर और ज़ोर डालने का कोई लाभ नहीं। घाटे की अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि विकास और बचत में जो अन्तर है, उसे पूरा किया जाये। संभव है यह बचत राष्ट्रीय बचत के रूप में न हो, तब यह बचत अनिवार्य बचत या अनिवार्य बीमा के रूप में करनी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि मैंने यह कहा था कि हमें निगमों और कम्पनियों की बचत, बीमा बचत, भविष्य निधि बचत और सेवा निवृत्ति सुविधाओं पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ेगा। मैं अब भी इस बात पर स्थिर हूं, चाहे कोई व्यक्ति इसे गलत समझता है। मैं अब भी साधारण लोगों से विनियोजन की आशा करता हूं और वे विनियोग कर भी रहे हैं, किन्तु उचित रूप से नहीं। वे संभवतः श्री तुलसीदास और श्री सोमानी की कम्पनियों में धन लगाने की बजाय गैस्ट कीन एण्ड विलियम्स, हिन्दुस्तान लीवर, नैशनल कार्बन आदि में लगा रहे हैं। क्या यह मेरा दोष है ? यदि इस देश का साधारण नागरिक यह समझता है कि उसका रुपया मेरे माननीय मित्रों की अपेक्षा विदेशियों के हाथ में अधिक सुरक्षित रहेगा, तो इसके उत्तरदायी मेरे माननीय मित्र हैं, मैं नहीं हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि श्री तुलसीदास, श्री सोमानी विदेशियों से कम योग्य हैं। यदि वे योग्य हैं भी, तो केवल औसतन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण कि भारत में कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं, अपना देश छोड़ कर नहीं आयेगा।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों ने मेरे किन विनियोगों का उल्लेख किया है। मेरे पास धन नहीं है। मैंने कभी विनियोजन का नहीं सोचा। मेरे पास केवल इंडियन बैंक के पांच हिस्से हैं, जो मैंने २० वर्ष पूर्व इसलिये खरीदे थे कि मैं निदेशकों की बैठक में भाग ले सकूं। दुर्भाग्यवश मैंने इन्हें छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन से ६०० या ७०० रुपये की जो आय होती है, वह मेरे लिये उपयोगी हो सकती है। मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या कहते हैं। स्थिति का सुधारना उनका काम है। सरकार को दोष देने का क्या लाभ है ? आप लोगों के मन में विश्वास क्यों पैदा नहीं करते ?

मैं कहता हूं कि हमें विनियोजन कुछ निगमों की बचत से, कुछ बीमा निधियों से और कुछ विनियोजकों से धन इकट्ठा करके करना होगा। विनियोजकों को ८ से ९ प्रतिशत तक लाभांश दिया जायेगा। मैं स्वयं निम्न मध्यम वर्ग का हूं और मैं इस वर्ग की मनोवृत्ति जानता हूं। वह ७½ से ८ प्रतिशत लाभांश से पूर्णतया संतुष्ट है। ९ प्रतिशत तो उसके लिये आदर्श है। ऐसी स्थिति में वह अपने हिस्से कलकत्ता या बम्बई के बाज़ार में बेचने के लिये नहीं आयेगा। वह कहेगा "मुझे ९ प्रतिशत मिल रहा है"। इस देश के लोग समझते हैं कि ९ प्रतिशत बहुत अधिक लाभांश है। आप ऐसा क्यों नहीं करते ? अतः यह कहना व्यर्थ है कि निगमों की बचत पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

मैं फिर श्री अशोक मेहता के भाषण की ओर निर्देश करता हूं। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से निस्संदेह बहुत कुछ प्रकट होता है, किन्तु ये आश्चर्यजनक नहीं हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ औद्योगिक उत्पादन भी कुछ कम हो गया है, किन्तु यह फिर बढ़ने लगेगा। पूंजी माल, लोहा और इस्पात के आयात का अर्थ अधिक औद्योगिक उत्पादन है किन्तु कपड़े का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। हम कपड़े का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे। अतः इस मद से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकेगी।

श्री अशोक मेहता ने पूना सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख किया है। मुझे पूना के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। किन्तु मैंने इस वर्ष के मध्य में, पूना के समीप एक औद्योगिक नगर अर्थात् शोलापुर का दौरा किया था। इन दो नगरों में भारी अन्तर है। पूना में वकील, सरकारी कर्मचारी और छोटे-छोटे दुकानदार रहते हैं और उद्योगपति केवल एक दो हैं। बहुत से उद्योगपति छावनी में रह रहे हैं। यह एक विचित्र नगर है, जिसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आय नहीं है। बम्बई के आंकड़े भिन्न हैं, यद्यपि वहां आप रात को हज़ारों व्यक्ति पटड़ियों पर सोये हुए पायेंगे। मैंने दिन भर शोलापुर का दौरा किया था। मुझे केवल जनसंख्या के एक विशेष विभाग के देखने में रुचि थी और वह थे हथ-कर्घा बुनकर। मैंने बहुत गम्भीर दृश्य देखे और साथ ही कुछ आशाजनक बातें भी देखीं। उस नगर में एक हथकर्घा बुनकर एक दिन में ४ रुपये कमा लेता है। करीमनगर में मैंने पति-पत्नी के एक परिवार को बहुत शोचनीय परिस्थितियों में २५ रुपये प्रतिमास कमाते देखा। एक छोटे से मकान में २५ खड्डी के कर्घे थे। रसोई का कमरा मकान के अन्त में था, स्त्री पुरुष एक ही स्थान पर सो रहे थे और काम करने वाले बच्चे जगह-जगह बिखरे हुए थे। उन्हें रंगाई का काम करना पड़ता था और उन बरतनों में से जिन में रंग उबाले जा रहे थे, धुआं निकल रहा था, शौचालय कोई नहीं था और दालान में मलमूत्र की दुर्गन्ध आ रही थी। प्रकाश का कोई प्रबन्ध नहीं था। और उनकी आंखों में भी कोई रोशनी नहीं थी। मुझे अपनी त्रुटियां स्वीकार करने में संकोच नहीं। किन्तु आधा मील दूर, ३०० एक कमरे वाले मकान थे, जिनमें शौचालय आदि सब थे, कोई शरणार्थी उन मकानों में नहीं आता था, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रत्येक क लिये २५ रुपये प्रति मास मांगता था। कुछ मकानों में पुलिस वाले रह रहे थे, किन्तु लगभग १५० मकान खाली पड़े थे। मैंने विचार किया कि एक ओर तो लोग सूअरों की तरह रह रहे हैं और दूसरी ओर १५० मकान खाली पड़े रहे हैं। मैं मानता हूं यह मेरा दोष है और मेरी सरकार का दोष है। मैंने कलक्टर को कहा कि यदि आप हथकरघा बुनकरों के लिये औद्योगिक सहकारी संस्था बनायें, तो मैं इस के लिये धन देने के लिये तैयार हूं। मैं इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का प्रयत्न करता रहा हूं परन्तु कह नहीं सकता कि क्या हुआ है, इन लोगों की दशा देखने के बाद, हम ने यह योजना प्रस्तुत की है। पूना सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताना व्यर्थ है। पूना सामान्य प्रकार का नगर नहीं माना जा सकता। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के कई नगरों में लोग बिना कोई उत्पादन किये परजीविता का जीवन बिता रहे हैं। औद्योगिक नगरों पर यह बात लागू नहीं होती। आखिर यह कोई नई बात नहीं है। मुझे पूना की स्थिति बताने का कोई लाभ नहीं। इसका उत्तर योजना है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कलकत्ता में बेकारी की समस्या के बारे में क्या विचार है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कलकत्ता के बारे में कठिनाई यह है। मुझे पश्चिमी बंगाल की सरकार और उसके लोगों के साथ बहुत सहानुभूति है। किन्तु मेरे माननीय मित्र को याद रखना चाहिये कि राजनीति के अतिरिक्त हम मानव हैं, बंगाल की समस्या सारे देश की समस्या है और इसका सामना सब से अधिक मुझे करना पड़ता है। हम लोगों के इस निरन्तर आगमन को कैसे रोक सकते हैं ? बहुत से मामलों में वे उसके बाद वापस नहीं जाना चाहते। मैं उन्हें दोष नहीं देता। उन अभागे लोगों से यह कहना व्यर्थ है कि आपका आचरण खराब रहा है। यह आपको और मुझे दोनों को चुनौती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह आपको है, मुझे नहीं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं मानता हूं। हमें इस चुनौती को इस दृष्टिकोण से स्वीकार करना है कि यह हमारा देश है और हम ने गैर-राजनीतिक, मानवी आधारों पर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी है। यदि विरोधी पक्ष के सदस्य गैर-राजनीतिक आधार पर सहयोग के कोई प्रस्ताव दें, तो मैं उन्हें स्वीकार

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

करूंगा। किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र यह कहें कि "मैंने वित्त मंत्री को ऐसा करने पर बाध्य किया है" तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि मेरे माननीय मित्र मिल कर काम करना चाहें, तो मैं तैयार हूं। यदि माननीय सदस्या चाहती हैं कि मेरे एक सप्ताह या १० दिन कलकत्ता में ठहरने से समस्या हल हो जायेगी, तो मैं तैयार हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पटसन उद्योग में छंटनी बन्द कीजिये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : किन्तु मैं केवल एक शर्त रखूंगा और वह यह है कि अभागे वित्त मंत्री को राजनीतिक हथकंडों का शिकार न बनाया जाये।

मेरे विचार में श्री अशोक मेहता द्वारा उठाये गये प्रश्नों की सविस्तार चर्चा करना आवश्यक नहीं है। मैं उनकी आलोचना को बहुत महत्व देता हूं क्योंकि वह वही कुछ कहते हैं जोकि वह अनुभव करते हैं, किन्तु वह भूलते हैं कि हम विरोधी पक्षों में हैं। यदि मैं उन के स्थान पर होता, तो सम्भवतः वही कहता जो उन्होंने कहा है। किन्तु जो कुछ मैं अब कर रहा हूं, वही मुझे इस समय ठीक मालूम होता है। मुझे केवल यही रास्ता दिखाई देता है। मैं यह नहीं कहता कि यह नीति सदा के लिये रहेगी। सम्भव है यह तीन मास बाद बदल जाये, किन्तु इस समय हमें इसी दिशा में जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने एकीकृत करारोपण की चर्चा करते हुए पूछा था कि आप श्री काल्डोर को स्वीकार करते हैं या नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह मेरे मित्र हैं और मैं उन के विचारों को जानता हूं और मैं श्री काल्डोर जैसे अन्य योग्य व्यक्तियों को भी जानता हूं। उनके साथ अब भी मेरा पत्र व्यवहार होता है किन्तु आवश्यकता इस बात की नहीं है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से उन स्रोतों को बन्द किये बिना जिन से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है अधिक संसाधन इकट्ठे कर सकते हैं। मैं उन लोगों को जिन से हमें यह थोड़ी-सी सहायता प्राप्त होती है, रहने देने के लिये तैयार हूं। करारोपण व्यवस्था का एकीकरण होना चाहिये, किन्तु यह एकदम नहीं हो सकता। मान लीजिये कि मैं आय-कर कम कर दूं और कुछ अन्य करों को बढ़ा दूं तो लोग कहेंगे, "क्या उस आदमी को कर लगाना भी आता है? ति० त० कृष्णमाचारी हमेशा ही ऐसी बातें किया करते थे।" मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि मैं भी कुछ बुद्धिमान बन रहा हूं; और आप लोग मुझे बुद्धिमान क्यों नहीं होने देते। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिये। सारी बातें ही बदल जायेंगी; उसका अर्थ गैर-सरकारी उद्योगों का विनाश नहीं है। यद्यपि मैं कुछ अधिक रकम चाहता हूं, मैं किसी को नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री अशोक मेहता ने कहा, "वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि उस कर में से जो बकाया है ८० प्रतिशत वसूल हो जाये तो वे योजना में २५ प्रतिशत वृद्धि कर देंगे।" योजना ४८०० करोड़ रुपयों की है और उसका २५ प्रतिशत १२०० करोड़ रुपये होता है। इस प्रकार वित्त मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि १२०० करोड़ रुपयों की रकम ही वह रकम है जो पांच सालों से बकाया है। हो सकता है, यह सारी रकम कराधान की हो या आय-कर की हो। यह निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाल लिया? क्या वे समझते हैं कि मैं बिल्कुल ही आयोग्य हो गया हूं। इसमें समय लगेगा। जब तक मानव मानव है, तब तक मैं यह नहीं कहता कि ८० प्रतिशत वह अनुकूलतम सीमा है जिसे मैं या कोई अन्य वित्त मंत्री पा सकता। साम्यवादी राज्यों में भी, यदि संभव हो, लोग कर नहीं देना चाहेंगे। मुझे मालूम है कि उनके सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार उनके यहां वस्तुओं के विभिन्न मूल्य-मान हैं। मान लीजिये मैं दो जोड़ी कपड़े लेकर रूस जाऊं और मैं वहां कुछ पुस्तकें खरीदने के लिये एक जोड़ी कपड़े बेच कर, एक ही जोड़ी कपड़ों से वापस आना चाहूं, तो मैं वहां भी अपने कपड़ों को चोर-बाजार में बेच सकता हूं। आखिर मानव प्रत्येक स्थल पर मानव ही है। यदि मैं, या मेरा उत्तराधिकारी, या उसके बाद का उत्तराधिकारी एक सर्वथा त्रुटिविहीन

†मूल अंग्रेजी में।

कराधान प्रणाली भी बना दे, तो भी कर अपवंचन होगा । आप केवल उपाय सोच सकते हैं, कोई न कोई उससे बच ही निकलेगा । मैं यह मानता हूं कि अपवंचन बहुत अधिक होता है । मैं इसका विरोध नहीं करता । यदि मैं अयोग्य हूं, या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अयोग्य है, जनता स्वयं निर्णय कर सकती है । यदि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि मैं अयोग्य हूं या मेरी प्रणाली में दोष है तो इन सारी बातों को सुधारने, बढ़ाने या बदलने का कोई प्रोत्साहन नहीं है । केवल इसलिये कि श्री तुलसी दास जी विरोध करेंगे, मैं (यदि सभा अनुमति दे) कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, वेतन आदि और कर वसूल करने में, मुझे जो कठिनाइयां होती हैं, उन के सम्बन्ध में सभा में प्रस्ताव रखने से नहीं हिचकिचाऊंगा । कर-विधान का वह प्रत्येक मद जो मैं पेश करता हूं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है । मुझे वहां यह सिद्ध करना चाहिये कि किसी व्यक्ति ने कर से बचने की कोशिश की है । मैं संभवतः ऐसा एक या दो हफ्ते या महीने भर में कर सकता हूं । परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता । मेरी पुस्तकें छीन ली गई हैं । न्यायालय कहेगा कि इसमें कुछ नहीं करना । वह अनुच्छेद जो मैंने और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने रखा है, चाहे वह १४, १८ या १९ अथवा कोई भी हो हमारे दक्षतापूर्वक कर वसूल करने में आड़े आता ह । यदि मुझे अनुमति दी जाये तो हो सकता है कि मैं सभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखूं कि हमें भारत सरकार के अधिनियम में जो उपबन्ध था अर्थात् राजस्व के मामलों पर न्यायिक विचार नहीं हो सकता—उसे अपनाना चाहिये । यदि सभा ऐसा करने के लिये तयार है तो मैं वचन देता हूं कि हर महीने में क्रमशः वसूली में क्षमता आती जायेगी । किसी संस्था को दोष देने भर से काम नहीं चलता । आखिर, प्रत्येक संस्था में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कानून और वकीलों का जोर रहता ह । अतएव मैं दोषी को जानता हूं, पर मैं कर ही क्या सकता हूं । मैं इसलिये रुपया वसूल नहीं कर सकता क्योंकि कानून हमें वसूल नहीं करने देता ।

उसके बाद मैं सभा का ध्यान प्रत्यायोजित विधान के प्रश्न पर दिलाना चाहूंगा । वास्तव में, श्री तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया ह । परन्तु उन्होंने यों ही उसका उल्लेख कर दिया था । हमारी ओर से हमें एक ऐसे चतुर पक्ष की आवश्यकता ह जो हमें प्रत्यायोजित विधान बता सके । जहां तक कर-वसूली का प्रश्न है; विधि शास्त्र के सिद्धांत ऐसे हैं कि बचने के लिये कार्यपालक व्यक्तियों के हाथ में स्वविवेक का क्षेत्र अधिक और वसूली के लिये कम है । आखिर, राजस्व का मामला अत्याधिक महत्व-पूर्ण है । मैं किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कर लगा सकता हूं । मैं ४ करोड़ रुपयों का कर निर्धारण कर सकता हूं, और एक करोड़ ही वसूल कर सकता हूं । इसमें कोई अन्याय नहीं है या यदि मैं १ करोड़ भी न लूं, तो वह सारा पैसा चला जा सकता है । जहां तक कराधान का प्रश्न है विशेषकर जिन परिस्थितियों में हम कार्य का रहे हैं, उनमें मुख्य बात यह है कि कराधान में कुछ हद तक लोच होनी चाहिये । उदाहरणार्थ स्टाम्प-शुल्क को ले लीजिये । मेरे माननीय मित्र श्री तुलसी दास जी ने मुझे बताया कि उसे ३ आने से १० आना कर देना बहुत ज्यादा होता है । मान लीजिये आज मेरा इरादा उसे हर ५०० रुपये के लिये ५ रु० या १ रु० ४ आना करने का हो और कल ही मुझे मालूम हो कि उसका बाजार पर और अन्य परिस्थितियों पर असर पड़ेगा या अन्य परिस्थितियां बदल रही हैं तो मैं निश्चय ही उसे १ आना या २ आना कर दूंगा अथवा मैं यह कह दूंगा कि कर विचाराधीन रखा जाये । इस प्रकार स्टाम्प-शुल्क तय करना पड़ता है । हमें बाजार भाव देखने पड़ते हैं । यदि धन की आवश्यकता अधिक नहीं है, तो मेरा अधिक स्टाम्प-शुल्क लगाना कोई माने नहीं रखता । जब और ज्यों ही मुझे यह पता लगता है कि बाजार की हालतों के कारण बैंक दर बढ़ाना या घटाना आवश्यक है तो मैं उसे घटा या बढ़ा देता हूं । यह उससे मिलता जुलता एक छोटा सा उपाय है । इसे भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है । श्री बसंल ने कहा कि संसद् की बैठक सारे वर्ष ही होती रहती है, अतएव संसद् से ही क्यों ऐसा नहीं करा लेते । यदि मैं ऐसा करना चाहूं, तो इसमें जितना समय लगेगा उतने में गड़बड़ी हो जायेगी । ये ऐसे मामले हैं जो कि पूर्णतया कार्यपालन अधिकारियों पर छोड़ दिये जाने चाहियें ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री बंसल ने कहा कि जब वे सभा में नहीं थे और मैं इस सभा का सदस्य था, तब मैं प्रत्यायोजित विधान के खिलाफ बोला था। यह बात सच है। पूर्ववर्त्ती अध्यक्ष महोदय, मुझे हमेशा कुछ हद तक छूट देते थे, और मेरी बातें सुना करते थे। मेरा इसमें कुछ हाथ था, और जब समिति प्रारम्भ हुई थी तब मैं उसका सदस्य था। मेरी समझ में समिति को अभी भी यह नहीं मालूम कि उसका क्षेत्र क्या है। प्रत्यायोजित विधान होना चाहिये और वह निश्चय ही होगा। आपको प्रत्यायोजित विधान में सतर्क रहना पड़ेगा। मैंने समिति की रिपोर्ट पढ़ी है। इस प्रकार बनाये गये प्रत्येक नियम पर जब तक कि वह प्रत्यायोजित विधान न हो, संसद् की स्वीकृति होनी चाहिये। यदि ऐसी स्थिति है, तो वह प्रत्यायोजित विधान ही नहीं कहा जा सकता। आपको समिति में प्रत्यायोजित विधान के विषय में यह देखना है कि उसका दुरुपयोग न हो। इसलिये उसका प्रत्येक नियम सभा-पटल पर रखा जाता है। यदि आप उसकी जांच करें और उसमें कोई गलती पायें, तो आप कह सकते हैं कि वह गलत है, मैं विधान के बाहर चला गया हूं, मैं प्रत्यायोजित विधान का सही उपयोग नहीं कर रहा, अच्छा हो कि मैं उसे बदल दूं। प्रत्यायोजित विधान होना चाहिये, परन्तु उस पर नियंत्रण होना चाहिये। वह उचित प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाये। मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि प्रत्यायोजित विधान गलत है। जहां तक निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह बात मेरी राय में ठीक भी हो सकती है, परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री बंसल उन में शामिल नहीं। वे वेतन भोगी वर्ग के व्यक्ति हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि आज सरकार का जो प्रशासनिक कार्य है उसे देखते हुए प्रत्यायोजित विधान अत्यन्त आवश्यक है। हमें प्रत्यायोजित विधान में वृद्धि करनी होगी और उसके अधीक्षण में वृद्धि करनी होगी। यदि उसका दुरुपयोग होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये और उस प्रकार कार्य करना चाहिये। आप निगरानी रखिये और यह देखिए कि उसका सही उपयोग हो। यदि प्रत्यायोजित विधान का दुरुपयोग किया जाता है तो संसद् को सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिये। ऐसा कहना कोई माने नहीं रखता कि प्रत्यायोजित-विधान न हो। इसके बिना कोई प्रशासन नहीं चल सकता। इस सभा में इसके पक्ष में जो बात कही गई हैं, उनके बारे में मेरा यही उत्तर है।

मुझे आशंका है कि श्री तुलसी दास ने कोई खास मतलब की बात नहीं कही है, उन्होंने सीमा-शुल्क और आबकारी शुल्क के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने पूछा है कि हम सिलाई की मशीनों पर सीमा-शुल्क क्यों लगाते हैं? हम ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि सिलाई की मशीनें देश में बनाई जा सकती हैं। विदेशी सिलाई की मशीन महंगी होती हैं और देश में और अधिक मशीनें बनाई जा सकती हैं। देश में बहुत-सी मशीन बनाई जा रही हैं। हम ग्लूकोज पर सीमा-शुल्क इसलिये लगाते हैं क्योंकि जिस ग्लूकोज पर वह लगाया जाता है, वह चिकित्सा से सम्बन्धित नहीं है। वह देश में भी तैयार होता है। ऐसे सभी मामलों में, जिनमें हमने सीमा शुल्क लगाया है; यथार्थतः उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा है और यह ध्यान रखा है कि क्या कोई ऐसा उद्योग है जो इस अभाव की पूर्त्ति कर सके।

मैं समझता हूं कि श्री नि० चं० चटर्जी मेरा उत्तर नहीं सुनना चाहते थे। खैर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे केवल सलाह देने के लिये ही बोल रहे थे और इसके अलावा उन्हें और कुछ दिलचस्पी नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मुझे काफी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। वास्तव में, उनके भाषण के प्रारम्भ से ही मुझे ऐसा लगा कि हम एक ही पक्ष के हैं। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उन्होंने बड़ी उदारता से मेरा पक्ष लिया है। मैं उनके बहुमूल्य और प्रभावपूर्ण सहयोग का उल्लेख कर उसे हल्का नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि उन्होंने एक या दो बातों के विषय में ठीक नहीं कहा। उन्होंने अवत्याग के बारे में कहा, मेरा विचार है कि यह किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा होगा। उन्होंने बताया कि कम्पनियों के प्रबन्धक अधिकरण कर चुकाने से बच जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में, अवत्याग के विषय

में बोलने वाले व्यक्ति—पंडित ठाकुर दास भार्गव—ने अधिकांशतः अवत्याग के बारे में जो कुछ कहा है, इसका उत्तर दे दिया है क्योंकि बहुधा ऐसा ही होता है। एक प्रबन्ध अभिकरण उसे बेचने की बजाये उसका अवत्याग कर देता है और फिर कुछ ऐसी मूल्यवान आस्तियां रह जाती हैं जिन्हें छोड़ देना पड़ता है। अतएव, वास्तव में इस प्रकार कोई व्यक्ति छूट का अधिकारी नहीं होता। इसके बाद विदेशी व्यापार संस्थाएं जब भारत में अपने व्यापार का हस्तांतरण करने लगती हैं, तो उनके पूंजीकृत लाभ पर कर लगाया जाता है और वे इससे नहीं बच सकतीं। यदि विधि ही त्रुटिपूर्ण है तो मैं यह चाहूंगा कि उसकी जांच की जाये और उसके न्यायालय में जाने के पहिले ही हम उसे ठीक कर लें।

जहां तक आज के भाषणों का सम्बन्ध है, मैं उनका बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। डा० कृष्ण स्वामी ने दूसरा पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत ही वीभत्स चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की है और मैं उनकी सहानुभूति के लिये बहुत कृतज्ञ हूं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सर्वथा उचित है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के साथ दुर्व्यवहार होता है, वह उसे एक बार, दो बार या तीन बार टाल सकता है परन्तु अन्त में वह अपनी हिम्मत खो देता है और अपना काम छोड़ देता है। हो सकता है कि मुझ से अधिक सक्षम व्यक्ति प्राप्त हो जाये, परन्तु फिर भी परिवर्त्तन एक ऐसी चीज़ है जो अन्तर्काल में प्रगति को रोक देता है। अतएव मैं उन व्यक्तियों से, जिन्होंने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, यह कहूंगा कि वे मुझ से अनुदारता का व्यवहार न करें।

†**डा० कृष्ण स्वामी** : मैंने यह नहीं कहा कि आप अपना पद त्याग दीजिये। मैंने यह कहा है कि आप को शायद ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिनमें आपके साथ दुर्व्यवहार हो और लोगों के मन में नए निराशापूर्ण तथा कटु करों की आशंका हो जाये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे आशंका है कि मेरे माननीय मित्र आयु में मुझ से कम हैं अतएव उनकी कल्पनाएं अधिक सुन्दर हैं।

यहां मैं अपने पुराने मित्र श्री मोहन लाल सक्सेना ने जो कुछ कहा है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वे मेरे पुराने मित्र हैं। वास्तव में हमने साथ-साथ काम किया है, पास-पास बैठे हैं, परन्तु उन्हें हमेशा यही धुन रही कि विभाग बांट दिये जायें। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं कुटीर उद्योग विभाग छोड़ दूं। मैंने उसे छोड़ दिया। अब वे कहते हैं कि मैं लोहा और इस्पात उद्योग छोड़ दूं। मैं उसे छोड़ भी सकता हूं, परन्तु मैं ऐसी आशा करूंगा कि उसे संभालने के लिये मुझ से अधिक योग्य व्यक्ति होना चाहिये। मैं उसमें अत्याधिक रुचि रखता हूं और मैं यह सोचता हूं कि मेरे समान अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति शायद ही दूसरा हो। मैं केवल इन तीन इस्पात कारखानों के बारे में ही नहीं वरन् अन्य कारखानों के बारे में भी सोच रहा हूं। आज भी जब मैं यहां भाषण सुन रहा था तब मैंने मंत्रालय से एक योजना-गृह खोलने के लिये कहा है क्योंकि भविष्य के लिये योजना बनाना आवश्यक है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी इसे संभाल ले तो भी वित्त मंत्री होने में एक बात है। किसी ने कहा कि वित्त मंत्री होने के नाते मेरी परिवहन में रुचि होनी चाहिये। मेरी उसमें रुचि है। मेरे माननीय मित्र श्री अ० म० थामस ने कहा कि मुझे रेलवे में दिलचस्पी होनी चाहिये। मैं निस्संदेह उसमें दिलचस्पी रखता हूं। वास्तव में, मैं यह सभी जानकारी रखता हूं कि सप्ताह में कितना खर्च हुआ है और मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें 'रेलवे' को सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक रकम प्राप्त करनी चाहिये। अतएव यदि मैं इसे छोड़ भी दूं तो भी मरी उसमें रुची बनी रहेगी।

माननीय सदस्यों को मैं बता दूं कि भिलाई की कहानियां भी स्टाक एक्सचेंज की भांति हैं। पता नहीं मध्य प्रदेश में अथवा अन्यत्र एक ऐसा दल है जो यह कहता है कि कुछ भी नहीं किया गया है। सब कुछ तो किया जा रहा है। समुचित रूप से ढकी हुई जगह में सामान भलीभांति रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे रूसियों का स्थान ले सकें। प्रत्येक कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** : नींव स्थापित करने के लिये कौन-सा समय निर्धारित किया गया था? क्या यह वर्षा के पूर्व नहीं था। ऐसा नहीं किया गया है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां, यह वर्षा के पूर्व ही था। रूसियों का निर्धारित समय जुलाई के आस-पास था किन्तु उन्होंने रूपरेखा भी नहीं भेजी।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना**: मैं आप पर आरोप नहीं लगाता किन्तु हम निश्चित कार्यक्रम से पिछड़ गये हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : पीछे रहने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हमारे परामर्शदाताओं द्वारा रूपरेखा भेजी जानी चाहिये। हमें कुछ मूलभूत ब्यौरा मिला था किन्तु रूपरेखा नहीं मिली। इसके आधार पर ही टेंडर फार्म बनाकर हमने ठेका दे दिया। मैं माननीय मित्र श्री सक्सेना को आश्वासन दे दूं कि यदि वह अगले दो वर्ष मेरे साथ रहे और यदि मैं लोहा तथा इस्पात मंत्री के रूप में इस सभा में पुनः उपस्थित हुआ तो मैं निश्चित तिथि पर संयन्त्र तैयार करवा दूंगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। भले ही कोई कहे कि अमुक कार्य हुआ है अथवा अमुक कार्य नहीं हुआ है। कुछ भी हो संयन्त्र निर्धारित तिथि पर पूरा हो जायेगा। एक पखवाड़ा आगे-पीछे हो सकता है किन्तु यह असंदिग्ध रूप में पूरा हो जायेगा।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व): यह अच्छा सौदा है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह सौदा ही है .... कुछ ऐसे हंसोड़ व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैंने भिलाई को मद्रासी बस्ती बना दिया है। उनका कहना है कि त्रावनकोर-कोचीन का एक निवासी और पालाघाट का एक व्यक्ति मेरा सम्बन्धी है जबकि मैं साढ़े तीन सौ मील दूर रहता हूं। कन्नड़, मलयालम और तेलुगु और मराठी बोलने वाला भी मद्रासी हो जायेगा यदि वह भिलाई में काम करता है। मुझे मद्रासी अथवा अन्य किसी व्यक्ति में रुचि नहीं है किन्तु मुझे काम करने के लिये आदमी चाहिये भले ही वह कहीं का निवासी हो। पंजाब, बंगाल अथवा मद्रास—वह कहीं भी रहे, काम होना चाहिये,। कार्य की पूर्ति पर ही देश का भावी स्थायित्व निर्भर है। उत्पादन पर ही स्थायित्व आश्रित है। तीन बड़े इस्पात संयन्त्र बन गये तो भविष्य में और भी वृहद् संयन्त्र की रूपरेखा बनाई जा सकती है। देश में रुपये के मूल्य को स्थायित्व प्रदान करने में यह अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा।

कुछ माननीय सदस्यों और विशेष रूप से श्री तुलसीदास ने इतनी अधिक संख्या में संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि संभवतः मुझे विधेयक के स्वरूप के सम्बन्ध में इनमें से प्रत्येक संशोधन की व्याख्या करनी पड़ेगी। करारोपण के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी हमने शुरूआत ही की है। पूंजीगत लाभ कर त्रुटिपूर्ण हो सकता है, हम इसमें सुधार करेंगे। कदाचित् उपहार को अपवर्जित करने की आवश्यकता पड़े। और यदि यह बड़ी त्रुटि है, तो हम इसका निराकरण करेंगे। योजना का रूप और आकार ऐसा है कि हमें प्रत्येक दिशा से इसकी पूर्ति करनी होगी। हमें संसाधन खोजना है। इस कथन में कोई सार नहीं है कि २८ फरवरी अथवा लीप वर्ष की स्थिति में, २९ फरवरी, वर्ष का सबसे अधिक पवित्र दिन है और वर्ष में फिर कभी भी वित्त अथवा बजट की चर्चा नहीं करना चाहिये। यदि ऐसा हो तो फिर योजना ही नहीं रहेगी। योजना का तात्पर्य यह नहीं है कि योजना आयोग के कार्यालय में बैठकर एक वृहद् ग्रंथ प्रकाशित कर दिया जाये। योजना का तात्पर्य है दिन में १६ और १८ घंटे काम कर आय के

†मूल अंग्रेजी में।

साधनों की खोज करना। माननीय मित्र श्री अ० म० थामस ने कहा कि योजना की सबसे बड़ी त्रुटि विदेश विनिमय और वित्त सम्बन्धी परिच्छेद है। क्या हम इससे अवगत नहीं हैं। इसका कारण यह है कि भौतिक आयोजन के रूप में कल्पना कर इसका अन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् विदेश विनिमय और वित्त के आधार पर इसमें कांट-छांट का प्रयत्न किया गया। फिर भी हम कुछ पीछे रह गये क्योंकि मानवोचित प्रयत्न के लिये भी तो कुछ होना चाहिये। यदि मैं कहूं कि "यह विदेश विनिमय और वित्त है और मैं इसके आधार पर योजना का निर्माण कर सकता हूं।" तो मैं ३,६०० करोड़ रुपये की योजना बना सकता हूं। किन्तु मानव प्रयत्न, मानव परिश्रम, देश की जनता की सामूहिक निश्चय के लिये हमने कुछ रख छोड़ा है इसीलिये वित्त तथा विदेश विनिमय की स्थिति वह है जोकि इसमें दिखाई गई है। यदि मैं करारोपण के कुछ उपायों की खोज कर सका, संसाधनों की तलाश कर सका और अन्ततोगत्वा सामान्य व्यक्ति की सहायता की तदबीर निकाल सका, तो प्रत्येक सत्र में मुझे यहां उपस्थित होकर क्षमा याचना नहीं मांगना पड़ेगा। यही मेरी बात का औचित्य है। २८ फरवरी अथवा २९ फरवरी को ही नहीं प्रत्युत वर्ष में एक, दो अथवा तीन बार जब भी आवश्यकता होगी, मैं सभा में उपस्थित होकर नई विधियों को प्रस्तुत कर अपनी बात का औचित्य ढूंढूंगा। योजना को सफलीभूत करने के लिये, अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिये सभा में आकर मैं क्षमा नहीं मांगूंगा।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय वित्त मंत्री काजू उद्योग की हाल की गिरावट पर ध्यान देंगे ? विदेशों में इसकी पर्याप्त मांग है तथा क्या उसकी स्थिति में पुनः सुधार हो सकता है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : भारत सरकार की अनेक संतानें हैं और यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अमुक संतान आहार से वंचित है तो हम निस्संदेह ही उस ओर ध्यान देंगे और उसकी सहायता करेंगे।

वित्त (संख्या २) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं वित्त (संख्या २) विधेयक रखूंगा और उसके खण्डों के निपटान के पश्चात् वित्त (संख्या ३) विधेयक लिया जायेगा।

प्रश्न यह है कि :

"कि भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर शुल्क की दरों को बढ़ाने या उनमें रूपभेद करने और भारत में बनाई जाने वाली या निर्मित कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने और विनिमय-पत्रों पर मुद्रांक शुल्क बढ़ाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ४ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रथम अनुसूची

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपने संशोधनों को केवल प्रतीक रूप में ही प्रस्तुत कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुलसी दास]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे भलीभांति विदित है कि देश में पर्याप्त उत्पादन है तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना चाहिये। किन्तु मेरा निवेदन है कि आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का समुचित तरीका यह है कि आयात का कोटा निर्धारित कर दिया जाये। अन्यथा फिर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मैं इससे सहमत हूं कि भुगतान-अन्तर सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयों के आयात नियंत्रण का स्पष्ट संकेत किया गया है। मैं इससे भलीभांति समझता हूं। किन्तु आयात नियंत्रित करने के लिये जो प्रक्रिया स्वीकृत की जानी चाहिये उसके लिये समुचित तरीका यह है कि आयात कोटा निर्धारित कर आयात अनुज्ञप्तियां नियंत्रित कर दी जायें। केवल शुल्क में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय मित्र की इच्छा है कि रंगों पर आयात शुल्क २० से १५ प्रतिशत तक घटा दिया जाये। श्री झुनझुनवाला का कथन है कि रंजक द्रव्य पर २० प्रतिशत से अधिक शुल्क हो। किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत आ जाता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रंजक द्रव्य पर २० प्रतिशत से अधिक शुल्क हो। किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत आ जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रंजक द्रव्यों पर शुल्क बढ़ा देने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। यह कल्पना करते हुए कि एक पौण्ड रंजक द्रव्य की कीमत १० रुपये है--जो कि स्टेटग्रीन जैसे उच्च-कोटि के रंजक द्रव्य की स्थिति में ही हो सकता है—इससे मुद्रास्फीति कैसे बढ़ेगी ? पाई का एक अंश भले ही बढ़ जाये जो अत्यन्त आवश्यक है।

अनुज्ञप्ति को नियंत्रित कर आयात कम करने के सुझाव को क्रियान्वित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं; इसे वाणिज्य तथा उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री ही कर सकते हैं। इससे बचना श्रेयस्कर है। परिमाण पर नियंत्रण लगाने की अपेक्षा कीमत को चलने देना अच्छा है। कदाचित हमें दोनों विधियों का आश्रय लेना पड़े। यदि २० प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जा सकता तो हम ऐसा अवश्य ही करते। अतः ५ प्रतिशत कम करने में तो कोई अर्थ ही नहीं है। एक वस्तु जो ८ रुपये अथवा ९ रुपये की दर में बिक रही है और जो किसी भी शुल्क से अधिक है उसमें ५ प्रतिशत कम करने से क्या फल होगा और विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि बाजार की मांग के अनुसार कीमतों में घटा बढ़ी होती रहती है। यदि इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय सदस्य के संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री तुलसी दास** : मैं इसके लिये आग्रह नहीं करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि किसी संशोधन पर जोर नहीं दिया गया है, अतः मैं प्रथम अनुसूची* सभा के मतदान के लिये रखूंगा। इसमें भाग १ और २ दोनों सम्मिलित हैं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*प्रथम अनुसूची, भाग २, स्तम्भ (२) मद संख्या ७२ (११) के सामने अध्यक्ष के निर्देशनानुसार निश्चित अशुद्धि के अन्तर्गत "one quarter" ["एक चतुर्थांश"] शब्दों के पश्चात् "of one" ["एक का"] शब्द जोड़ दिये गए।

द्वितीय अनुसूची

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५, ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं। मैंने पिछले शुक्रवार को कहा था कि स्टाम्प-शुल्क में वृद्धि से बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण मंहगा पड़ेगा। हुण्डी बाजार के विकास करने से पहले ही स्टाम्प-शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि से सामान्य दरें १ प्रतिशत और अधिक हो जायेंगी और इससे वित्तीय स्थिति अधिक खराब होगी। हुण्डी बाजार के विकास के लिये दर में कमी की जानी चाहिये।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वास्तव में इतनी दरें आरम्भ में लागू नहीं की जायेंगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस वृद्धि के कारण कितना राजस्व बढ़ेगा। यह राजस्व राज्यों को मिलेगा और वास्तव में स्थिति वैसी ही रहेगी। सभा को यह बताया जाये कि इस वृद्धि से कितना राजस्व बढ़ेगा।

अप्रत्यक्ष कर लगाने के तरीके के बारे में माननीय मित्र ने कहा है कि वह इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत किया करेंगे। इस प्रकार तो हम सदैव ही ऐसा एक विधेयक ला सकते हैं। इतने विधेयकों की क्या आवश्यकता है। एक ही इस प्रकार का विधेयक लाकर वह सारी शक्तियां ले सकते हैं।

श्रीमान् आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रह चुके हैं। मैं भी उस समिति का सदस्य हूं। उस समिति में हम यह देखते रहे हैं कि क्या सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार हैं। मैं समझता हूं कि कराधान प्रस्तावों को इस प्रकार रखना ठीक नहीं है।

मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि संसदीय लोकतंत्र में माननीय मित्र सभा की कुछ परवाह नहीं कर रहे हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं समझता हूं कि माननीय मित्र मुद्रा बाजार की स्थिति पूर्णतया जानते हैं और मेरे विचारानुसार वह एक बड़े बैंक से भी सम्बन्धित हैं।

यह विधेयक केवल एक कराधान सम्बन्धी विधेयक है। श्रीमान् आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि एक रुपये के स्थान पर मैं इसे शायद एक आने तक लाने का प्रयत्न करूं और १ प्रतिशत के स्थान पर यह १/१६ प्रतिशत हो जाये। शायद कुछ ज्यादा हो या इससे भी कम हो जाये। ब्याज की दरों का प्रश्न बड़ा कठिन होता है। माननीय मित्र ने पूछा है कि इससे कितना राजस्व होगा। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि राजस्व ही मुख्य बात नहीं है, जो राजस्व होगा वह हुण्डियों के रूप में होगा जिन पर रक्षित बैंक बट्टा लेगा। अब प्रश्न यह है कि हुण्डी बाजार क्यों चल रहा है? माननीय मित्र इसके बारे में जानते हैं। सामान्यतया वह क्या करते हैं? मुलतानी हुण्डियों के अतिरिक्त जिन्हें बैंक बट्टा लगाकर लेते हैं, सामान्यतया यह बैंक नकद ऋण देते हैं और यदि अधिक रुपया निकलवाया जाये तो उसके लिये वचन पत्र लिया जाता है। किन्तु जब वह समझते हैं कि उन्हें हुण्डी पर अपहार लेना है तो वह पक्षों को हुण्डी देने के लिये कहते हैं। वे इसे रक्षित बैंक में ले जाते हैं और रक्षित बैंक रेट पर बट्टा लगाता है। यह दर अब ३½ प्रतिशत है कुछ दिन पहले ३¼ प्रतिशत थी।

अब हम देखते हैं कि मुद्रा संभरण की दर पर्याप्त रूप से बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है यह १०० करोड़ रुपया हो या १२० करोड़ रुपया। हम नहीं जानते यह किस प्रकार की होगी। फसलें अच्छी हैं। इस प्रकार हुण्डियां जारी करके जो रकम हम बढ़ायेंगें ज्यादा होगी। तब आप भी ज्यादा होगी। इसे बम्बई, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास प्राप्त करेंगे। यदि मांग अधिक हुई तो शुल्क से कोई रुकावट नहीं होगी। हुण्डी बाजार के विकास के लिये इसे घटाया नहीं जा सकता। यह मामला केवल कराधान सम्बन्धी मामला ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यदि हुण्डी की दर बढ़ा दी जाती है तो कई बातों पर प्रभाव पड़ता है। उधार लेने पर प्रभाव पड़ता है। देश के सामान्य ब्याज की दर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये हम इस कठिनाई को कम से कम करना चाहते हैं। यदि मेरे सलाहकार मुझे यह कहेंगे कि इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी और यह एक रुकावट बनेगी तो मैं इसे कम कर दूंगा। किन्तु माननीय मित्र की इस बात का क्या उद्देश्य है कि मैं शुल्क को आधा या एक चौथाई कर दूं। मैं समझता हूं कि माननीय मित्र ने यह नहीं समझा है कि यदि परिस्थिति ऐसी हो जाये कि हमें हुण्डी बाजार में अन्य २०० करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़े तो सीमा सीमा नहीं है। हमारे सामान्य व्यापार में कोई नियंत्रण होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यदि मैं बैंक दर बढ़ाता हूं तो उसका परिणाम क्या होता है? इस समय बैंक दर ३½ प्रतिशत है। माननीय मित्र जो एक बैंक के चेयरमैन हैं, कहते हैं कि बैंक दर से २ प्रतिशत अधिक किन्तु ६ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। कल वह कहेंगे कि ७ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। बात यह है कि मैं यदि १/२ रुपये की या १/२ प्रतिशत वृद्धि भी करूं तो उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसा करें। इस मामले में मैं थोड़ा नियन्त्रण रखना चाहता हूं। केवल इस कारण से कि रक्षित बैंक को बैंकिंग या उससे अतिरिक्त कारणों के आधार पर एक पद्धति पर चलना पड़ता है, मैं नहीं चाहता कि सारी रकम वह ही ले जायें। यह कल बदल सकता है। मैं नहीं चाहता कि लाभ कोई और ही लोग उठायें।

दूसरे जहां आवश्यकता से अधिक प्रसार हो, वहां मैं चाहता हूं कि थोड़ा नियन्त्रण भी इससे रहे। यह भी एक ढंग ही है। वास्तव में यह एक कराधान सम्बन्धी विधेयक नहीं है वह तो दूसरे दर्जे की बात है। इसे लागू करने में मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिये। कराधान विधि के तौर पर यह प्रत्यायोजन विधि नहीं है और मैं इसे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा। यह मामला केवल वित्तीय ढंग का मामला है और माननीय मित्र इसे जानते हैं।

इस कारण २५ प्रतिशत घटाने में मैं कोई कारण नहीं देखता। या तो हम इसे रखेंगे या नहीं। यदि माननीय मित्र यह कहें कि बड़ौदा बैंक १/२ प्रतिशत भी नहीं बढ़ायेगा तो बात समझ में आ सकती है। किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि कुछ कमी कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा चारों संशोधन संख्या ४, ५, ६ और ७ सभा के सामने मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय* अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

---

†मूल अंग्रेजी में।

*द्वितीय अनुसूची, मद (ख) (१) में "पांच सौ" के स्थान पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार निश्चित अशुद्धि ठीक करने के लिये "५००" रुपये रखा गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त (संख्या ३) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं वित्त (संख्या ३) विधेयक लूंगा । इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है ।

†**श्री तुलसी दास** (मेहसाना—पश्चिम) : वित्त मंत्री इस के पक्ष में नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पूंजी लाभों पर कर लगाने तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिये भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले तथा वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये समवायों के अधिक-कर की दर निर्धारित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(धारा १० का संशोधन)

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपने दो संशोधन संख्या ८ और ९ प्रस्तुत करता हूं । सरकार का जो यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक समवाय अपनी आस्तियों से अधिक अपनी रक्षित निधि का कुछ भाग सरकार के पास जमा कराये यह बड़ा ही अजीब है । आज तक किसी भी देश में ऐसी बात नहीं रखी गई । इससे उनका प्रयोजन यह है कि खाली रकम काम आयेगी और सट्टा कम होगा । समवायों की रक्षित निधियां बैंकों में जमा रहती हैं और बैंक व्यापार आदि के लिये उसे आगे देते हैं । यदि यह रकम सरकारी प्रतिभूतियों में रखी जाती है तो सरकार अपने काम के लिये इसका प्रयोग करेगी । इन निधियों को खाली नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह बैंक में रखी जाती हैं ।

जहां तक सट्टे के तर्क का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि बहुत ही कम समवाय इस काम में पड़ते हैं । कुछ लोगों की कार्यवाही से सभी को कठिनाई में डालना कोई अच्छी बात नहीं है । यह निधियां व्यापार तथा उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था करने का स्रोत हैं । इन्हें ले लेने का मतलब यह होगा कि समवायों का जीवन समाप्त हो जायेगा ।

कुल लगभग ३०,००० समवाय हैं । अंशधारियों की संख्या मुझे मालूम नहीं है । एक अनुमान के अनुसार उनकी संख्या २० लाख या उससे अधिक है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री तुलसी दास]

कितने समवायों का पता चला है जो आपत्तिजनक गठबन्धन कर रहे हैं। आप जानते हैं समवाय निधि ने गठबन्धन पर पर्याप्त नियन्त्रण लगा दिया है तथा मेरे विचार से गठबन्धन के अधिक मामले भी अब नहीं हैं। इसलिये मेरे विचार से इस तर्क में कोई सार नहीं रह जाता है कि यह उपबन्ध आपत्तिजनक विनियोजन को रोकने के लिये है ।

बैंकिंग, बीमा, नौवहन तथा अन्य समवायों, जो वस्तुयें नहीं बनाते हैं, की निश्चित आस्तियां बहुत कम होती हैं तथा अवक्षयण भत्ते, विकास की छूट जो उनको मिलती है वह भी बहुत कम होती है। उनका सारा रक्षित धन, उनका लाभ ही होगा जिसका उपयोग कार्यवहन व्यय के लिये ही किया जायेगा। इस प्रकार अवक्षयण तथा विकास की छूट से हमें बहुत कम लाभ होता है परन्तु सरकार के पास धन जमा करने के बारे में सम्पूर्ण रक्षित धन पर ध्यान रखा जायेगा। मैं चाहता हूं वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें ।

कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि सरकार अवक्षयण तथा अन्य भत्तों के रूप में कुछ रियायत दे रही है। परन्तु जिन समवायों की निश्चित आस्तियां नहीं होती हैं उनको कोई लाभ नहीं होता चाहे उनका कितना भी रक्षित धन क्यों न हो। वस्तुयें बनाने वाले समवायों का अधिकांश रक्षित धन अवक्षयण भत्ते तथा विकास की छूट से ही इकट्ठा होगा। इसलिये इन समवायों की कठिनाइयों को देखते हुये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि ऐसे समवाय जिनमें वस्तुयें नहीं बनती हों को, इस उपबन्ध के अधीन नहीं लाना चाहिये ।

औद्योगिक संस्थाओं के बारे में मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री विद्युत समवायों पर विचार करें। कुछ दिन पूर्व हमने विद्युत संभरण अधिनियम का संशोधन करने वाला एक विधेयक पारित किया है। पहले अधिनियम की छठी अनुसूची की धारा ५७ तथा कण्डिका छः (२) में कहा गया है कि अधिनियम में बताई गई विधि के अनुसार अवक्षयण किया जायेगा। यह संभव है कि अवक्षयण की गणना आय-कर अधिनियम तथा विद्युत अधिनियम में अलग अलग रूप में होती हो। इसीलिये मैंने विद्युत समवायों को इस उपबन्ध से निकाल देने का संशोधन प्रस्तुत किया है। इस उपबन्ध के स्वीकार कर लेने पर बैंकों को बड़ी हानि होगी क्योंकि अचानक ही समवाय बैंकों से अनिवार्य निक्षेप के लिये अपेक्षित धन को निकाल लेंगी। इससे बैंकों के संसाधन कम हो जायेंगे तथा मेरी राय में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

मैं इस समय बैंकों की उस समस्या को नहीं बता रहा हूं कि उनको भी अपनी संचित निधि के निक्षेप जमा करने होंगे। मुझे विश्वास है कि यह सभा, सरकार से जानना चाहेगी कि इस उपबन्ध के कारण समवायों को कुल कितना धन अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा। **टाइम्स आफ इंडिया** ने लिखा है कि यह ८० करोड़ रुपये होगा। आप सोचिये इतना धन बैंक कितनी कठिनाई से दे पायेंगे ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि उन्हें यह आशा नहीं है कि सभी व्यपारी सरकार की सहायता करेंग। यह यहां यह कह सकते हैं परन्तु वह यह जानते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था में विकास में यदि किसी ने योग दिया है तो वह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी उसने उत्पादन बढ़ाया है तथा द्वितीय योजना में भी वह बड़ा महत्वपूर्ण योग देगा। जब वह यह कहते हैं कि व्यापारी योग नहीं देंगे तो मैं नहीं जानता कि वह किस आधार पर ऐसा कहते हैं ।

वित्त मंत्री का यह कहना है कि चाहे किसी भी प्रकार हो संसाधनों का पता लगाना है ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : आपको जो कुछ बताया गया है वही कहिये। उसके अतिरिक्त क्यों कह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तुलसी दास** : मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं ।

मेरे विचार से वित्त मंत्री ने सहायता ठीक प्रकार से नहीं मांगी है । जब वह कहते हैं कि हमारे साथ आओ तब वह दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें यह देखना चाहिये कि वह उचित रूप में काम कर रहे हैं अथवा नहीं ।

उन्होंने स्वयं हमें बताया कि वह वित्तीय कठिनाई को हटाना चाहते हैं परन्तु वह ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे यह कठिनाई बढ़ेगी । इसके परिणामस्वरूप सभी समवायों को अवर-सचिव की जी हुजूरी करनी पड़ेगी । तथा इससे जनता के मन में दुर्भावनायें ही फैलेंगी ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र काम करे तो हमें उसी के अनुसार परिस्थितियां भी बनानी चाहियें । यह परिस्थितियां शक्ति लेने से नहीं बनेंगी ।

अब जब कि चुनाव होने वाले हैं वित्त मंत्री जनता के सम्बन्ध में सोचने लगे हैं परन्तु मेरा विचार है कि जब जनता की भलाई का प्रश्न आता है तब उसको एकदम भुला दिया जाता है क्योंकि उसकी भलाई समाज कल्याण में है तथा समाज का कल्याण उत्पादन बढ़ा कर ही किया जा सकता है ।

रक्षित राशि का प्रश्न ले लीजिये । सरकार केवल मंत्रियों तथा सचिवों का ही विश्वास क्यों करती है तथा जनता के बारे में ऐसे निम्न विचार क्यों रखती है ? क्या सरकार का विचार है कि जनता में आत्म-सम्मान नहीं है तथा उसका विश्वास नहीं करना चाहिये ? परन्तु सरकार का बहुत दिनों से यही विचार है और मेरी राय में उसका यह विचार काल्पनिक ही है । यदि हम निर्धनों का देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये उपयोग करना चाहते हैं तो हमें नौकरशाही शासन-व्यवस्था का सहारा नहीं लेना चाहिये । सभी वस्तुओं पर पूर्ण नियन्त्रण है तथा कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ को नौकरशाही की जी हजूरी करके दूर कर सकता है । मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वस्तुयें बनाने वाले समवायों के बारे में मेरे संशोधन को स्वीकार करलें परन्तु यदि वह इसको लागू ही करना चाहते हैं तो उन समवायों से धन जमा करायें, जो लाभ उठाते हों ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय मित्र के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता । सत्य यह है कि मैं आश्वासन दे चुका हूं कि यह जितनी संभव है उतनी उदारता से लागू किया जाना चाहिये जिससे व्यापार में कोई हानि न हो ।

मेरे मित्र का कहना है कि ऋण लेने वाले समवायों से धन जमा करने के लिये नहीं कहना चाहियें । यदि यह ऋण सद्भावना से लिया गया है तो निर्णायक बोर्ड उनसे धन जमा करने के लिये नहीं कहेगा । परन्तु यदि यह ऋण केवल धन न जमा करने के उद्देश्य से लिया गया है तब उनसे धन जमा कराया जायेगा । मेरे माननीय मित्र ने बैंकिंग समवायों के बारे में कहा । मैं मानता हूं कि हमें बैंकिंग समवायों से अपने रिज़र्व जमा करने को नहीं कहना चाहिये, क्योंकि बैंक को उनकी जरूरत अवश्य होती है । हम निश्चित रूप से नियमों में उपबन्ध करेंगे । यदि और कुछ करना संभव नहीं हुआ तो उनकी धन जमा करने की प्रतिशतता लगभग नहीं के बराबर कर दी जायेगी ।

मैं नहीं जानता कि नौवहन समवाय अथवा परिवहन समवाय एक ही श्रेणी में कैसे आते हैं । सत्य यह है कि उनके रक्षित धन के नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है और वे क्या कर रहे हैं यह जानने की आवश्यकता भी हो सकती है । वह अपने रिजर्व धन का किस प्रकार वितरण कर रहे हैं समवाय किस प्रकार कार्य कर रहा है । इसलिये मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस शिकंजे में नहीं फंस सकता हूं कि "मेरा संशोधन स्वीकार कर लो तथा मैं जो आप चाहेंगे करने को तैयार हूं ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इसलिये, मैं कह रहा हूं कि जो आश्वासन मैंने दिया है, नियम बनाते समय उसके अनुसार काम होगा तथा नियम सभा के समक्ष रखे जायेंगे और तब हम प्रतिशतता बतायेंगे। यह निश्चित है कि बैंकिंग समवाय की प्रतिशतता नहीं के बराबर होगी। वस्तुयें बनाने वाले समवायों के रक्षित धन के बारे में, मैं वही कहना नहीं चाहता हूं जो मेरे मित्र ने इतने ज़ोरदार शब्दों में कहा है कि उस प्रकार का व्यापार करने वाली सभी संस्थाओं को उनकी इच्छानुसार काम करने के लिये छोड़ देना चाहिये।

रक्षित धन की प्रतिशतता तो निश्चित रूप से जमा करनी पड़ेगी। मामले पर ध्यान रखा जायेगा। मैं नहीं जानता कि यह सभी समवाय बैंकों में अपने रिज़र्व को जमा करते हैं। कुछ जमा करते है तथा कुछ नहीं करते और अन्य कामों में उसका उपयोग करते हैं। मेरे माननीय मित्र ने मुझ से पूछा कि आप सभी आंकड़े क्यों नहीं बताते हैं? आपको इससे कितनी आय होगी? निर्णायक बोर्ड उनकी सभी मांगों की जांच करेगा जो वह धन की वापसी के लिये करेगा तथा तभी पूर्ण आय की जानकारी हो सकेगी। मुझे उसकी गणना करनी पड़ेगी। यह करारोपण प्रस्ताव नहीं है, जिसमें मैं बता सकूंगा कि इतना धन होगा। इसमें मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा जिससे उदारतापूर्वक कार्य हो।

मैंने यह भी आश्वासन दिया है कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं कभी भी माननीय मित्र से नहीं कहूंगा कि वह अवर-सचिव, उप-सचिव अथवा संयुक्त-सचिव के पास जायें। यदि वह लिख कर अपना मामला पेश करेंगे तो निश्चित रूप से निर्णायक बोर्ड उसका उचित उत्तर देगा। परन्तु यदि मामला उलझा हुआ होगा तो उनको मामला स्पष्ट करने के लिये आना होगा।

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि समवाय को अभ्यावेदन देने का अधिकार होना चाहिये। वह यह कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण के लिये दिया गया समय बहुत कम है अथवा यह कह सकें कि धन जमा करने के लिये और अधिक समय दिया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बैंकिंग समवायों से उनकी आस्तियों पर अवक्षयण भत्ता जमा करने के लिये नहीं कहा जायेगा, मैं यह बात अन्य समावयों, जिनका वर्णन मेरे मित्र ने किया है, के बारे में नहीं कह सकता हूं। परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसका ध्यान रखेंगे कि इसका संचालन इस प्रकार हो कि जो दुःखी होना नहीं चाहते उनको दुःखी किया जाये।

वस्तुयें बनाने वाली कम्पनियों के ऋण तथा सूद के भुगतान आदि का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। यह विचार नहीं है कि इसका ध्यान रखा जाये कि सार्थ कब दुर्व्यवहार करता है। यह धन को उचित रूप से काम में लाने का प्रश्न है। ऐसा हुआ है कि बहुत-सी कपड़ा मिलों की रक्षित राशियां हैं परन्तु वह अपनी व्यवस्था के पुनर्गठन के लिये उसको व्यय नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं किया गया है। अब वह जान जायेंगे कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो यह धन रक्षित बैंक में जमा हो जायेगा। यदि वह ऐसा भी नहीं करेंगे तो हम उन्हें ऐसा करने के लिए राज़ी करेंग।

मेरे मित्र ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सुना। जी हां बहुत-सी बातें कभी भी नहीं सुनी जाती हैं। क्या विश्व में कोई देश ऐसा है जहां मतदाताओं की संख्या १८ करोड़ है। मैं चाहता हूं मेरे मित्र मुझे बतायें। हमारे लिये सब कुछ नया है। मेरा विचार है कि अपवंचन इतना अधिक है जितना किसी देश में अधिक से अधिक हो सकता है। इसी कारण हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढ निकालने हैं जिससे हम ऐसा कर सकें।

मैं अपने आश्वासन को दोहराता हूं कि बैंकिंग समवायों को हम धन जमा करने के लिये नहीं कहेंगे तथा हम नियमों में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि धन जमा करने के लिये उनकी प्रतिशतता नहीं के बराबर हो। इसको इस प्रकार लागू किया जायेगा जिससे किसी को भी कोई कठिनाई न हो। यदि अचानक निक्षेप

कम हो जायेंगे तो हम और तरीकों को ढूंढेंगे तथा संभवत: उनसे और हुण्डियां देने को कहेंगे। परन्तु मैं व्यक्तियों को धन का उपयोग उस प्रकार नहीं करने दूंगा जिस प्रकार वह चाहें। इसलिये मैं माननीय मित्र के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : मैं बैंकिंग समवायों के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इन समवायों को आवश्यक धन जमा नहीं करना पड़ेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है कि जमा किये गये धन पर सरकार सूद निर्धारित करेगी। परन्तु विधेयक के अनुसार नियमों में निर्धारित किया जा सकता है कि यह धन सूद समेत अथवा उसके बिना ही वापस दिया जा सकता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा यह विचार है कि सूद की दर चाहे कुछ भी हो उस अवधि से कुछ समय पूर्व सरकार के ऋण लेने के लिये निर्धारित दर लागू होंगे। यदि आप ३½ प्रतिशत दर पर लेंगे, हम ३½ प्रतिशत देंगे, यदि यह दर ४ प्रतिशत होंगे, हम ४ प्रतिशत देंगे।

†**श्री थामस** : जो अधिक दर पर लेंगे उनके साथ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि वह यह सिद्ध कर देंगे कि लिया गया ऋण व्यापार के लाभ के लिए था तो समवाय से धन जमा करने के लिए नहीं कहा जायेगा। यह ऋण के भुगतान के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। ऋण के भुगतान के धन पर दिया जाने वाला सूद, निश्चित रूप से दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ तथा ९ सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(धारा १२ख के स्थान पर नई धारा)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ४—पंक्ति ८ से २९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)—

(a) where a capital gain arises from the sale, exchange or transfer of one or more capital assets being property the income of which is chargeable under section 9, and the full aggregate value of the consideration for which the sale, exchange or transfer is made does not exceed the sum of twenty-five thousand rupees, the capital gain shall not be charged under this section and shall not also be included in the total income of the assessee:

Provided that this clause shall not apply in any case where the aggregate of the fair market values of all capital assets, being property the income of which is chargeable under section 9, owned by the assessee immediately before the sale, exchange or transfer aforesaid is made, exceeds the sum of rupees fifty thousand;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(b) where a capital gain arises from the sale, exchange, or relinquishment or transfer of a capital asset to which the provisions of clause (a) are not applicable, being property the income of which is chargeable under section 9, which in the two years immediately preceding the date on which the sale, exchange, relinquishment or transfer took place, was being used by the assessee or a parent of his mainly for the purposes of his own or the parent's own residence, and the assessee has within a period of one year before or after that date purchased a new property for the purposes of his own residence, then instead of the capital gain being charged to tax an income of the previous year in which the sale, exchange, relinquishment or transfer took place, it shall, if the assessee so elects in writing before the assessment is made, be dealt with in accordance with the following provisions of this clause, that is to say,—

(i) if the amount of the capital gain is greater than the cost of the new asset, the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under this section as income of the previous year, or

(ii) if the amount of the capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under this section."

["(४) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जहां पूंजीगत लाभ एक या अधिक सम्पत्ति रूप आस्तियों के विक्रय, विनिमय या हस्तान्तरण से उत्पन्न हुआ हो जिन की आय पर धारा ९ के अन्तर्गत कर लिया जाता है और जिनके विक्रय, विनिमय या हस्तान्तरण के लिये किया गया धन पच्चीस हज़ार रुपये से अधिक हो, उन पर इस धारा के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ कर नहीं लिया जायेगा और ऐसी आय को कर-दाता की कुल आय में सम्मिलित भी नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह खण्ड ऐसे किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा जिसमें विक्रय विनिमय, तथा हस्तान्तरण किये जाने से कुछ ही समय पूर्व करदाता की सभी पूंजीगत सम्पत्ति रूप आस्तियों, जिनकी आय पर धारा ९ के अधीन कर लिया जाता हो, का कुल उचित बाजार मूल्य पचास हज़ार रुपये से अधिक होगा,

(ख) जहां पूंजीगत लाभ, ऐसी पूंजीगत आस्ति पर हुआ हो, जिसका विक्रय विनिमय, अवत्याग, अथवा हस्तान्तरण पर खण्ड (क) लागू न होता हो तथा उस सम्पत्ति की आय पर धारा ९ के अधीन कर लिया जाता हो, और जिसके विक्रय, विनिमय, अवत्याग अथवा हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष पूर्व तक कर दाता अथवा उसके माता पिता ने मुख्य रूप से, अपना अथवा माता पिता का निवास स्थान बनाया हो तथा यदि कर-दाता ने उस तिथि के एक वर्ष पूर्व अथवा पश्चात् की अवधि में अपने निवास के लिये नई सम्पत्ति खरीद ली हो तो पहले वर्ष, जिसमें विक्रय, विनिमय, अवत्याग, अथवा हस्तान्तरण हुआ हो, की आय पर कर लगाने के लिये पूंजीगत लाभ लिये जाने के बजाये यदि कर-दाता चाहे तो निर्धारण होने से पूर्व लिखित रूप में कह सकता है कि उसका मामला इस खण्ड के निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निबटाया जाये, अर्थात्

(१) यदि पूंजीगत लाभ की राशि नई आस्ति की लागत से अधिक हो तो पूंजीगत लाभ की राशि तथा नई आस्ति की लागत का अन्तर, इस धारा के अधीन पहले वर्ष की आय समझी जायेगी, अथवा

(२) यदि पूंजीगत लाभ की राशि नई आस्ति की लागत के बराबर है अथवा उससे कम है तो इस धारा के अधीन पूंजीगत लाभ नहीं लिया जायेगा" ।]

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—(धारा २३क का संशोधन)

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन लाभांश कर बढ़ाने के सम्बन्ध में है । मूल विधान गत अप्रैल में लागू किया गया था तथा जब तक इसकी कोई बुराई सामने नहीं आती है तब तक इन दरों को बढ़ाने में कोई औचित्य नहीं है । इस कर का प्रभाव गरीब तथा अमीर दोनों प्रकार के अंशधारियों पर पड़ेगा तथा यह अधिकांशतः मध्यम वर्ग के हैं ।

मुझे तीन आने से चार आने बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु अब इसको ५० प्रतिशत अर्थात् ६ आने बढ़ाने को मैं बहुत अधिक वृद्धि मानता हूं । यह याद रखना चाहिये कि यह कर अंशधारियों को वापस नहीं मिलेगा तथा इससे लाभांशों में कमी हो जाने से मध्यम तथा गरीब अंशधारियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

सबसे बड़ी खराबी इस कर का पूंजीगत आधार है । इसके दर तब तक अधिक नहीं बढ़ाने चाहियें जब तक इसके संतोषजनक परिणाम न हों । मेरे विचार से समवायों को पूंजीगत ढांचा सुधारने के लिये कुछ समय देना चाहिये । संतोषजनक पूंजीगत आधार की गणना में कुल संस्थापन पर भी विचार करना चाहिये । यह भी संभव है कि व्यापार समवायों के थोड़ी पूंजी हो । ऐसे मामले में तथा वस्तु बनाने वाले समवायों में प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित धन को जोड़ कर आधार बनाना चाहिये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं जानता, मेरे मित्र किस सम्बन्ध में बोल रहे हैं । क्या वह धारा २३क समवायों के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं । वह अपने संशोधन द्वारा पृष्ठ ५ पर पंक्ति २ से ४ को हटाना चाहते हैं । यदि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो उप-खण्ड (क) एकदम हटा दिया जायेगा । यदि संशोधन विधेयक के बारे में है तो यह एक आनुषंगिक संशोधन है । मैं उच्च वर्ग पर लाभांश कर ६ आने नहीं लगा सकता हूं तथा जहां तक २३क समवायों का सम्बन्ध है चार आने दण्ड कर भी नहीं लगा सकता हूं । यदि उनको लाभांश कर पर ६ आने पर आपत्ति है तो यह अलग बात है ।

†**श्री तुलसी दास** : मुझे खेद है कि मैं पृष्ठ ६ की अन्तिम तीन पंक्तियां हटाना चाहता था । वहां पर ६ आने दी गई है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक लाभांश कर का सम्बन्ध है, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करते समय भी बता चुका हूं । यह लाभांश की सीमा का विकल्प है । मैं यह समवाय पर ही छोड़ देता हूं यदि वह अधिक लाभांश की घोषणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तथा मुझे जुर्माने की राशि दे सकते

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]
हैं। यदि समवाय ऐसा नहीं करते हैं तो धन रक्षित निधि में चला जायेगा। यह लाभांश की सीमा रहेगी क्योंकि हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं करना चाहते।

श्री अशोक मेहता ने मज़दूरों की मजूरी बढ़ाने के बारे में कहा। हमने इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। मज़दूरों को कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा। परन्तु उनको इतना धन नहीं दिया जायेगा जिससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सहारा न लेना पड़े। हम कर्मचारियों से अपने पर नियन्त्रण लगाने को नहीं कह सकते हैं तथा न ही लाभांश के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। एकीकृत योजना से हम लाभांश पर सीमा लगाते हैं। समवाय ठीक प्रकार से काम करती है तथा अपने रिज़र्व धन को देश तथा समवाय के विकास के लिये लगाती है तो यह उचित ही है।

†**श्री तुलसी दास** : प्रदत्त पूंजी के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह पुरानी बात है। लाभांश कर अब भी है। यदि यह सम्पूर्ण पूंजी पर होगा, तो सम्पूर्ण पूंजी बढ़ जाने से समवाय बढ़ जायेगा तथा लाभांश कर का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। लाभांश तो प्रदत्त पूंजी पर होता है, पर जनता से कर लिया जाना चाहिये। हमें इसी आधार पर काम करना है। यदि बाद में परिवर्तन करके वह कहें कि हम सम्पूर्ण पूंजी पर लाभांश दे रहे हैं तो मैं सम्पूर्ण पूंजी को स्वीकार कर लूंगा। लाभांश कम हो जायेगा तथा मैं कर भी कम लेने लगूंगा। जब तक लाभांश प्रदत्त पूंजी पर रहेगा तब तक यही आधार रहेगा।

†**श्री तुलसी दास** : अब मैं अपने संशोधन संख्या ११ तथा १२ को प्रस्तुत करता हूं तथा यह कहना चाहता हूं कि धारा २३क समवायों को अधि-कर के दण्ड स्वरूप कुल आय पर लाभांश देना पड़ता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र नहीं जानते कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह मेरे पास आयें तो मैं उनकी सहायता करूं।

†**श्री तुलसी दास** : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि २३क समवायों को पूंजीगत लाभ का वितरण करना होगा तो उन्हें कुल आय का कुछ प्रतिशत भी वितरित करना होगा। उनकी कुल आय में पूंजीगत लाभ भी शामिल है यदि उसका वितरण किया जायेगा तो केवल पूंजीगत लाभ-कर ही नहीं देना पड़ेगा। अपितु आय-कर, अधि-कर भी देना पड़ेगा। और अंशधारियों को अधि-कर भी देना होगा। इसलिये कुल आय में से पूंजीगत लाभ क्यों अलग नहीं कर देने चाहिये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं जानता। मेरे विचार से वाणिज्यिक आधार से पूंजीगत लाभ में कोई अन्तर नहीं है। मैं तो वितरित होने वाले धन से सम्बन्धित हूं। मैं नहीं जानता कि वह कहां से आता है। जब वितरण के लिये आता है उस पर विधि लागू हो जाती है। यदि वितरण के लिये नहीं आता है तो यह दूसरी बात है।

२३क समवायों के सम्बन्ध में भी हमने अधिनियम में उपबन्ध कर दिया है कि निर्णायक बोर्ड उनको वितरित करने से छूट दे सकता है। जिस सीमा तक उन पर विधि लागू होती है, मेरा विचार है कि भविष्य में इस पर और स्पष्ट रूप से विचार करूंगा। यदि २३क समवाय एक वस्तु बनाने वाला समवाय है तो उसको सभी सरकारी समवाय जो वस्तु बनाते हैं, के समान समझा जायेगा। यदि २३क समवाय एक प्रबन्ध अभिकरण, विनियोजन समवाय अथवा व्यापार समवाय है तो उस पर विधि अवश्य लागू होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०, ११ और १२ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८—(समवायों पर अधि-कर की दरें आदि)

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस दृष्टिकोण को समझ सकेंगे क्योंकि इसमें बैंकिंग समवाय का प्रश्न आ जाता है ।

खण्ड ८ की व्याख्या में प्रदत्त पूंजी की जो परिभाषा दी गई है उसमें केवल सामान्य पूंजी ही आती है, अधिमान-अंशों की पूंजी नहीं, अर्थात् पिछले वर्ष की पहली तारीख को जो राशि अंशों के किस्त सम्बन्धी लेखे में जमा थी केवल वही राशि इसमें सम्मिलित की जायेगी । इसका तात्पर्य यह होगा कि इसमें सामान्य संचिति में हस्तांतरित की गई अंशों की किस्त नहीं शामिल की जायेगी और समझा यह जायेगा कि समवाय की पूंजी कम हो गई है जिसका परिणाम अधिक कर लगा देना होगा । बैंकिंग समवायों को इससे और भी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । बैंकों को बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन सन्तुलन पत्र तथा लेखा आदि तैयार करना पड़ता है, समवाय अधिनियम के अनुसार नहीं । इसी प्रकार बैंकिंग समवाय किस्त के अंश को अलग न दिखा कर एक साथ दिखा सकते हैं जैसा कि धारा १७ में उपबन्ध है । इसी कठिनाई को दूर करने के लिये मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है । असली बात तो यह है कि यदि किस्त का अंश प्राप्त हो चुका है तो वह समवाय की प्रदत्त पूंजी में जोड़ दिया जाना चाहिये ।

इस वर्ष नयी समवाय विधि लागू किये जाने से पहले समवायों को अब की अपेक्षा किस्त लेखे को बट्टे खाते में डालने की अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । मेरे इस संशोधन से जिन समवायों ने किस्त लेखे को बट्टे खाते में डाल दिया अथवा संचिति लेखे में हस्तांतरित कर दिया उनकी तथा जिन समवायों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबकी स्थिति एक सी हो जायगी । यदि जैसा उपबन्ध इस समय है वही अपना लिया गया तो जिन समवायों ने अपनी किस्तों को बट्टे खाते में डाल दिया है, उनका कर सम्बन्धी दायित्व बढ़ जायेगा तथा दोनों प्रकार के समवायों में अनुचित भेद-भाव बढ़ेगा ।

इसीलिये मैं यह कहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये । प्रत्येक सदस्य के विचार इस मामले में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि मंत्री महोदय हमारे विचार नहीं समझ सके हैं । चूंकि मंत्री महोदय अपने ढंग से इसे निबटाना चाहते हैं, इस कारण मैं भी अपने संशोधन के द्वारा अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस मामले विशेष में उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये, मैं उन्हें समझ नहीं सका हूं । यद्यपि विधि यही बताता है कि अंशों की प्राप्त हुई किस्त को पूंजी के अंश के रूप में दिखाई जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि विधि यह नहीं है कि यदि किसी बैंकिंग समवाय की पूंजी १ करोड़ रुपया है और उसे १५ लाख रुपया किस्त में मिला है तो इस राशि को पूंजी में मिलाकर कुल राशि १,१५,००,००० रुपया दिखानी चाहिये । इस प्रकार प्रदत्त पूंजी १ करोड़ रुपया रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तुलसी दास** : मंत्री महोदय मेरी बात समझ नहीं सके हैं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने एक बैंक का सन्तुलन पत्र देखा है । मैं यह भी जानता हूं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम के द्वारा क्या होना चाहिये । बैंकिंग समवाय अधिनियम पर विचार करते समय हम यह कह चुके हैं कि बैंकिंग समवायों के नये जारी किये गये अंशों पर प्राप्त किश्तों को पूंजी का अंश समझा जाना चाहिये, संचिति का नहीं । इसका उपयोग उन कार्यों में किया जाना चाहिये जिनका पूंजी से कोई सम्बन्ध न हो । यदि किसी बैंक की पूंजी १ करोड़ रुपया हो और किश्त के रूप में उसे १५ लाख रुपया और मिल गया हो, तो संतुलन पत्र में दोनों चीज़ें अलग-अलग दिखाई जाती हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : लेकिन इसको इस प्रकार नहीं दिखाया जाता । बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा १७ के अधीन बैंकों को कुछ संचिति भी रखनी पड़ती है । बहुत से बैंकों ने अंशों की प्राप्त हुई किश्त संचिति में हस्तांतरित कर दी है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा सम्बन्ध केवल एक तथ्य से है । सन्तुलन पत्र की बाईं ओर प्रथम मद में प्रदत्त पूंजी के आंकड़े दिये गये हैं । मैं इसे स्वीकार करता हूं । यदि माननीय सदस्य उसमें कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसे मानने को तैयार नहीं । मैं समझता हूं कि वह वास्तव में उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : किन्तु आप जो कुछ कहते हैं, व्याख्या में ऐसी बात नहीं कही गई है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे मित्र यह नहीं समझते कि अधिमान अंश पूंजी तथा अन्य प्रकार की पूंजी जिस पर लाभांश एक विशेष दर पर दिया जाता है, बाद में आती है । जहां तक साधारण अंशों का सम्बन्ध है ये उस पूंजी के भाग हैं जिसके आधार पर लाभांश की गणना की जाती है । खेद है कि मेरे माननीय मित्र मुझे समझा नहीं सके हैं । निस्सन्देह जो संशोधन मैं समझ ही नहीं सका उसे मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता ।

†**श्री तुलसी दास** : व्याख्या में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि किस्तें नक़द प्राप्त होंगी तो प्रदत्त पूंजी में जोड़ दी जायेंगी । माननीय मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है ? विधेयक में जो कुछ कहा गया है, मेरे संशोधन से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : केवल बैंकिंग समवाय ही अंशों में प्राप्त हुई किस्तों को संचित निधि में हस्तांतरित कर सकते हैं । अन्य समवायों के बारे में ऐसी बात नहीं है । यह प्रदत्त पूंजी का ही अंग होती है और इसे अलग नहीं दिखाया जाता ।

†**श्री तुलसी दास** : इसको अंशों में प्राप्त हुई किस्तों के लेखे में सदैव दिखाया जाता है । मेरा निवेदन केवल यह है कि अंशों की प्राप्त हुई किस्त को प्रदत्त पूंजी ही समझना चाहिये ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : वस्तुतः मैं महसूस करता हूं कि इससे फिलहाल काम चल जायगा । माननीय मित्र बैंकों जैसे विभिन्न प्रकार के समवायों के बारे में समझ रहे हैं । क्या वह बैंकों के बारे में सोच रहे हैं ?

†**श्री तुलसी दास** : जी हां, बैंकिंग समवायों के मामले में किस्त की राशि संचित निधि में जोड़ दी जाती है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय सदस्य मुझे अपनी उक्ति से सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं । स्थिति स्पष्ट है; प्रदत्त पूंजी की परिभाषा हम दे ही चुके हैं । यदि वह वास्तव में कुछ और कहना चाहते हैं तो उसकी जांच करवानी होगी ; किन्तु मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तुलसी दास** : मैं अपने संशोधन संख्या १३ और १५ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५, १४ और १३ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे जो भ्रान्ति उत्पन्न हुई है मैं केवल उसी को बताना चाहता हूं। स्थिति यह है कि व्याख्या में कुछ ही छूट दी जा रही है। माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि कितनी छूट मिली हुई है। यदि बैंकों ने कोई अभ्यावेदन किया है और मैं देखता हूं कि इस बारे में कुछ करना भी है, तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**श्री तुलसी दास** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह विधेयक से पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रूस तथा पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैंने इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिये क्यों ज़ोर दिया है, इसके कारण मैं संक्षेप में बताना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं विदेशों को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को अत्यधिक महत्व देती हूं क्योंकि उससे संस्कृति और कला के द्वारा लोगों को समझने का अवसर मिलता है। दूसरा कारण यह है कि इनके द्वारा हमारी प्राचीन संस्कृति को संसार का आदर मिलता है। अंग्रेजी शासन काल में तो यहां तक हालत हो गई थी कि बहुत से लोगों को अपने माता पिता को, जिन्हें पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान नहीं था, अपना कहने में लज्जा आती थी। किन्तु अब सारे संसार में दूसरी ही लहर फैल रही है। अनेक भारतीय शिष्टमंडलों ने विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

और सभ्यता का प्रतिनिधित्व किया है। अब संसार के लोग यह महसूस करने लगे हैं कि वास्तव में एशिया की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जो सारे विश्व से बढ़-चढ़कर है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि हम यह जानें कि हमें किस प्रकार के शिष्टमंडल विदेशों को भेजने चाहियें।

मेरे बहुत से मित्रों ने इस चीज़ को बड़ी संकुचित और विद्वेषपूर्ण दृष्टिकोण से देखा है। बहुत से लोगों ने मुझे सम्मति दी कि इस शिष्टमंडल का नेता एक बंगाली है इस कारण मुझे यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। मैं इन सब चीज़ों को रत्ती भर भी महत्व नहीं देती। मुझे तो अपनी राष्ट्रीय परम्परा पर अभिमान रहा है। इसी कारण मैंने यह प्रश्न यहां उठाया है।

मैं अपने आप को बहुत सुसंस्कृत और सभ्य नहीं समझती हूं। मैं यह भी दावा नहीं करती कि मैं टैगोर की अत्यधिक प्रशंसकों में से हूं। टैगोर के विषय में तो प्रत्येक बंगाली कुछ न कुछ जानता ही है या उसने कुछ न कुछ उनसे सीखा ही है। मैंने सोवियत संघ के नृत्य-नाटक देखे हैं जिनके बारे में मेरा यही विचार है कि वह चीज़ ऐसी है जिस पर गर्व किया जा सकता है। इस कारण मैं यह समझती हूं कि जिन लोगों ने भारतीय नृत्य नाटकों का प्रतिनिधित्व विदेशों में जाकर किया वह यथासम्भव सर्वोत्कृष्ट होना चाहिये था। यही कारण था कि मैं इतनी शीघ्र ही इस ओर प्रभावित हो गई और सभा के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित कर सकी।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात को मानती हूं कि अभी हमें शिष्टमंडल भेजते जुमां-जुमां आठ दिन हुए हैं, इस कारण कुछ ग़लतियां हो सकती हैं। किन्तु हम पहले भी कई शिष्टमंडल विदेशों को भेज चुके हैं। श्रीमती चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में जो शिष्टमंडल भेजा गया था वह सफल रहा फिर भला आगे बढ़कर फिर पीछे लौटना हमें शोभा नहीं देता।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में जब शान्तिनिकेतन के छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो मैं न जा सकी थी किन्तु सभी पत्रों ने इसकी निन्दा की थी। इससे शान्तिनिकेतन की ख्याति को धक्का पहुंचा। मैं तो यह महसूस करती हूं कि वास्तव में वह हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं था।

मुझे विश्वास है कि सरकार यही कहेगी कि शिष्टमंडल का चुनाव करने में सभी संबंधित संगठनों आदि से परामर्श कर लिया गया था, किन्तु जहां तक मैं समझती हूं इसमें केवल एक व्यक्ति की पसन्द ही चली होगी। मेरे विचार से अन्तिम उत्तरदायित्व वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का है। संगीत नाटक अकादमी से भी सारी बातें तय कर लेने के बाद ही परामर्श लिया गया था। शान्तिनिकेतन का सुझाव यह था कि हमें पूरा बैलेट भेजना चाहिये।

†**वैदशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं यह बताना चाहता हूं कि शिष्टमंडल की रचना पर चर्चा के समय पहली बैठक में संगीत नाटक अकादमी की सचिव उपस्थित थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह नहीं कहती कि वह वहां उपस्थित नहीं थीं। जो बैठक बुलाई गई थी उसमें वह उपस्थित थीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि पहली बैठक में वह उपस्थित थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हो सकता है कि वह उपस्थित हों, किन्तु इतना सच यह है कि प्रतिनिधि ने यह सिफारिश की थी कि टैगोर के बैलेट का प्रतिनिधित्व करने के लिये पूरा बैलेट भेजा जाना चाहिये। किन्तु कुछ कलाकारों का चुनाव उसके बाद किया गया। जो कुछ वहां दिखाया गया उससे शान्तिनिकेतन

†मूल अंग्रेजी में।

की बदनामी हुई। बीरेन पालित नामक जो युवक उसमें था उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने कार्य में विशेष कुशल था।

मुझे किसी पर आपत्ति नहीं है; वह चाहे किसी का सम्बन्धी हो किन्तु मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि चुने गये लोग अच्छे हों।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : स्पष्टीकरण के लिये यह बता दूं कि वह मेरा रिश्तेदार नहीं है और वह विश्वभारती शान्तिनिकेतन में रवीन्द्र संगीत का अध्यापक है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जहां तक विश्वभारती का सम्बन्ध है चुनाव करने के लिये कभी नहीं कहा गया। सरकार मेरे सुझाव तो नहीं मानेगी किन्तु यह बात निस्संदेह लाभदायक है कि विश्वविद्यालय स्वयं अपने उम्मीदवार चुनें। जो लोग रवीन्द्र संगीत के बारे में कुछ जानते हैं उन्हें पता है कि सुचित्र मैत्र तथा शान्ति देव घोष जैसे संगीतज्ञ हैं जो रवीन्द्र का अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं नहीं समझी कि फिर द्विजेन मुकर्जी किस प्रकार चुन लिये गये।

इसी मंजुला दत्त के बारे में भी मैं नहीं कह सकती कि वह कैसे चुन ली गई। इस संवरण का कारण दोस्ती थी या कोई और बात यह मैं नहीं कह सकती।

इसी प्रकार ललिता आयंकर ने शास्त्रीय संगीत का जो प्रदर्शन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दिया वह बहुत ही भद्दा था। मैं नहीं जानती कि उसे कैसे चुना गया। मुझे बताया गया कि राज्य के मुख्य मंत्री ने उसकी सिफारिश की। मैं समझती हूं कि ऐसी सब बातें संगीत नाटक अकादमी पर ही छोड़ देनी चाहियें।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से सलाह ली गई थी।

कथकली के बारे में मुझे बताया गया कि चुनाव ठीक ही हुआ था किन्तु कुछ लोग ठीक नहीं थे और उनके स्थान पर अच्छे व्यक्ति मिल सकते थे।

मैं दोबारा इस बात पर जोर देती हूं कि हमें सांस्कृतिक शिष्टमंडलों में योग्यतम कलाकारों को ही भेजना चाहिये और चुनाव बड़े ही अच्छे तरीके पर होना चाहिये। जो विशेषज्ञ समितियां तथा अकादमियां हैं उनकी सलाह ली जानी चाहिये और इन संस्थाओं को वैदेशिक कार्य मंत्रालय से तालमेल रखना चाहिये।

एक बात मैं यह कहूंगी कि शिष्टमंडल के सदस्यों को विदेशों में जाकर आदर्श व्यवहार करना चाहिये जिस से देश का सम्मान बढ़े। हमें आत्म-निर्भर होना चाहिये। कई बार छोटे लोगों के प्रतिनिधियों को जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया होता है ठीक बाहर जाने के अवसर पर ही रोक दिया जाता है कि इस प्रकार विदेश जाना ठीक नहीं है।

शिष्टमंडलों में मंत्रियों के रिश्तेदार नहीं होने चाहियें। भविष्य में ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि विश्व में बहुत से देश भारत के प्रति आदर रखते हैं और यह बात गौरव की है। साथ ही यह भी सच है कि कोई देश शिष्टमंडलों की निन्दा नहीं करता। इस पैमाने से हमें अपने शिष्टमंडलों की सफलता की परीक्षा नहीं करनी चाहिये। इसके लिये हमें बढ़िया से बढ़िया कलाकार बाहर भेजने चाहियें। हमारे राजदूत ने इसकी आलोचना की है। सोवियत प्रेस ने तो तारीफ ही की है किन्तु हमारे राजदूत ने आलोचना की है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मुझे आशा है कि इस मामले पर तंगनज़री से विचार नहीं किया जायगा। हमने दक्षिण पूर्व एशिया तथा सोवियत रूस में अच्छे शिष्टमंडल पहले भेजे हैं। इस ही शिष्टमंडल के बारे में कुछ बातें हुई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आशा है कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही नहीं होगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, माननीया सदस्या ने केवल रूस को भेजे गये शिष्टमंडलों के बारे में ही कुछ बातें नहीं कही हैं किन्तु सामान्यतया सभी शिष्टमंडलों के बारे में कहा है। जो उन्होंने शिष्टमंडलों के बारे में सामान्यतया कहा है उसके बारे में मैं सहमत हूं।

मैं चर्चा में इस कारण भाग ले रहा हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री होने के नाते कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है—यद्यपि इस शिष्टमंडल के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था—वास्तव में मैं उस समय भारत में था ही नहीं—और कुछ जिम्मेदारी इसलिये है कि मेरे माननीय साथी जो शिष्टमंडल के नेता थे वह यह महसूस करेंगे कि वह कैसे उस मामले के बारे में कुछ कहें जिससे वह स्वतः सम्बद्ध हैं।

अब जो बातें उठती हैं वे यह हैं : कि शिष्टमंडलों के चुनाव के लिये कौनसा तरीका अपनाया जाये; दूसरे इस विशेष शिष्टमंडल या किसी दूसरे का वास्तविक चुनाव; और तीसरे परिणाम कि क्या यह विशेष शिष्टमंडल सफल रहा या नहीं रहा। मैं तो लोगों के चुनाव में सक्षम नहीं हूं। कई बार चुनाव करने वाली समितियों में मैं शामिल हुआ हूं और मैंने राय दी है किन्तु वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। किन्तु हमें जो कठिनाई है वह यह है कि एक व्यक्ति जो बढ़िया होने के नाते यहां उच्च कोटि का समझा जाता है वह विदेशों में सफल न हो और वहां उसको लोग पसन्द न करें। जैसा कि यहां बहुत से माननीय सदस्य तथा मैं भी उच्च कोटि के भारतीय संगीत को नहीं समझ सकते जो कि वास्तव में बहुत ही अच्छा होता है किन्तु हम इससे परिचित नहीं हैं। यदि इस प्रकार की उच्च कोटि का संगीत वहां सुनाया जाये—जो कि वहां लोगों की समझ के बाहर है— तो वहां लोग उसे पसन्द नहीं करते। चुनने के मामले में यही कठिनाई है— कुछ लोगों को छोड़कर—लोग उसी को पसन्द करते हैं जिसे वह समझते हैं।

दूसरी कठिनाई यह है—जब कोई शिष्टमंडल रूस या चीन भेजा जाता है—तो हमें यही कहा जाता है कि हमें वहा मिश्रित शिष्टमंडल भेजना चाहिये जिसमें सभी प्रकार के लोग हों। वास्तव में जो माननीय सदस्य चीन भेजे गये शिष्टमंडल के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि उसमें नृत्य कला का अत्युत्तम प्रतिनिधित्व था कुछ मदारी तथा बाज़ीगर थे जो अपने तरीके से बहुत अच्छे थे।

इन देशों में हमारे राजदूतों ने हम से सदा कहा है कि "कृपया विचित्रता हो।" वस्तुतः हम से कहा गया है कि उनके साथ नट और बाजीगर भी भेजें। यह बहुत संभव है कि यदि हम यहां से कुछ नट भेजें तो कुछ लोगों को दुःख होगा।

तीसरी बात जिस की ओर माननीय सदस्या ने निर्देश किया था हमारे लोगों के व्यवहार के सम्बन्ध में है। व्यवहार से मेरा अभिप्राय कुछ बुरा नहीं है यद्यपि निस्संदेह कुछ मामले हुए हैं जिन में निश्चित बुरा व्यवहार हुआ है—विशेषतः इस शिष्टमंडल में नहीं वरन् बहुत से शिष्टमंडलों में जिनमें मुझे सादर कहना पड़ता है कि ऐसे शिष्टमंडल भी हैं जिन में संसद् सदस्य सम्मिलित थे। यह बुरे व्यवहार का प्रश्न नहीं है वरन् ऐसी परिस्थितियों में व्यवहार का प्रश्न है जिनसे हम अभ्यस्त नहीं हैं।

हम एक ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो कि कभी विदेश नहीं गया, जो विदेशी रिवाजों, विदेशी खाने पीने और विदेशी सभी बातों के विषय में कुछ नहीं जानता। उसका फल यह होता है कि वह खिन्न

†मूल अंग्रेजी में।

होता है और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन सकता। वह न केवल खिन्न होता है वरन् अपनी खिन्नता अपने इर्दगिर्द सब को बताता है। इन सब परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करना सुगम नहीं, विचित्रता भी हो, ऐसे कलाकार हों जो न केवल अच्छे हों, वरन् वहां अधिकाधिक लोग उनकी सराहना करें, स्वयं अप्रसन्न न हों अपने आस पास लोगों को अप्रसन्न न करें। यह सब बहुत कठिन कार्य है।

हमने ये शिष्टमंडल अव्यवस्थित ढंग से भेजे थे। मैं नहीं कहता कि उन्हें चुनने के लिये कोई विशेष संगठन नहीं था। सामान्यतः सम्बन्धित व्यक्ति अर्थात् शिक्षा मंत्रालय और विशेषतः संगीत नाटक अकादमी और वैदेशिक कार्य मंत्रालय चुनने का कार्य करते हैं। सूचना और प्रसार मंत्रालय का भी सम्बन्ध है क्योंकि उनका बहुत से कलाकारों से सम्बन्ध है और वे उनके बारे में बहुत जानते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने निर्देश किया यह सच है— मैं इस विशेष शिष्टमंडल की बात नहीं कह रहा वरन् अन्य के सम्बन्ध में भी कह रहा हूं—कि चुनाव और परामर्श की यह प्रक्रिया अव्यवस्थित ही थी। वे सभी आए हैं और उन सभी को आमंत्रित किया गया है। कभी कोई नहीं आता और उन सब को एकत्र नहीं किया जा सकता और एक बैठक की जाती और ठीक अन्तिम समय हमें जल्दी होती है।

फिर कलाकारों को ही लीजिये। सामान्यतः कलाकारों के साथ कार्य करना दुष्कर होता है। जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तो हम उन्हें नहीं पा सकते। उनके जाने से कुछ ही समय पूर्व राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में उन्होंने जो प्रदर्शन किया था उस पर की गई आलोचना की ओर माननीय सदस्य ने बार-बार निर्देश किया था। मैं ने स्वयं उसे नहीं देखा, मैं स्वयं उपस्थित नहीं था। कलाकारों की योग्यता के अतिरिक्त तथ्य यह था कि वे इकट्ठे कार्य नहीं करते थे। उन्होंने अन्य शिष्टमंडलों की तरह कभी पूर्वाभ्यास नहीं किया। ठीक ऐसा ही हुआ। वे एकत्र नहीं हो सके। स्वभावतः मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं। परन्तु उन्हें एकत्र करना बहुत कठिन है और मैं समझता हूं कि कोई भी शिष्टमंडल जब तक वह कुछ समय इकट्ठे एक दल के रूप में कार्य न करे इस प्रकार नहीं भेजा जाना चाहिये। वे वहां दल रूप में कार्य नहीं कर सके।

†**श्री कामत** : क्या वे जाने से पहले दिल्ली में एकत्र नहीं हो सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : परन्तु वे यहां एकत्र हुए थे। कुछ के पास पोशाक नहीं थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं कि अन्य शिष्टमण्डलों का चुनाव संगीत नाटक अकादमी ने किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संगीत नाटक अकादमी ने स्वयं इन शिष्टमंडलों के विषय में कार्य नहीं किया। हो सकता है कि कुछ के मामले में उसने अधिक कार्य किया हो, वैदेशिक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसार मंत्रालय ने भी भाग लिया था। वस्तुतः जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, हमने काफी विनियमित नियम बनाये हैं। निस्संदेह उससे हमें सहायता मिलेगी। परन्तु वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोगों को चुनना सुगम काम नहीं जिन्हें माननीय सदस्य भी अच्छा समझें और वहां भी उनकी सराहना हो।

कत्थकली को लीजिये। यह मेरी निजी राय है कि इसकी वहां अधिक सराहना नहीं हो सकती। सामान्यतः आप पहली बार या दूसरी बार कत्थकली नृत्य को देखें तो आप पसंद नहीं करेंगे। आपको उसके लिये अभ्यस्त होना होगा। मैं तो अभ्यस्त हो गया हूं। जब मैंने इसे २० वर्ष पूर्व देखा, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था, मैं हैरान था और मैं इसे सर्वथा नहीं समझा था। अब मैं समझता हूं कि यह

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत के अत्युत्तम नृत्यों में से है और मैं इसके लिये अभ्यस्त हो गया हूं। परन्तु अन्य देशों के लोग संभवतः इसके लिये अभ्यस्त नहीं हैं।

सामान्यतः सिवाय कुछ स्थानों के जहां वस्तुतः कत्थकली नृतकों की सराहना की जायेगी और कहीं कत्थकली नृतकों को भेजने का कोई लाभ नहीं।

अन्य प्रकार के नृत्यों में हमारे विशेष शास्त्रीय नृत्य भारत नाट्यम को ही लीजिये, हमारे भारत नाट्यम के सर्वोत्तम नृतकों को भी पूर्णतः जोश में आने के लिये एक या दो घंटों की आवश्यकता होती है, डेढ़ या दो घंटे के पश्चात् उनकी कला को पूर्ण रूप मिलता है। परन्तु उन्हें इसके लिये समय नहीं मिलता क्योंकि उनको नृत्य के लिये १० मिनट मिलते हैं। हमारे सितार के कलाकारों को यदि १५ मिनट या कुछ अधिक दिये जायें तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। आप सितार के कलाकार को एक या दो घंटे सितार वादन के लिये नहीं दे सकते। सारा प्रदर्शन एक या दो घंटे के लिये हो सकता है और इसलिये हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि सभा इन कठिनाइयों को समझे।

सामान्यतः इन कलाकारों में अधिकतर भावुक होते हैं और वे परस्पर इस सम्बन्ध में बहुत ईर्ष्या करते हैं कि किसे पहले समय दिया जाता है, कौन दूसरा है, किसे पांच मिनट अधिक मिलते हैं और किसे पांच मिनट कम मिलते हैं आदि। उन्हें प्रसन्न रखना बहुत कठिन कार्य है · · · · ·

†**श्री कामत :** मुखिया को उन पर नियंत्रण करना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि मुखिया ऐसा करता है। कुछ समय पहले मुझे इस बात का पता लगा कि सभी शिष्टमंडलों में यह अत्यावश्यक है कि महिला कलाकारों की देखभाल के लिये एक महिला रखी जाये · · · · बहुत सी महिला कलाकार भी हैं। अपनी महिला मित्र के प्रति पूर्ण सम्मानसहित मैं कह सकता हूं कि महिला कलाकार बहुत अच्छी हैं परन्तु वे कभी-कभी झगड़ालू होती हैं। इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी महिला साथ जाये जिस का उन पर कुछ प्रभाव हो। इस विशेष मामले में मैंने ही यह अनुभव किया था कि नेता की पत्नी साथ जानी चाहिये क्योंकि दल में और स्त्रियां हैं। उसे इन लोगों के साथ काम करने का अभ्यास है और मैंने सोचा कि या तो इन्हें अथवा किसी अन्य महिला को इस काम के लिये चुना जाना चाहिये।

माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि इस विशेष शिष्टमंडल के विरुद्ध पहली जांच के समय आलोचना की गई थी, परन्तु तत्पश्चात् इसका कार्य बहुत अच्छा रहा। यह जहां भी गया इसे असाधारण सफलता मिली। मैं ऐसी सफलता का उल्लेख नहीं कर रहा जिसमें दर्शकों को शिष्टता और मैत्री भाव के कारण हर्ष प्रकट करना पड़ता है। यह सत्य है। हमारे अपने राजदूत ने इन शब्दों में इसकी सूचना दी है कि :

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि रूसी दर्शक हमारे कार्यक्रमों से बहुत हर्षित हुए। दो वर्ष पूर्व जो भारतीय शिष्टमंडल मास्को आया था, उसके कार्यक्रमों की अपेक्षा इन कार्यक्रमों में विचित्रता अधिक थी।"

माननीय सदस्य के अनुसार पहला शिष्टमंडल बहुत उच्चकोटि का था। रूसी दर्शकों के मतानुसार उन कलाकारों का संगीत उनकी समझ के बाहर था। सरल नृत्य और हल्के संगीत की सराहना की गई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राजदूत द्वारा दी गई सूचना में यह भी कहा गया है कि :

"शांतिनिकेतन की लड़कियों का फसल कटाई सम्बन्धी नृत्य अपनी अलग श्रेणी का था। यह हल्का, भव्य और सुगमता से समझने योग्य था। दर्शकों ने इसे पसंद किया। इस शिष्टमंडल के आगमन को रूसी लोग बहुत देर तक प्रसन्नता से स्मरण रखेंगे।"

चेकोस्लोवाकिया से यह सूचना मिली है कि :

"हमारे सांस्कृतिक शिष्टमंडल का दौरा एक वास्तविक सफलता था। इससे चेकोस्लोवाकिया के लोगों को हमारा नृत्य, संगीत और संस्कृति समझने में सहायता मिली है। राजनयिकों सहित जिन लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व हमारे शिष्टमंडल का कार्यक्रम देखा था, उन्होंने कहा कि वर्तमान दल अधिक अच्छा और उच्च कोटि का था।"

मैं निर्णायक नहीं हूं। इससे पता चलता है कि अन्तर इतना स्पष्ट नहीं था।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें अत्युत्तम चुनाव के लिये उन विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिये जिन का मैंने उल्लेख किया है। विचित्रता होनी चाहिये। उन्हें इसकी सराहना करनी चाहिये। ये भले ही उस श्रेणी के लोग न हों जिन्हें संगीत अथवा सितार के राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिलते हों। इसे एक मंडली के रूप में काम करना चाहिये। इन सब बातों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हमें अनुभव से लाभ हुआ है और हम उस से लाभ उठाते रहेंगे।

मैं समझता हूं कि इस बात की कटु आलोचना की गई है कि शिष्टमंडल के नेता अपने साथ अपने सम्बन्धियों को ले गये थे। एक ही सम्बन्धी था––वस्तुतः सम्बन्धी नहीं –– वह उनकी पत्नी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे उसे मेरे कहने पर ले गये थे। उसने कई प्रकार से बहुत सहायता की थी। दूसरी––शांतिनिकेतन की लड़कियों में से एक––दूर की सम्बन्धी समझी जाती है। वह बहन की पोती है।

इस बात से कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हुई कि उसका पुत्र गया था, परन्तु पुत्र का शिष्टमंडल से कोई सम्बन्ध नहीं था। वस्तुतः उसने अपना किराया दिया था, वह ग्लाइडिंग सीखने के लिये पोलैण्ड गया था। पोलैंड के ग्लाइडरों ने उसे आमंत्रित किया था। दुर्भाग्यवश वह बेचारा वहां गिर पड़ा।

जहां तक अन्य का सम्बन्ध है उन्हें सामान्य प्रक्रिया द्वारा गलत अथवा ठीक ढंग से चुना गया था। यह सत्य है कि नेता शांति निकेतन की कुछ लड़कियों को लेना चाहते थे और कह दिया गया था कि वे उन्हें चुन लें। नेता ने चुनाव किया। वह ठीक अथवा गलत था यह राय का प्रश्न है। सूचना से पता लगता है कि ये लड़कियां अपने कार्य में सफल रही हैं। उनकी बहुत सराहना हुई। मैं समझता हूं कि केवल इस कारण कि बहन की पोती को कुछ लड़कियों के दल में सम्मिलित किया गया, सम्बन्धियों के प्रश्न को नहीं लाना चाहिये था।

फिर माननीय सदस्य ने कहा कि विश्वभारती के प्राधिकारियों का परामर्श क्यों नहीं लिया गया। उनका परामर्श लिया गया हो अथवा नहीं। परन्तु कठिनाई यह है। आप सभी प्रकार के कलाकारों का मिश्रित दल बनाने का प्रयत्न करते हैं। चित्र का केवल एक पक्ष देखने का लाभ नहीं। यदि आप को सितार के अत्युत्तम कलाकार की आवश्यकता हो, तो आपको विभिन्न पक्षों से परामर्श लेना पड़ता है। हो सकता है कि सितार का अत्युत्तम कलाकार अन्य कारणों से उपयुक्त न हो। यह कठिनाई है। सामान्यतः अधिकाधिक लोगों का परामर्श लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** चर्चा समाप्त हुई।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, १३ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६]

विषय		पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	९८५–८६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) नेताजी जांच समिति के सदस्य श्री सुरेश चन्द्र बोस के विमति प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) भारतीय वैदेशिक सेवा शाखा ख (प्रारम्भिक गठन) नियमों के सम्बन्ध में, वैदेशिक कार्य मंत्रालय का सरकारी ज्ञापन संख्या ४(५)—एफ० एस० बी० ५६, दिनांक २८ अगस्त, १९५६ की एक प्रति।

(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६०७, दिनांक १० नवम्बर, १९५६ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें) नियम, १९५६ की एक प्रति।

(४) लोक ऋण अधिनियम १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन लोक ऋण (प्रतिकर बन्ध पत्र) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११९६ दिनांक २६ मई, १९५६ की एक प्रति।

(५) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम १९४८ की धारा २८ की उपधारा (२) के अधीन, ३० जून, १९५६ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(६) देश में बाढ़ स्थिति पर दिये गये वक्तव्य की एक प्रति।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ...	...	९८६–८८

योजना, सिंचाई और विद्युत मंत्री ने देश की बाढ़ स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन		९८८

छियासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

प्रतिवेदित याचिका ...	... ...	९८८

सचिव ने सूचना दी कि साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका प्राप्त हुई है जिस पर याचिका भेजने वाले के हस्ताक्षर हैं।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रालय समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	९८८–८९
पैंतालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
पारित विधेयक	९९०–१०३७
(१) वित्त संख्या (२) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया।	
(२) वित्त संख्या (३) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक को पारित किया गया।	
आध घंटे की चर्चा ...	१०३७–४३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने रूस तथा पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १०४८ के १३ अगस्त, १९५६ को दिये गये उत्तर में कही गई बातों के आधार पर आध घंटे की चर्चा आरम्भ की। प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।	
गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि	
जीवन बीमा निगम नियमों में रूप भेद करने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक पर विचार।	

M51LSD—190—15-4-58—GIPF.